(3)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

(कक्ष–अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी)
फोन : 0755–2674222, 2674282, फैक्स–2570852, ई–मेल : apccfre@mp.gov.in

क्रमांक / बजट / 2018–19 / 2230 भोपाल, दिनांक : 13/8/18

प्रति,
संचालक
ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर, मध्यप्रदेश.

विषय: वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयोजना मद 5108 अध्ययन एवं अनुसंधान अंतर्गत स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन।

संदर्भ: आपका पत्र क्र0 892 दिनांक 18–07–18.

योजना मद 5108 अध्ययन एवं अनुसंधान अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.18 को आपके द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के चयन हेतु आयोजित बैठक में हुए निर्णय तदुपरांत दिनांक 12 एवं 13.07.18 को जबलपुर में आयोजित बैठक के परिपालन में आपके पत्र क्र. 892 दिनांक 18.07.18 से प्रस्तुत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत परियोजनाओं हेतु योजना में राशि उपलब्धता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट मद मांग संख्या 10–2406 (5108) अध्ययन एवं अनुसंधान के उपमद 42–सहायक अनुदान–007 में राशि रू. 95.45 लाख की राशि विमुक्त की जाती है । परियोजनावार आवंटित राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शायेनुसार है। पूर्ण मे हुए निर्णय अनुसार परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक से Institutional charges मान्य नही है। अतः स्वीकृत परियोजनाओं में से Institutional charges घटाकर शेष राशि का आवंटन ई–पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, ग्वालियर को भेजते हुए एक प्रति तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावें जिससे कोषालय, भोपाल को राशि विमुक्त करने हेतु लेख किया जा सके। आवंटन से अधिक व्यय कदापि नही करें । प्रोजेक्ट अनुसार भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करें एवं प्रतिमाह उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (19 ए) में इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें । उपयोगित प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किये जाने से यदि आडिट आपत्ति निर्मित होती है इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

संलग्न : प्रपत्र

13/8

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी,म0प्र0

पत्र TFRI को भेजा

पृ0क्र0 / अ0वि0 / बजट / 2231 भोपाल, दिनॉक : 13/8/18

प्रतिलिपि– 1) वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अ0वि0 एवं लो0वा0, म0प्र0 की सूचनार्थ अग्रेषित । कृपया उपरोक्तानुसार अवगत करावें।

2) आहरण एवं संवितरण अधिकारी / रोकड प्रभारी, कार्यालय अ0प्र0मु0व0सं0, अ0वि0 / लो0वा0, म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। बजट मद मांग संख्या 10–2406 (5108) अध्ययन एवं अनुसंधान– 42 सहायक अनुदान – 007 अन्य मद में राशि रू. 95.45 लाख का आवंटन आपको किया जा रहा है । जिसे कोषालयीन व्यवस्था के अंतर्गत ई–पेमेंट के माध्यम से संचालक, ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को उपलब्ध कराये ।

3) कक्ष प्रभारी, अनुसंधान, मुख्यालय अ0वि0 एवं लो0वा0, म0प्र0 की ओर नस्ती में संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न : प्रपत्र

13/8

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी,म0प्र0

APCCF(R/E/LV)
S.P.A.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(अनुसंधान एवं विस्तार लोक वानिकी)
म.प्र. भोपाल

अनु.वि. / लो.वा. / स.व.प्र. आवक 650 दि. 14/8/18 भोपाल

PA/PCCF/R/E & L.V. & JFM/FDA
NO. 795
Date 14/8/2018.

अध्ययन एवं अनुसंधान परियोजना 5108 अंतर्गत वर्ष 2018–19 में ऊष्ण कटिबंधीयन वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर हेतु स्वीकृत वानिकी अनुसंधान परियोजनॉए एवं राशि आवंटन

क्र.	परियोजना	परियोजना प्राप्ति पत्र क्र. एवं दिनांक	अवधि	वर्षवार आवश्यक राशि (रू. लाख में)				
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	कुल
1	Production of Organic fertilizers / Organic pesticides and their application in forest nurseries	892/ 18.07.18	डेढ वर्ष	**4.66**	**3.91**	**0.00**	**0.00**	**8.57**
2	Selection of pest and disease free CPTs of Gmelina arborea and production of clonal planting material	892/ 18.07.18	दो वर्ष	**4.67**	**4.87**	**0.00**	**0.00**	**9.54**
3	Assessment of diversity and natural regeneration status of sterculia urens Roxb. for development of conservation strategy in Madhya Pradesh	892/ 18.07.18	तीन वर्ष	**3.50**	**4.30**	**3.80**	**0.00**	**11.60**
4	Popularization of improved var. of Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. based agroforestry system	892/ 18.07.18	तीन वर्ष	**5.50**	**5.10**	**5.40**	**0.00**	**16.00**
5	Investigation on variations and domenstication of curculigo orchioides Gaertn. (Kali Musli) in Madhya Pradesh	892/ 18.07.18	चार वर्ष	**3.30**	**3.90**	**5.70**	**5.88**	**18.78**
6	Standardization of harvesting time and post harvesting techniques of Helicteris isora (Marorphali) and Mucuna Pruriens (Kaunch)	892/ 18.07.18	दो वर्ष	**5.10**	**4.30**	**0.00**	**0.00**	**9.40**
7	Studies on quality of nursery seedlings and its relation to outplanting performance of Dalbergia latifolia and pterocarpus marsupium	892/ 18.07.18	चार वर्ष	**4.22**	**6.22**	**6.56**	**4.56**	**21.56**
			महायोग –	**30.95**	**32.60**	**21.46**	**10.44**	**95.45**

13/10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी,म0प्र0

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

(कक्ष–अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी)

फोन : 0755–2674222, 2674282, फैक्स–2570852, ई–मेल : apccfre@mp.gov.in

क्रमांक / बजट / 2018–19 / 2228 भोपाल, दिनांक : 13/8/18

प्रति,

संचालक
राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर, मध्यप्रदेश.

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयोजना मद 5108 अध्ययन एवं अनुसंधान अंतर्गत स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन।

संदर्भः आपका पत्र क्र0 3025 दिनांक 16–07–18.

योजना मद 5108 अध्ययन एवं अनुसंधान अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.18 को आपके द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के चयन हेतु आयोजित बैठक में हुए निर्णय तदुपरांत दिनांक 12 एवं 13.07.18 को जबलपुर में आयोजित बैठक के परिपालन में आपके पत्र क्र. 3025 दिनांक 16.07.18 से प्रस्तुत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत परियोजनाओं हेतु योजना में राशि उपलब्धता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट मद मांग संख्या 10–2406 (5108) अध्ययन एवं अनुसंधान के उपमद 42–सहायक अनुदान–007 में राशि रू. 101.28 लाख की राशि विमुक्त की जाती है । परियोजनावार आवंटित राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शायेनुसार है। पूर्ण में हुए निर्णय अनुसार परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक से संस्थागत व्यय (Institutional charges) मान्य नही है। राशि का आवंटन ई–पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, ग्वालियर को भेजते हुए एक प्रति तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावें जिससे कोषालय, भोपाल को राशि विमुक्त करने हेतु लेख किया जा सके। आवंटन से अधिक व्यय कदापि नही करें । प्रोजेक्ट अनुसार भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करें एवं प्रतिमाह उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (19 ए) में इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें । उपयोगित प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किये जाने से यदि आडिट आपत्ति निर्मित होती है इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

13/8

संलग्न : प्रपत्र

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी,म0प्र0

पत्र द्वारा ई मेल ।

प्रतिलिपि– पृ0क्र0/अ0वि0/बजट/2229 भोपाल, दिनॉक : 13/8/18

प्रतिलिपि –1) वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अ0वि0 एवं लो0वा0, म0प्र0 की सूचनार्थ अग्रेषित । कृपया उपरोक्तानुसार अवगत करावें।

2) आहरण एवं संवितरण अधिकारी / रोकड प्रभारी, कार्यालय अ0प्र0मु0व0सं0, अ0वि0/लो0वा0, म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। बजट मद मांग संख्या 10–2406 (5108) अध्ययन एवं अनुसंधान– 42 सहायक अनुदान – 007 अन्य मद में राशि रू. 101.28 लाख का आवंटन आपको किया जा रहा है । जिसे कोषालयीन व्यवस्था के अंतर्गत ई–पेमेंट के माध्यम से संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को उपलब्ध कराये ।

(2) कक्ष प्रभारी, अनुसंधान, मुख्यालय अ0वि0 एवं लो0वा0, म0प्र0 की ओर नस्ती में संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न : प्रपत्र

13/8

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी,म0प्र0

APCCF (R/E/LV)
S.P.A.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(अनुसंधान एवं विस्तार/लोक वानिकी)
म.प्र. भोपाल

अनु.वि./लो.वा./म.व.प्र. भोपाल
आवक 649
दि. 14/8/18

PA/PCCF/R/E & L.V. & JFM/FDA
NO. 794
Date 14/8/2018

अध्ययन एवं अनुसंधान परियोजना 5108 अंतर्गत वर्ष 2018–19 में राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर हेतु स्वीकृत वानिकी अनुसंधान परियोजनॉए एवं राशि आवंटन

क्र.	प्रोजेक्ट	परियोजना पत्र क्र. एवं दिनांक	अवधि	वर्षवार राशि (रू. लाख में)					वर्ष 2018–19 में विमुक्त की जा रही राशि (रू. लाख में)
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	कुल आवश्यक राशि	
1	Extension of developed nursery techniques of some important NTFPs and medicinal plant species through Research and Extension centres of Madhya Pradesh	3025 / 16.07.18	दो वर्ष	12.42	2.35	0.00	0.00	14.77	14.77
2	पश्चिमी मध्यप्रदेश के मालवा का पठार कृषि जलवायु प्रक्षेत्र (Agro-Climatic Zone) के लिये उपयुक्त कृषि वानिकी पद्धतियों (Agro-Forestry Models) का विकास एवं उनका कृषकों की निजी भूमियों पर प्रदर्शन	3025 / 16.07.18	चार वर्ष	11.15	5.80	6.30	12.30	35.55	23.25
3	चलित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से म.प्र. के अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों में मृदा परीक्षण कर मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करना।	3025 / 16.07.18	डेढ वर्ष	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00
4	Phytosociological study of river bank flora from Amarkanta k to Mandla with special reference to impact on water quality in river Narmada.	3025 / 16.07.18	दो वर्ष	12.78	12.78	0.00	0.00	25.26	25.26
			महायोग –	**74.35**	**20.93**	**6.30**	**12.30**	**113.58**	**101.28**

13/8

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी,म0प्र0

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. वि.पु.भु./04 भोपाल-2002.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 108/भोपाल/2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560] भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 25, शक 1924

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. एफ-25-46-98-दस-2.—मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10, सन् 2001) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे.

(3) ये नियम ऐसे निजी और राजस्व क्षेत्रों को लागू होंगे, जिनका यथास्थिति, भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में स्वैच्छिक रूप से प्रबंध किया जाना आशयित है.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधियिनम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001);

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ग) "वन मंडल अधिकारी" से अभिप्रेत है क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला वन मंडल अधिकारी;

(घ) "नामांकन अधिकारी" से अभिप्रेत है क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला वन मंडल अधिकारी;

(ङ) "वन क्षेत्रपाल" से अभिप्रेत है क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला वन परिक्षेत्र अधिकारी;

(च) "ग्राम सभा" तथा "ग्राम पंचायत" का वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) में उनके लिये दिया गया है;

(छ) "लोक वन" से अभिप्रेत है राजस्व भूमि का कोई भाग, जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को वैज्ञानिक प्रबंधन के, प्रयोजन के, लिए वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में हस्तान्तरित किया गया हो और जिसके लिए इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रबंधन योजना तैयार की गई हो;

(ज) "प्रबंधन योजना" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन किसी राजस्व या निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के लिए तैयार की गई वैज्ञानिक योजना.

3. **लोक वानिकी के अधीन प्रबन्धन के लिये आवेदन.**—(1) कोई भूमिस्वामी, जो किसी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के प्रबंधन का जिम्मा लेना चाहता है, वन क्षेत्रपाल या वन मंडल अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी वन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(2) यदि कोई ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित किसी वृक्ष आच्छादित राजस्व भूमि के प्रबंधन का जिम्मा लेना चाहती हो तो यथा स्थिति, संबंधित ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) को भूमि का सीमांकन करने तथा "लोक वन" के रूप में प्रबंध किये जाने के लिये उनको हस्तांतरित करने हेतु आवेदन करेगी. उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) 30 दिन की कालावधि के भीतर आवेदन का विनिश्चय करेगा. यदि उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) आवेदक के पक्ष में विनिश्चय करता है तो विनिश्चय करने की तारीख से 15 दिन की कालावधि के भीतर भूमि का सीमांकन करवाएगा और वह संबंधित ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को भूमि हस्तांतरित करेगा. भूमि का कब्जा लेने के पश्चात्, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये वन क्षेत्रपाल या वन मंडल अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी वन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगी.

(3) उप नियम (1) तथा (2) के अधीन आवेदन के साथ यथास्थिति, भूमि के स्वामित्व या भूमि के कब्जे के बारे में घोषणा सुसंगत अभिलेख सहित संलग्न होगी.

(4) वनपरिक्षेत्र अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर पटवारी को घोषणा की प्रति भेजेगा, जो राजस्व अभिलेखों से दावे को सत्यापित करेगा और पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाण-पत्र देगा. यदि पटवारी विहित समय के भीतर प्रमाण-पत्र देने में असफल रहता है तो भूमि स्वामी द्वारा दी गयी घोषणा सही समझी जावेगी. तदनन्तर यदि ऐसे अभिलेखों में किसी फर्क का पता चलता है तो पटवारी तथा वह व्यक्ति, जिसने घोषणा दी है, उसके लिये उत्तरदायी होंगे और सुसंगत विधि के अधीन दण्डनीय होंगे.

(5) यदि सीमा, वन भूमि से निकट हो तो वन परिक्षेत्र अधिकारी, सीमा के बारे में स्वयं का समाधान करेगा.

(6) वनक्षेत्रपाल, यथास्थिति भूमि स्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को उपनियम (3) के अनुसार आवेदन प्राप्त होने से 45 (पैतालीस) दिन की कालावधि के भीतर अभिलेखों के प्रमाणीकरण के बारे में प्रज्ञापना देगा, यदि कोई ऐसी प्रज्ञापना, उपनियम (3) के अनुसार आवेदन प्रस्तुत होने की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो इस प्रकार प्रस्तुत किए गए अभिलेखों को सही रूप में स्वीकार किया गया समझा जाएगा.

4. **प्रबंधन योजना का तैयार किया जाना.**—(1) नियम 3 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात्, यथा स्थिति, भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को उस क्षेत्र के लिये प्रबंधन योजना तैयार करवानी होगी.

(2) वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के लिये प्रबंधन योजना नियम 8 के अधीन यथा नामांकित चार्टर्ड फ्लेस्टर द्वारा तैयार की जाएगी.

(3) प्रबंधन योजना सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी.

(4) प्रबंधन योजना में निम्नलिखित विषय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) इमारती लकड़ी के अवितरित उत्पादन को तथा/या अन्य वनउत्पादों को सुनिश्चित करना.

(ख) प्राकृतिक पुनरुत्पादन को प्रोत्साहित तथा संरक्षित करना और/या उपयुक्त प्रजातियों का रोपण करना.

(ग) परिपक्व, अधिक परिपक्व, सूखे तथा रोग ग्रस्त वृक्षों को काट कर गिराना तथा आँधी से गिरे हुए वृक्षों को हटाना.

(घ) विरलन तथा कांट-छांट करना.

(ढ) फसल के स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति में सुधार करना, और

(च) मिट्टी तथा नमी का संरक्षण सुनिश्चित करना.

(5) प्रबंधन योजना 10 वर्ष की कालावधि के लिए अनुसूची-एक में दिए गए प्ररूप (फार्मेट) में तैयार की जाएगी.

5. **प्रबंधन योजना की मंजूरी.**—(1) निजी क्षेत्रों के लिये तैयार की गई प्रबंधन योजना की मंजूरी हेतु आवेदन-पत्र, प्ररूप-1 में प्रबंधन योजना की 5 प्रतियों के साथ वन मंडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) "लोकवन" के रूप में प्रबन्ध किये जाने के लिये प्रस्तावित राजस्व क्षेत्रों के लिए तैयार की गई प्रबंधन योजना की मंजूरी के लिये आवेदन-पत्र, प्ररूप-2 में प्रबंधन योजना की पांच प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा. ऐसे मामलों में आवेदन-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा योजना की मंजूरी के लिये यथा स्थिति, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के एक संकल्प के साथ वन मंडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी को प्रबंधन योजना में किए गए किन्हीं विधानों की विधिमान्यता को सत्यापित करने के लिये स्वयं या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से योजना क्षेत्र का निरीक्षण करने की शक्ति होगी. ऐसी कार्यवाही के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्रस्तावित प्रबन्धन योजना में कतिपय संशोधनों का सुझाव दे सकेगा. ऐसे मामले में आवेदक/चार्टर्ड फारेस्टर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए संशोधनों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत करेगा.

(4) वन मंडल अधिकारी प्रबन्धन योजना को मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा. ऐसे मामले में, जहां प्रबन्धन योजना क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक है वहां सक्षम प्राधिकारी, प्रबन्धन योजना के प्राप्त होने के पश्चात् 30 दिन के भीतर प्रबन्धन योजना को अपने मत के साथ राज्य सरकार के माध्यम से अनुमोदन हेतु पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा.

(5) यदि प्रबन्धन योजना क्षेत्र 10 हेक्टेयर तक है तो सक्षम प्राधिकारी 30 दिन के भीतर प्रबन्धन योजना की मंजूरी के बारे में विनिश्चिय करेगा और ऐसे मामले में, जहां प्रबन्धन योजना क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक है वहां सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (4) में यथा अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 7 दिन के भीतर प्रबन्धन योजना की मंजूरी का आदेश जारी करेगा.

(6) सक्षम प्राधिकारी निजी क्षेत्र की प्रबन्धन योजना हेतु प्ररूप-3 में तथा "लोक वन" के लिए प्ररूप-4 में मंजूरी का आदेश पारित करेगा. प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन की शर्तें, मंजूरी आदेश की अनुसूची दो/तीन में विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी.

(7) प्रबन्धन योजना मंजूर हो जाने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी, मंजूर की गई योजना की एक प्रति, मंजूरी आदेश के साथ यथास्थिति, संबंधित भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को तथा संबंधित चार्टर्ड फारेस्टर को प्रज्ञापना के साथ भेजेगा. मंजूरी आदेश की एक प्रति, मंजूर की गई प्रबन्धन योजना की एक प्रति के साथ संबंधित उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) को भी प्रज्ञापना के लिए और संहिता की धारा 144-क की उपधारा (2) के अधीन भू-अभिलेख में प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, जैसा कि अधिनियम की धारा 4 में उपबंधित है, पृष्ठांकित की जाएगी.

(8) उस दशा में, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबन्धन योजना को मंजूर करने से इन्कार किया जाता है तो वह ऐसे इन्कार के लिए कारण अभिलिखित करेगा और ऐसा आदेश आवेदक को संसूचित किया जाएगा.

(9) यदि प्रबन्धन योजना क्षेत्र 10 हेक्टेयर तक है तो उप-नियम (8) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले वन-संरक्षक के समक्ष की जाएगी. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील, इन्कार किए जाने के आदेश के प्राप्त होने के 30 दिन के

भीतर की जा सकत. है. वन संरक्षक, चार्टर्ड फारेस्टर तथा संबंधित भूमि स्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात् 60 दिन के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा. वन संरक्षक का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकर होगा. इस विनिश्चय की संसूचना आवेदक को लिखित में दी जाएगी और इसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी.

6. **प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन.**—(1) सक्षम प्राधिकारी से मंजूर की गई प्रबंधन योजना प्राप्त हो जाने के पश्चात्, यथास्थिति, प्रत्येक भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, प्रबन्धन योजना का विधानों तथा शर्तों के अनुसार क्रिया-न्वयन करेगी.

(2) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा "लोकवन" के लिये योजना में किए गए विधानों के क्रियान्वयन के लिये ग्राम सभा की सार्वजनिक सम्पदा समिति को प्राधिकृत कर सकेगी.

(3) यथा स्थिति भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा संबंधित वनक्षेत्रपाल तथा तहसलीदार को योजना क्षेत्र में वृक्षों को काटकर गिराने की प्रस्तावित तारीख संबंधी प्रज्ञापना देगी. यह प्रज्ञापना वृक्षों को काटकर गिराए जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व दी जायेगी.

(4) प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति, काटकर गिराए जाने वाले वृक्षों का रजिस्टर, प्रबंधन योजना में यथा विहित प्ररूप (फार्मेट) में रखेगा.

(5) अनुमोदित प्रबन्धन योजना के अनुसार काटकर गिराने की संक्रिया से प्राप्त वन उपज का परिवहन, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंधों के अध्यधीन किया जाएगा.

(6) मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1969 के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज के रूप में घोषित वन उपज का निपटारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन होगा.

(7) प्रबंधन योजना में विहित समस्त संक्रियाएं विनिर्दिष्ट समय में पूर्ण की जाएंगी. यदि योजना में विहित कोई संक्रिया किन्हीं अकल्पित कारणों से निष्पादित नहीं होती है तो योजना का आगामी क्रियान्वयन ऐसे समय तक, जब तक कि पूर्व वर्ष के लिये विहित संक्रियाएं पूर्ण नहीं हो जातीं, निलंबित रहेगा.

7. **प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन का मानीटर किया जाना.**—(1) प्रत्येक विकास खंड अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन को क्षेत्रीय परिक्षेत्र अधिकारी की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानीटर किया जाएगा तथा उसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथास्थिति, किसी ग्राम पंचायत या किसी ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ट होगा. समिति, सक्षम प्राधिकारी को अपनी टीका-टिप्पणियों तथा सिफारिशों की रिपोर्ट देगी. राज्य सरकार जब भी आवश्यक समझे, किसी भी पदधारी, निकाय या अभिकरण को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या कालावधि के लिये ऐसी योजना के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी.

(2) वन मंडल अधिकारी रिपोर्ट किए गए किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा. रिपोर्ट प्राप्त होने पर वन मंडल अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नियम 10 में यथा उपबन्धित आगे कार्यवाई करने के लिए मामले को उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित करेगा.

8. **चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन.**—(1) निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों का प्रवर्ग, चार्टर्ड फारेस्टर के रूप में नामांकन के लिये विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे:—

(क) ऐसे व्यक्ति, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वानिकी में स्नातक उपाधि है अथवा जिनके पास वन योजना तथा प्रबंधन में कम से कम तीन वर्ष के फील्ड के अनुभव सहित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से वन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो;

(ख) ऐसे सेवा निवृत्त वन अधिकारी, जो वन क्षेत्रपाल की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी के न हों अथवा मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम का समकक्ष अधिकारी; .

(ग) कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या कोई गैर सरकारी संगठन, जिनके पास उपर्युक्त खंड (क) तथा (ख) में यथा उल्लिखित अर्हता रखने वाले सदस्य हों.

(2) मध्यप्रदेश शासन में सेवारत कोई वन अधिकारी, जो वन क्षेत्रपाल की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, चार्टर्ड फारेस्टर समझा जाएगा.

(3) उपरोक्त उपनियम [1] के अनुसार मापदंड की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह (ग्रुप), चार्टर्ड फारेस्टर के रूप में नामांकन हेतु 1000/-रू. आवेदन फीस, जो गैर प्रतिदांय योग्य होगी, के साथ इन नियमों से संलग्न शपथ-पत्र के साथ प्ररूप-5 में आवेदन कर सकेगा.

(4) नामांकन अधिकारी, अपने कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की कालावधि के भीतर ऊपर उप नियम (1) में अधिकथित मानदंड को पूरा करने वाले व्यक्ति को नामांकित करेगा. वह इन नियमों से संलग्न प्ररूप-6 में नामांकन प्रमाण-पत्र जारी करेगा और प्ररूप-7 में एक नामांकन रजिस्टर रखेगा. जारी किए गए नामांकन प्रमाण-पत्र की एक प्रति राज्य स्तर पर भारसाधक अधिकारी, लोक वानिकी को प्रत्येक तिमाही में भेजी जाएगी जो वन विभाग की वेबसाईट पर अद्यतन सूची प्रतर्शित करवाएगा.

(5) आवेदक को नामांकन के लिये इंकार किये जाने की दशा में, नामांकन अधिकारी, इंकार के आधारों को लिखित में आवेदक को संसूचित करेगा. नामांकन से इंकार किये जाने के आदेश के विरूद्ध अपील राज्य स्तर पर भार साधक अधिकारी, लोकवानिकी के समक्ष की जाएगी, जिसका विनिश्चय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा.

(6) किसी चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन तब तक विधिमान्य होगा, जब तक उसे नामांकन अधिकारी द्वारा जारी किए गए विशिष्ट आदेश द्वारा पर्यवसित नहीं कर दिया जाता.

(7) किसी चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन (क) घोर वृत्तिक अवचार, या (ख) नामांकित चार्टर्ड फारेस्टर के लिखित अनुरोध के आधार पर नामांकन अधिकारी द्वारा पर्यवसान के दायित्वाधीन होगा.

(8) किसी नामांकन का कदाचार के आधार पर पर्यवसान किये जाने के पूर्व, नामांकन अधिकारी, संबंधित चार्टर्ड फारेस्टर को एक कारण बताओ सूचना तालीम करेगा और उसे अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिये पूर्ण अवसर देगा.

(9) ऐसे पर्यवसान के विरूद्ध अपील, राज्य स्तर पर भारसाधक अधिकारी, लोकवानिकी को होगी. ऐसी अपील, नामांकन अधिकारी के आदेश की तारीख से 45 दिन की कालावधि के भीतर की जा सकेगी और राज्य स्तर पर भारसाधक अधिकारी, लोकवानिकी का विनिश्चय अन्तिम तथा बाध्यकार होगा.

9. **चार्टर्ड फारेस्टर के कर्तव्य तथा पारिश्रमिक.**—(1) चार्टर्ड फारेस्टर निम्न लिखित के लिए उत्तरदायी होगा.—

(क) प्रबंधन योजना को तैयार करना और
(ख) उसकी मंजूरी सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त करना

(2) चार्टर्ड फारेस्टर रूपए 1000/-या भूमिस्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा वनोपज के विक्रय के प्रथम वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राशि का 6 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो, पारिश्रमिक प्राप्त करेगा. यदि प्रबन्धन योजना नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार प्राधिकृत चार्टर्ड फारेस्टर द्वारा तैयार की गई है तो देय पारिश्रमिक, यथास्थिति, भूमिस्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा राज्य सरकार को जमा किया जाएगा.

10. **उल्लंघन के लिए दण्ड.**—(1) उप-खंड अधिकारी (राजस्व), अनुमोदित प्रबंधन योजना के ऐसे उल्लघंन के संबंध में संबधित वन क्षेत्रपाल/सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, यथास्थिति, संबंधित भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को कारण बताओ सूचना जारी करेगा और सूचना का जवाब फाइल करने के लिये युक्तियुक्त समय देगा.

भीतर की जा सकती है. वन संरक्षक, चार्टर्ड फारेस्टर तथा संबंधित भूमि स्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात् 60 दिन के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा. वन संरक्षक का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकर होगा. इस विनिश्चय की संसूचना आवेदक को लिखित में दी जाएगी और इसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी.

6. **प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन.**—(1) सक्षम प्राधिकारी से मंजूर की गई प्रबंधन योजना प्राप्त हो जाने के पश्चात्, यथास्थिति, प्रत्येक भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, प्रबन्धन योजना का विधानों तथा शर्तों के अनुसार क्रियान्वयन करेगी.

(2) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा "लोकवन" के लिये योजना में किए गए विधानों के क्रियान्वयन के लिये ग्राम सभा की सार्वजनिक सम्पदा समिति को प्राधिकृत कर सकेगी.

(3) यथा स्थिति भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा संबंधित वनक्षेत्रपाल तथा तहसीलदार को योजना क्षेत्र में वृक्षों को काटकर गिराने की प्रस्तावित तारीख संबंधी प्रज्ञापना देगी. यह प्रज्ञापना वृक्षों को काटकर गिराए जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व दी जायेगी.

(4) प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति, काटकर गिराए जाने वाले वृक्षों का रजिस्टर, प्रबंधन योजना में यथा विहित प्ररूप (फार्मेट) में रखेगा.

(5) अनुमोदित प्रबन्धन योजना के अनुसार काटकर गिराने की संक्रिया से प्राप्त वन उपज का परिवहन, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंधों के अध्यधीन किया जाएगा.

(6) मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1969 के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज के रूप में घोषित वन उपज का निपटारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन होगा.

(7) प्रबंधन योजना में विहित समस्त संक्रियाएं विनिर्दिष्ट समय में पूर्ण की जाएंगी. यदि योजना में विहित कोई संक्रिया किन्हीं अकल्पित कारणों से निष्पादित नहीं होती है तो योजना का आगामी क्रियान्वयन ऐसे समय तक, जब तक कि पूर्व वर्ष के लिये विहित संक्रियाएं पूर्ण नहीं हो जातीं, निलंबित रहेगा.

7. **प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन का मानीटर किया जाना.**—(1) प्रत्येक विकास खंड अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन को क्षेत्रीय परिक्षेत्र अधिकारी की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानीटर किया जाएगा तथा उसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथास्थिति, किसी ग्राम पंचायत या किसी ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ट होगा. समिति, सक्षम प्राधिकारी को अपनी टीका-टिप्पणियों तथा सिफारिशों की रिपोर्ट देगी. राज्य सरकार जब भी आवश्यक समझे, किसी भी पदधारी, निकाय या अभिकरण को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या कालावधि के लिये ऐसी योजना के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी.

(2) वन मंडल अधिकारी रिपोर्ट किए गए किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा. रिपोर्ट प्राप्त होने पर वन मंडल अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नियम 10 में यथा उपबन्धित आगे कार्यवाई करने के लिए मामले को उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित करेगा.

8. **चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन.**—(1) निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों का प्रवर्ग, चार्टर्ड फारेस्टर के रूप में नामांकन के लिये विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे:—

(क) ऐसे व्यक्ति, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वानिकी में स्नातक उपाधि है अथवा जिनके पास वन योजना तथा प्रबंधन में कम से कम तीन वर्ष के फील्ड के अनुभव सहित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से वन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो;

(ख) ऐसे सेवा निवृत्त वन अधिकारी, जो वन क्षेत्रपाल की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी के न हों अथवा मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम का समकक्ष अधिकारी;

(2) यदि, यथास्थिति, संबंधित भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, कारण बताओ सूचना का जवाब, वि प्रस्तुत करने में असफल रहती है या कारण बताओ सूचना के जवाब पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् उप-खंड अधि का विनिश्चय, अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार 30 (तीस) दिन की कालावधि के भीतर कर सकेगा.

11. **अपील.**—(1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित किये गये आदेश विचार करने के लिये अपील प्राधिकारी, जिला कलेक्टर होगा.

(2) अपील के लिये आवेदन पत्र, कलेक्टर के प्रवाचक (रीडर) द्वारा प्राप्त किया जायेगा और संहिता में अधिकां उस पर कार्यवाही की जाएगी.

(3) प्रत्येक अपील के साथ उप-खंड अधिकारी (राजस्व) के उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के दस्तावेज तथा कोषालय चालान या मांगदेय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से देय रु. 100/-की फीस, जो वापसी र होगी.

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को स्वयं या आवेदक द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किस से सुनेगा और आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा.

(5) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रतियां, अनुपालन के लिये या ऐसे और आदेश पारित वि कि अपील प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, संबंधित उप-खण्ड अधिकारी [राजस्व) को भेजी जाएगी.

(2) यदि, यथास्थिति, संबंधित भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, कारण बताओ सूचना का जवाब दि प्रस्तुत करने में असफल रहती है या कारण बताओ सूचना के जवाब पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् उप-खंड अधि का विनिश्चय, अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार 30 (तीस) दिन की कालावधि के भीतर कर सकेगा.

11. **अपील.**—(1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित किये गये आदेश विचार करने के लिये अपील प्राधिकारी, जिला कलेक्टर होगा.

(2) अपील के लिये आवेदन पत्र, कलेक्टर के प्रवाचक (रीडर) द्वारा प्राप्त किया जायेगा और संहिता में अधिकां उस पर कार्यवाही की जाएगी.

(3) प्रत्येक अपील के साथ उप-खंड अधिकारी (राजस्व) के उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के दस्तावेज तथा कोषालय चालान या मांगदेय ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से देय रु. 100/-की फीस, जो वापसी र होगी.

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को स्वयं या आवेदक द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किर से सुनेगा और आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा.

(5) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रतियां, अनुपालन के लिये या ऐसे और आदेश पारित वि कि अपील प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, संबंधित उप-खण्ड अधिकारी [राजस्व) को भेजी जाएगी.

अनुसूची-एक

[नियम 4 (5) देखिए]

निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र/निजी वन तथा लोक वन के लिए प्रबंधन योजना का मानक प्ररूप (फार्मेट)

भाग—एक

उद्देश्य-संबंधित भू-भाग (ट्रैक्ट) तथा फसल

अध्याय-1-प्रबंधन योजना के उद्देश्य

अध्याय-2-ग्राम का परिचय

[redacted]

(भूमिस्वामी/ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित)

3.1 सामान्य

3.2 भूमिस्वामी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम/पिता/पति का नाम

3.3 प्रवर्ग (सामान्य/अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग)

3.4 भूमि स्वामी का डाक का पूरा पता

3.5 भूमिस्वामी की आर्थिक प्रास्थिति (केवल निजी क्षेत्रों के मामले में) (कृषि, पशु, आय इत्यादि के ब्यौरे)

3.6 पटवारी हल्का क्र./खसरा क्र.

3.7 राजस्व निरीक्षक वृत्त (सर्किल)/तहसील

3.8 खसरा की अवस्थिति

3.9 क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

3.10 सीमाएं एवं सीमांकन प्रास्थिति

3.11 स्वामित्व की विधिक प्रास्थिति (राजस्व विभाग के खसरा पांच साला के अनुसार)

3.12 विगत 10 वर्षों से खसरे के स्वामित्व के ब्यौरे

3.13 क्या पैतृक सम्पत्ति के रूप में अर्जित की गई या क्रय की गई

3.14 टोपोग्राफी (विशेष रूप से 25 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्र)

3.15 मिट्टी का प्रकार तथा गहराई

3.16 [redacted]

3.17 भू-भाग में जल की उपलब्धता.

अध्याय-4-फसल का विवरण

4.1 फसल का प्रकार

4.2 स्थल गुणवत्ता

4.3 फसल घनत्व

4.4 फसल का आयु वर्ग

4.5 निम्नलिखित स्टाक

(क) टॉप केनोपी (ख) मिडिल स्टोरी (ग) ग्राउण्ड फलोरा
(घ) बेल (क्लाइम्बर) (ङ) घास (च) औषधीय पौधे
(छ) घास-पात (ज) गैर काष्ठ वनोपज (एन. टी. एफ. पी.) (झ) बांस.

4.6 स्टाक मानचित्र (पटवारी के नक्शे पर)
(वनस्पति/प्रकार/स्थल गुणवत्ता, घनत्व, आयु वर्ग, रिक्त क्षेत्र आदि)

4.7 प्राकृतिक वन/रोपण (सामान्य विवरण एवं वर्तमान प्रास्थिति)

4.8 भू-भाग (ट्रेक्ट) का वर्णन

(क) पूर्व की कटाई/रोपण (ख) पूर्व की संक्रियाओं का परिणाम

4.9 जैव विविधता की उपलब्धता

4.10 क्षति, जिसके लिये फसल दायी है

अध्याय-5-फसल का विश्लेषण तथा मूल्यांकन

5.1 वृक्षों की प्रजातिवार संख्या, आयतन (वाल्यूम) एवं उसका मूल्य (संसाधन निर्धारण आंकलन अभिलेख की संक्षिप्ति

5.2 पुनरुत्पादन सर्वेक्षण का परिणाम

5.3 बांस एवं घास की उपलब्धता

5.4 गैर काष्ठ वनोपज (एन. टी. एफ. पी.)/ औषधीय पौधों की उपलब्धता

5.5 फार्म फैक्टर

5.6 संवृद्धि दर

5.7 विपणन रूपरेखा

5.8 बाजार मूल्य

भाग-दो

प्रस्तावों का सारांश

अध्याय-1-भविष्य के प्रबंधन हेतु स्कीम

1.1 प्रबंधन प्रस्ताव

1.2 उपचार विधान

1.3 पातन चक्र/रोटेशन

1.4 सिलेक्शन गर्थ

9

1.5 उपचार वर्ग का अवधारण एवं उपचार मानचित्र

1.6 पातन नियम/अन्य उपचार के लिए नियम

(क) वृक्ष (ख) ग्रीन फ्लोरा (ग) प्राकृतिक बांस

1.7 वार्षिक प्राप्ति की गणना

अध्याय-2- कटाई

2.1 कटाई योजना

(क) इमारती लकड़ी (टिम्बर) (ख) ईंधन की लकड़ी (ग) बांस

(घ) औषधीय पौधे (ङ) घास (च) एन. टी. एफ. पी. (छ) अन्य

2.2 वनोपज का अनुकूलन, प्रसंस्करण तथा परिरक्षण

2.3 वनोपज के निवर्तन की प्रस्तावित पद्धति

(क) इमरती लकड़ी (टिम्बर) (ख) ईंधन की लकड़ी (ग) बांस

(घ) घास (ङ) औषधीय पौधे (च) एन. टी. एफ. पी. (छ) अन्य

2.4 सहायक वन वर्धन संक्रियाएं

2.5 विरलन

2.6 काट-छांट

2.7 मृत वृक्षों, आंधी से उखड़े वृक्षों की कटाई

अध्याय-3- रोपण

3.1 खाली स्थानों में रोपण (गैप प्लान्टिंग)

3.2 सागौन रोपण

3.3 बांस रोपण

3.4 अन्य प्रजातियों का रोपण

अध्याय-4- सुरक्षा एवं सुधार के उपाय

4.1 चराई से सुरक्षा

4.2 अग्नि सुरक्षा

4.3 अन्य

4.4 जैव विविधता संरक्षण

अध्याय-5-अनुमानित औसत वार्षिक व्यय तथा आय

अध्याय-6-अभिलेख चिन्हांकित करने (फार्मेट) कटाई संबंधी रजिस्टर का प्ररूप फार्मेट (लोक वानिकी नियम, 2002 का नियम 6(4) देखिए)

अध्याय-7- प्रबंधन योजना क्रियान्वयन की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन (लोक वानिकी नियम, 2002 का नियम 7 देखिए)

अध्याय-8-योजना क्षेत्र के शासकीय वन से लगे होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुझाये गये रक्षोपाय

प्रबंधन योजना से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. खसरे का पटवारी नक्शा, जिसमें लगे हुए सर्वे क्रमांक भी दर्शाये गये हों.
2. भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज
3. सीमांकन प्रमाण-पत्र, यदि अपेक्षित हो
4. स्टाक मानचित्र
5. भूमिस्वामी की लिखित सहमति (संयुक्त खाते की दशा में समस्त भागीदारों की सहमति)
6. सर्वे के परिणाम/निर्धारण रिपोर्ट, यदि कोई हो.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुसूची-दो

[नियम 5(6) देखिए]

(प्ररूप 3 के साथ पठित)

(क) शर्तें/निर्बन्धन, जिनके अध्यधीन यह योजना अनुमोदित की जा रही है—

1. प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन, लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 6 तथा राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर इस संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा. भूमि स्वामी को यह सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदित योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व इन उपबंधों को पढ़कर स्पष्ट रूप से समझ लें.
2. योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी विद्यमान अधिनियम, नियमों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों और कार्यपालिक अनुदेशों के उल्लंघन में कोई बात नहीं की जाएगी.
3. क्षेत्र का प्रबंध, योजना के विधान के अनुसार किया जायेगा तथा योजना की कालावधि के दौरान भूमि के उपयोग के प्रकार में परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

(ख) दशाएं, जिनमें यह मंजूरी रद्द की जा सकेगी:

1. उपरोक्त (क) में वर्णित किन्हीं शर्तों/निर्बन्धनों का उल्लंघन.
2. .....

(सक्षम प्राधिकारी की राय में अन्य कोई भी बिन्दु, जो आवश्यक हो)

3. .....

(ग) शासकीय वनों को अवैध रूप से काटकर गिराने से सुरक्षित रखने के लिए रक्षोपाय,—

(यदि प्रस्तावित योजना क्षेत्र, शासन के किसी भी प्रकार (टाइप) के वन से लगा हुआ हो तो आवश्यक रूप से उपबंध किया जाना है)

1. इस प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली वनोपज के स्वामित्व को स्थापित करने के सबूत का भार भूमि स्वामी पर होगा. (उसे इस संबंध में आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा इस बात को निर्विवाद रूप से स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए कि जो वनोपज उसके खसरे से उठाई जा रही है वह इस योजना के विधान के अनुसार विधिसम्मत रूप से काटकर गिराये गये वृक्षों की है तथा निकटवर्ती शासकीय वनों की नहीं है).

2. यदि क्षेत्र की सीमा का भाग, शासकीय वन से संलग्न है तो भूमिस्वामी उसके खाते को शासकीय वन से अलग करने वाले सीमा चिन्हों की प्रास्थिति के बारे में सतर्कता रखेगा. यदि ऐसे सीमा चिन्हों (सीमा के मुनारों अथवा सीमांकन रेखाओं या वृक्षों पर लगाए गए कोलतार के पट्टों सहित) में किसी प्रकार की क्षति या विकृति देखने में आती है तो वह संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय को तत्काल सूचना देगा. राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उसके खातों पर सीमांकन के प्रयोजन से लगाये गये ऐसे किन्हीं चिन्हों को भी वह सही दशा में बनाये रखेगा.

3. मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 6 के उपनियम (7) की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार है ''प्रबंधन योजना में विहित समस्त संक्रियाएं विनिर्दिष्ट समय पर पूर्ण की जाएंगी. यदि योजना में विहित कोई संक्रिया किसी अकल्पित कारण से निष्पादित नहीं की जाती है तो योजना का और क्रियान्वयन, पिछले वर्ष के लिए विहित संक्रियाओं के पूर्ण होने तक निलंबित रहेगा''.

पृष्ठांकन क्र. . . . . दिनांक . . . . . .

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को अग्रेषित:—

1. जिला कलेक्टर, ... जिला की ओर मध्यप्रदेश की लोक वानिकी अधिनियम, 2001 की धारा 4(8) के पालन के लिए.
2. श्री ..... (भूमिस्वामी का नाम)
3. कार्यालय प्रभारी, लोक वानिकी वन विभाग, भोपाल.

सक्षम प्रधिकारी के हस्ताक्षर

अनुसूची-तीन

[नियम 5(6) देखिए)

(प्ररूप-4 के साथ पठित)

(क) **शर्तें/निर्बन्धन, जिनके अध्यधीन यह प्रबंधन योजना अनुमोदित की जा रही है—**

(1) लोक वन के लिए प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन, लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 6 तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा. ग्राम पंचायत/ग्रामसभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि को यह सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदित योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व इन उपबंधों को पढ़कर स्पष्ट रूप से समझ लें.

(2) प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी विद्यमान अधिनियम, नियमों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों और कार्यपालिक अनुदेशों के उल्लंघन में कोई बात नहीं की जाएगी.

(3) क्षेत्र का प्रबंध, प्रबंधन योजना के विधान के अनुसार किया जायेगा तथा योजना की कालावधि के दौरान भूमि के उपयोग के प्रकार में परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

(ख) दशाएं, जिनमें यह अनुमोदन रद्द किया जा सकेगा:

(1) उपरोक्त (क) में वर्णित किन्हीं शर्तों/निर्बन्धनों का उल्लंघन.

(2) .....

(सक्षम प्राधिकारी की राय में अन्य कोई भी बिन्दु, जो आवश्यक हो)

(3) .....

(ग) शासकीय वनों को अवैध रूप से काटकर गिराने से सुरक्षित रखने के लिए रक्षोपाय,—

(यदि प्रस्तावित योजना क्षेत्र, शासन के किसी भी प्रकार (टाइप) के वन से लगा हुआ हो तो आवश्यक रूप से उपबंध किया जाना है)

1. इस प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली वनोपज के स्वामित्व को स्थापित करने के सबूत का भार ग्राम पंचायत/ग्रामसभा पर होगा. (संबंधित ग्राम पंचायत/ग्रामसभा को आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा इस बात को निर्विवाद रूप से स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए कि जो वनोपज लोकवन से उठाई जा रही है वह इस प्रबंधन योजना के विधान के अनुसार विधिसम्मत रूप से काटे गये वृक्षों की है तथा निकटवर्ती शासकीय वनों की नहीं है).

2. यदि क्षेत्र की सीमा का भाग, शासकीय वन से सटा हुआ है तो ग्राम पंचायत/ग्रामसभा, उसके खाते को शासकीय वन से अलग करने वाले सीमा चिन्हों की प्रास्थिति के बारे में सतर्कता रखेगी. यदि ऐसे सीमा चिन्हों (सीमा के मुनारों अथवा सीमांकन रेखा या वृक्षों पर लगाए गए कोलतार के पट्टों सहित) में किसी प्रकार की क्षति या विकृति देखने में आती है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि, संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय को तत्काल सूचना देगा. संबंधित ग्राम पंचायत/ग्रामसभा, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा खाते पर सीमांकन के प्रयोजन से लगाए गए ऐसे किन्हीं चिन्हों को भी सही दिशा में बनाए रखेगी.

3. मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 6 के उपनियम (7) की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार है "प्रबंधन योजना में विहित समस्त संक्रियाएं विनिर्दिष्ट समय में पूर्ण की जाएंगी. यदि योजना में विहित कोई संक्रिया किसी अकल्पित कारण से निष्पादित नहीं की जाती है तो प्रबंधन योजना का और क्रियान्वयन, पिछले वर्ष के लिए विहित संक्रियाओं के पूर्ण होने तक निलंबित रहेगा".

पृष्ठांकन क्र. . . . . दिनांक . . . . . .

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को अग्रेषित:—

1. जिला कलेक्टर, ... जिला की ओर मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 की धारा 4(8) के पालन के लिए.

2. श्री ..... (ग्राम पंचायत/ ग्रामसभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

3. कार्यालय प्रभारी, लोक वानिकी वन विभाग, भोपाल.

सक्षम प्रधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-1

[नियम 5(1) देखिए]

किसी भूमिस्वामी क्षेत्र के लिए प्रबंधन योजना के मंजूरी हेतु आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में भरा जावे)

1. आवेदक का नाम .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. डाक का वर्तमान पता .....

4. तहसील ..... राजस्व उपखण्ड .....

5. पुलिस थाना ..... 6. जिला .....

7. उस खसरे का ब्यौरा, जिसके लिए योजना तैयार की गई है :

अनु. क्र.	ग्राम/पटवारी हलका क्रमांक/ खसरा क्रमांक तथा अवस्थिति संबंधी अन्य ब्यौरे	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरे पर वृक्षों की संख्या	खसरे का/के स्वामी	लगे हुए सर्वे क्रमांक के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					उत्तर— पूर्व— पश्चिम— दक्षिण—

8. ग्राम सभा का नाम, जिसमें खसरा स्थित है .....

9. ग्राम पंचायत का नाम, जिसमें खसरा स्थित है .....

10. योजना तैयार करने वाले चार्टर्ड फारेस्टर के ब्यौरे :—

चार्टर्ड फारेस्टर का नाम तथा पता (1)	नामांकन कार्यालय (2)	नामांकन क्रमांक (3)

11. योजना तैयार करने की तारीख—

(क) प्रारंभ की तारीख ..... (ख) पूर्ण होने की तारीख .....

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

निवासी ..... एतद्द्वारा मेरे उक्त खसरा (पैरा 7 में उपदर्शित) के लिए लोक वानिकी अधिनियम, 2001 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई प्रबंधन योजना को मंजूर करने के लिए मेरा अनुरोध प्रस्तुत करता हूं.

मैं प्रमाणित करता हूं कि मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जा रही प्रबंधन योजना मेरे द्वारा चार्टर्ड फॉरेस्टर को जिसका नाम पैरा 8 में उपदर्शित किया गया है, दी गई सत्य जानकारी तथा दस्तावेजों पर आधारित है. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि योजना से संलग्न किये गये दस्तावेज, भूमि तथा उस पर खड़े वृक्षों पर मेरे विधिक स्वामित्व से संबंधित मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं. मैंने व्यक्तिगत रूप से स्वयं का समाधान कर लिया है कि प्रस्तावित प्रबंधन योजना, इस आवेदन पत्र के पैरा 7 में उल्लिखित क्षेत्र को ही लागू होती है तथा इसमें ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट नहीं है जिसका मेरे विधिक कब्जे से बाहर निकटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव हो.

इस आवेदन पत्र के माध्यम से मैं यह भी वचन देता हूं कि उन सभी नियमों तथा विनियमों का पालन करूंगा, जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रबंधन योजना मंजूर की जाएगी.

साक्षी : (पूरा नाम तथा पता सहित)

1. .....

2. .....

भूमिस्वामी का नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख .....

स्थान .....

टीप : यह प्ररूप तीन प्रतियों में भरा जाएगा.

1. इस आवेदन पत्र की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करते समय कार्यालय की मुद्रा लगाने तथा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के बाद आवेदक को वापस कर दी जाएगी.

2. इस आवेदन पत्र की दो प्रतियां सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाएगी. इन दो प्रतियों में से एक प्रति लोक वानिकी अधिनियम 2001 की धारा 4 तथा उसके अधीन नियमों के अधीन जिला कलेक्टर को भेजे जाने वाले संसूचना-पत्र से संलग्न की जाएगी.

प्ररूप-2

[नियम 5(2) देखिए]

लोक वन के लिए तैयार की गई प्रबंधन योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

1. ग्राम पंचायत/ग्राम सभा का नाम, जिसकी ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है .....

.....

जनपद पंचायत, जिसमें स्थित है. .....

2. आवेदक का नाम और पद .....

3. पिता/पति का नाम .....

4. डाक का वर्तमान पता .....

सील ..... राजस्व उपखण्ड .....

तस थाना ..... जिला .....

स्व भूमि के ब्यौरे, जिसके लिए योजना बनाई गई है—

ग्राम/पटवारी हलका क्रमांक/ खसरा क्रमांक तथा अवस्थिति संबंधी अन्य ब्यौरे	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरे पर वृक्षों की संख्या	लगे हुए सर्वे क्रमांकों के ब्यौरे	कोई अन्य ब्यौरे
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			उत्तर= पूर्व= पश्चिम= दक्षिण=	

7. जिला कलेक्टर का आदेश क्रमांक तथा दिनांक, जिसके द्वारा क्षेत्र, लोक वन के रूप में प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को सौंपा गया : .....

8. ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प के ब्यौरे, जिसके द्वारा आवेदक को उनकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है .....

.....

9. योजना तैयार करने वाले चार्टर्ड फारेस्टर के ब्यौरे :—

चार्टर्ड फारेस्टर का नाम तथा पता	नामांकन स्थान और कार्यालय	नामांकन क्रमांक
(1)	(2)	(3)

10. योजना तैयार करने की तारीख—

(क) प्रारंभ होने की तारीख ..... (ख) पूर्ण होने की तारीख .....

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....

ग्राम पंचायत/ग्राम सभा ..... द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में उसकी ओर से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नाम निर्देशित किया गया हूं, एतद्द्वारा, लोक वन के रूप में प्रबंधन किए जाने के लिए प्रस्तावित राजस्व क्षेत्र (पैरा 6 में उपदर्शित) के लिए लोक वानिकी अधिनियम, 2001 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाई गई वैज्ञानिक प्रबंधन योजना के अनुमोदन के लिए मेरा अनुरोध प्रस्तुत करता हूं.

मैं, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा ..... की ओर से प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन पत्र के पैरा 6 में दर्शाया गया क्षेत्र लोक वन के रूप में प्रबंधन हेतु जिला कलेक्टर द्वारा पूरी तरह सीमांकित कराया जाकर ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को सौंप दिया गया है.

मैं, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा ..... की ओर से यह भी प्रमाणित करता हूं कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की

जा रही प्रबंधन योजना चार्टर्ड फारेस्टर को, जिसका नाम पैरा क्रमांक 9 में उल्लिखित है, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा दी गई सत्य जानकारी तथा दस्तावेजों पर आधारित है. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि योजना से संलग्न किए गए दस्तावेज, भूमि के तथा उस पर खड़े वृक्षों के विधिक स्वामित्व के मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं. मैंने स्वयं का व्यक्तिगत रूप से समाधान कर लिया है कि प्रस्तावित प्रबंधन योजना इस आवेदन पत्र के पैरा 6 में उल्लिखित क्षेत्र पर ही लागू होती है तथा इसमें ऐसीकोई बात अंतर्विष्ट नहीं है जिसका प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्रों पर पड़ता हो.

इस आवेदन पत्र के माध्यम से मैं यह भी वचन देता हूं कि ग्राम पंचायत/ग्राम सभा .... की ओर से कार्य करते हुए उन सभी नियमों तथा विनियमों का पालन करूंगा, जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रबंधन योजना अनुमोदित की जाएगी.

साक्षी (पूरा नाम तथा पता सहित)

1. ....

2. .... ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम तथा हस्ताक्षर

तारीख . . . .

स्थान ....

टीप :— यह प्ररूप तीन प्रतियों में भरा जाएगा :—

1. इस आवेदन पत्र की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करते समय कार्यालय की मुद्रा तथा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात आवेदक को वापस कर दी जाएगी.

2. इस आवेदन पत्र की दो प्रतियां, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाएंगी. इन दो प्रतियों में से एक प्रति लोक वानिकी अधिनियम 2001 की धारा 4 तथा उसके अधीन नियमों के अधीन, जिला कलेक्टर को भेजे जाने वाले सूचना पत्र से संलग्न की जाएगी.

प्ररूप-3

[नियम 5(6) देखिए]

सक्षम प्राधिकारी का आदेश (भूमि स्वामी क्षेत्र के लिए)

कार्यालय की मुद्रा

आदेश क्र. . . . . . . .दिनांक. . . . .

श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
निवासी .... **द्वारा उनके खाते के लिए प्रबंधन योजना के मंजूरी के संबंध में आवेदन पत्र**
दिनांक . . . . .के संदर्भ में निम्नलिखित विनिश्चय किया गया है :

आवेदक की .... जिले के राजस्व उपखण्ड .... की तहसील .... के ग्राम .... के खसरा क्रमांक .... के लिए प्रबंधन योजना, एतद्द्वारा, दिनांक .... से प्रारंभ और .... को समाप्त होने वाले .... वर्ष की कालावधि के लिए इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची-दो में संगणित शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन अनुमोदित की जाती है.

इस अनुमोदित प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन . . . . . द्वारा मानीटर किया जाएगा.

तारीख :

स्थान : सक्षम प्राधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

प्ररूप-4

[नियम 5(6)देखिए]

लोक वन के लिए सक्षम प्राधिकारी का आदेश

कार्यालय की मुद्रा

आदेश क्र. . . . . .दिनांक. . . . . .

. . . . . ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की ओर से श्री/श्रीमती . . . . . पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री . . . . . निवासी . . . . . द्वारा लोक वन के रूप में प्रबंधन किए जाने वाले राजस्व क्षेत्र हेतु प्रबंधन योजना की मंजूरी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक . . . . . के संदर्भ में निम्नलिखित विनिश्चिय किया गया है :

आवेदक की . . . . . जिले के राजस्व उपखण्ड . . . . . की तहसील . . . . . के ग्राम . . . . . के सर्वे क्रमांक . . . . . .के लिए प्रबंधन योजना, दिनांक . . . . . से प्रारंभ और दिनांक . . . . . .को समाप्त होने वाले . . . . . वर्ष की कालावधि के लिए इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची तीन में संगणित शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन एतद्द्वारा मंजूर की जाती है.

इस मंजूर की गयी प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन . . . . . .द्वारा मानीटर किया जाएगा.

तारीख :

स्थान : सक्षम प्राधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

प्ररूप-5

[नियम 8(3)देखिए]

चार्टर्ड फारेस्टर के रूप में नामांकन हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम . . . . . .
2. पिता/पति का नाम . . . . . .
3. जन्म तारीख . . . . . .
4. वर्तमान डाक पता . . . . . .

5. स्थाई पता .....

फोन नं. .....

फैक्स नं. .....

ई-मेल .....

6. शैक्षणिक अर्हता के ब्यौरे :

अनु. क्र. (1)	उपाधि (2)	वर्ष (3)	संस्था (4)

(प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें)

7. व्यावसायिक अर्हता तथा कार्य अनुभव के ब्यौरे :—

अनु. क्र. (1)	अर्हता/अनुभव की प्रकृति (2)	कालावधि के ब्यौरे (3)

8. **प्रवर्ग.**—जिसका आवेदक है [नियम 8(1) देखिए] उपयुक्त खाने में (×) चिन्ह लगायें.

(क) व्यक्ति जिसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वानिकी में स्नातक उपाधि या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से वन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, साथ ही वनों की योजना तथा प्रबंधन में कम से कम तीन वर्ष का फील्ड का अनुभव हो.

(ख) सेवानिवृत्त वन अधिकारी, जो वन क्षेत्रपाल से निम्न पद श्रेणी के न हों या मध्यप्रदेश वन विकास निगम के समकक्ष अधिकारी.

(ग) कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा गैर सरकारी संगठन, जिसमें उपरोक्त उपनियम (क) तथा (ख) में यथावर्णित अर्हता रखने वाले सदस्य हों.

(घ) कोई सेवारत अधिकारी जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म. प्र. या राज्य स्तर पर भारसाधक अधिकारी लोक वानिकी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो.

घोषणा

मैं/हम ..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमनें, मध्यप्रदेश लोकवानिकी अधिनियम, 2001 एवं उसके अधीन चार्टर्ड फारेस्टर संबंधी नियमों के उपबन्धों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने हेतु सहमत हूं/हैं. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम, 2002 के नियम 8 के उपनियम (1)/(2) में यथा अधिकथित पात्रता संबंधी मानदण्ड की पूर्ति करता हूं/करते हैं.

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस प्ररूप में प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही तथा सत्य है और मैंने/हमनें इस प्रस्ताव से संबंधित किसी सारवान तथ्य को छिपाया या दबाया नहीं है.

मैं/हम चार्टर्ड फारेस्टर के व्यवसाय तथा आचरण को शासित करने वाले किन्हीं नियमों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं और एतद्द्वारा चार्टर्ड फारेस्टर के रूप में मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण के लिए एतद्द्वारा अनुरोध करता हूं/करते हैं.

मैं/हम, एतद्द्वारा, चार्टर्ड फारेस्टर के लिए आचार संहिता का पालन करने को सहमत हूं/हैं और चार्टर्ड फारेस्टर के रूप में मेरे/हमारे नामांकन के लिये अनुरोध के साथ उसे शपथ पत्र दिनांक . . . . . .पर संलग्न करता हूं/हैं.

संलग्न :—(1) शपथ पत्र, जिसमें संलग्नक-1 में संगणित ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं .....

(2) आवेदन फीस के भुगतान के ब्यौरे .....

(3) पैरा 6 एवं 7 से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां .....

स्थान: आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

संलग्नक-एक

शपथ-पत्र

चार्टर्ड फारेस्टर के लिये आचार संहिता की स्वीकृति

[नियम 8 (2 और 3) के अधीन प्ररूप-5 के साथ पठित]

मैं/हम, श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... आयु . . . . . **वर्ष**, निवासी ..... एतद्द्वारा शपथपूर्वक कथित करता हूं कि नामांकित चार्टर्ड फारेस्टर के रूप में मेरी/**हमारी सेवाएं** किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था/शासन या सोसाइटी को देते समय मैं/हम:—

(1) मध्यप्रदेश लोकवानिकी अधिनियम, 2001 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और सुसंगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करूंगा/करेंगे.

(2) राष्ट्र और वानिकी व्यवसाय के प्रति अपनी निष्ठा संदेह से परे रखूंगा/रखेंगे और निर्विवाद रूप से प्रतिबद्धता बनाए रखूंगा/रखेंगे.

(3) अपने वानिकी ज्ञान, कौशल तथा अनुभव का उपयोग अच्छे कार्य के लिए और वानिकी, वन नीतियों और वनों में बसे जन समुदाय के प्रति जन-साधारण में संवेदनशीलता उत्पन्न करने में करूंगा/करेंगे.

(4) केवल उन्हीं मानचित्रों, दस्तावेजो तथा प्रबंधन योजनाओं को प्रमाणित या अभिप्रमाणित करूंगा/करेंगे, जो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही होंगी या मेरे व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में तैयार की गई होंगी और जो क्षेत्र के बारे में व्यक्तिशः सत्यापित की हुई होंगी.

(5) मेरे/हमारे मुवक्किल को कोई ऐसा कार्य करने के लिए गलत मार्गदर्शन नहीं दूंगा/देंगे या दुप्रेरित नहीं करुंगा/करेंगे जो पारिस्थितिकता से सही करार नहीं दिया जा सकता है या तकनीकी रूप से साध्य नहीं है.

(6) केवल वहीं तकनीकी कार्य हाथ में लेना स्वीकार करूंगा/करेंगे जिसे करने का पर्याप्त तकनीकी ज्ञान एवं कौशल मेरे/हमारे पास है. मैं/हम अपनी क्षमता के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर ऐसा कोई वानिकी कार्य हाथ में नहीं लूंगा/लेंगे जो मेरी/हमारी योग्यता से परे है.

(7) किसी अन्य चार्टर्ड फारेस्टर या अन्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा राष्ट्रीय वन नीति, वानिकी विधियों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों

का उल्लंघन करते हुए किए जा रहे किन्हीं अन्य क्रियाकलापों या बातों की जानकारी मिलने पर उसकी सूचना संबंधित वन अधिकारियों को दूंगा/देंगे.

(8) अन्य चार्टर्ड फारेस्टरों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा नहीं रखूंगा/रखेंगे. अन्य चार्टर्ड फारेस्टर द्वारा किये जा रहे कार्य को तब तक अपने हाथ में नहीं लूंगा/लेंगे, जब तक कि या तो वह कार्य को पूरा कर पाने में असमर्थ हो या उसने कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया हो.

(9) ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा/करेंगे, जिससे वानिकी व्यवसाय या चार्टर्ड फारेस्टर की विश्वसनीयता या प्रतिष्ठा कम होती हो.

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक .....

(नाम .....)

प्ररूप-6

[नियम 8(4) देखिए]

चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश
शासन की मुद्रा

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी .....
..... (स्थायी पता) ..... को मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन चार्टर्ड फारेस्टर के रूप में एतद्द्वारा नामांकित किया जाता है.

इनका नामांकन क्रमांक ..... है.

यह नामांकन, लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 8 के निर्बंधनों तथा शर्तों के अधीन है.

थान .....

नांक .....

नामांकन अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम .....)

कार्यालय की मुद्रा

क्र. 2

प्ररूप-7

[नियम 8(4)देखिए]

चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन रजिस्टर

अ. क्र.	नामांकित चार्टर्ड फारेस्टर का नाम/पिता का नाम	नामांकन फीस के भुगतान की धनप्राप्ति की रसीद क्र./चालान क्र.	अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)

~~नामांकन का~~ दिनांक	नामांकन की वर्तमान स्थिति (प्रतिवर्ष अद्यतन की जाती है)	टिप्पणी	नामांकन अधिकारी के हस्ताक्षर
(5)	(6)	(7)	(8)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. एफ-25-46-98-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनु खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 25-46-98-दस-2, दिनांक 16 दिसम्बर 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH LOK-VANIKI RULES-2002

Bhopal, the 16th December 2002

No. F-25-46-98-X-2.—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title, commencement and application.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Lok Vaniki Rules, 2002.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

(3) These rules shall apply to such private and revenue areas, which the Bhumiswami, the Gram Panchayat or the Gram Sabha, as the case may be, voluntarily intends to mannage as tree-clad area.

2. **Definitions.**—In these Rules, unless the context otherwise requires :—

(a) 'Act' means the Madhya Pradesh Lok vaniki Adhiniyam 2001 (No. 10 of 2001);

(b) 'Code' means the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959);

(c) 'DFO' means Divisional Forest Officer having territorial jurisdiction;

(d) 'Enrolment Officer' means the Divisional Forest Officer having territorial jurisdiction.

(e) 'Forest Ranger' means the Forest Range Officer having Territorial jurisdiction.

(f) 'Gram Sabha' and 'Gram Panchayat' shall have the same meaning as assigned to them in Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(g) 'Lok Van' means a piece of revenue land handed over to a Gram Panchayat or Gram Sabha as tree clad area for the purpose of scientific management and for which a management plan has been prepared under the provisions of these Rules;

(f) 'Management Plan' means a scietific plan prepared for a revenue or private tree-clad area under these rules.

3. Application for Management under Lok Vaniki.—(1) A Bhumiswami, who wants to undertake management of a tree-clad area shall submit an application to the Forest Ranger or to any Forest Officer authorised by the DFO.

(2) In a Gram Panchayat or a Gram Sabha wants to undertake the management of any tree-clad revenue land located within its jurisdiction, the concerned Gram Sabha or Gram Panchayat, as the case may be, will apply to the Sub-Divisional Officer (Revenue) to demarcate and hand-over the area to them to be managed as 'Lok Van'. The Sub-Divisional Officer (Revenue) shall decide the application within a period of 30 days. If the Sub-Divisional Officer (Revenue) decides in favour of the applicant, then he shali get the land demarcated and hand over the land to the concerned Gram Sabha or Gram Panchayat within a period of 15 days from the date of taking decision. After taking the possession of the land, the Gram Panchayat or the Gram Sabha, as the case may be, shall submit an application to the Forest Ranger or any Forest Officer authorised by the DFO for scientific management as tree-clad area.

(3) The application under sub-rule (1) and (2) shall be accompanied by a declaration about the land ownership or possession of land as the case may be with relevant record.

(4) The Forest Range Officer shall send a copy of the declaration to the Patwari within 15 days of the receipt of the application who shall verify the claim from revenue records and give the certificate within 15 days. If the Patwari fails to give the certificate with in the prescribed time, the declaration given by the Bhumiswami shall be deemed as correct. Subsequently if may discrepancy is detected in such records, the Patwari and the person who has given the declaration shall be held responsible for the same and punishable under the relevant law.

23

(5) If the boundary is contiguous with the forest land the Forest Range Officer shall satisfy himself about the boundary.

(6) The Forest Ranger shall intimate the Bhumiswami or the Gram Panchayat or the Gram Sabha as the case may be, within a period of 45 days from the receipt of application as per sub-rule (3) about the certification of records. If no such intimation is received within a period of 60 days from the date of submission of application as per sub-rule (3), the records so submitted shall be deemed to be accepted as correct.

4. **Preparation of Management Plan**.—(1) After compliance of the procedure laid down in rule 3, the Bhumiswami, Gram Panchayat or the Gram Sabha as the case may be, shall have to get a management plan prepared for the same area.

(2) The management plan for a tree-clad area shall be prepared by a Chartered Forester as enrolled under rule-8.

(3) The management plan shall be prepared keeping in view the social, economic and environmental roles.

(4) The management plan shall specify the following issues, namely :—

(a) Ensuring sustainable production of timber and / or other forest products;

(b) Encouraging and protecting natural regeneration and / or planting of suitable species;

(c) Felling of mature, over mature, dry and diseased trees and removal of wind fallen trees;

(d) Thinning and pruning;

(e) Improving the health and vitality of the crop; and

(f) Ensuring soil and moisture conservation.

(5) The management plan shall be prepared in format given in schedule-I for a period of 10 years.

5. **Sanction of the Management Plan** .—(1) The application for sanction of a management plan prepared for private areas shall be submitted to the DFO in Form-1 along-with 5 copies of management plan.

(2) The application for sanction of a management plan prepared for revenue areas proposed to be managed as 'Lok Van' shall be submittd in Form-2 along-with 5 copies of management plan. The application in such cases shall be submitted to the DFO by an authorised representative of the concerned Gram Panchayat or Gram Sabha along-with a resolution of the Gram Panchayat or the Gram Sabha, as the case may be, for the sanction of the plan.

(3) The Competent Authority shall have powers to inspect the plan area himself or through his authorised representative, to verify the validity of any prescriptions made in the management plan. Based on such action, the Competent Authority may suggest certain amendments in the proposed management plan. In such case, the applicant/ chartered forester shall submit the revised plan incorporating the amendments suggested by the competent authority.

(4) The Competent Authority for sanctioning the management plan shall be the DFO. In case where the management plan area exceeds 10 hectares, the Competent Authority shall submit the management plan with his opinion to the Ministry of Environment and Forest, Government of India for approval through the State Government within 30 days after the receipt of management plan.

(5) The Competent Authority shall take decision regarding the sanction of management plan within 30 days if the management plan area is upto 10 hectares and in case where the management plan area exceeds 10 hectare, the competent authority after receiving the approval as required in sub-rule (4) shall issue the sanction order of the management plan within 7 days.

(6) The Competent Authority shall pass an order of sanction for a management plan of private area in Form 3 and for a Lok Van in Form 4. Conditions for the implementation of the management plan may be specified in schedule-II/III of the sanction order.

(7) After having sanctioned the management plan, the Competent Authority shall send a copy of the sanctioned plan along with sanction order to the concerned Bhumiswami, Gram Panchayat or Gram Sabha as the case may be with intimation to the concerned chartered forester. A copy of the sanction order along with a copy of the sanctioned management plan shall also be endorsed to the concerned Sub-Divisional Officer (Revenue) for intimation and for the purpose of entry into the land record under sub-section(2) of Section 114-A of the Code, as provided under Section-4 of the Act.

(8) In case the Competent Authority denies the sanction of the management plan, he shall record the reasons of denial and such order shall be communicated to the applicant.

(9) If the management plan area is upto 10 hectares, an appeal against the order under sub-rule (8), shall lie before the Conservator of Forests having territorial jurisdiction. Such appeal against the order of the competent authority can be preferred within 30 days of the receipt of the denial order. The Conservator of Forests, after hearing the chartered forester and the concerned bhumiswami/representative of Gram Panchayat or Gram Sabha, shall decide the appeal within 60 days. The decision of the Conservator of Forests shall be final and binding. This decision shall be communicated to the applicant in writing and a copy shall be endorsed to the Competent Authority.

6. **Implementation of the Management Plan** .—(1) Every Bhumiswami, Gram Panchayat or Gram Sabha, as the case may be, after having received the sanctioned management plan from the competent authority, shall implement the management plan as per the prescriptions and conditions.

(2) The Gram Panchayat or the Gram Sabha may authorise Sarvajanic Sampada Samiti of the Gram Sabha for implementation of the plan prescriptions for 'Lok Van'.

(3) The Bhumiswami, the Gram Panchayat or Gram Sabha as the case may be, shall give an intimation regarding the proposed date of felling of trees in the plan area to the concerned Forest Ranger and Tehsildar. This intimation shall be given at least 7 days before the proposed date of felling of trees.

(4) The person implementing the management plan shall maintain a felling register in format as prescribed in the management plan.

(5) Transport of forest produce obtained from felling operation in accordance with the approved management plan shall be subject to the provisions of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000.

(6) Disposal of a forest produce declared as a specified forest produce under the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 shall be subject to the rules framed in this behalf.

(7) All operations prescribed in the management plan shall be completed within the specified time. If any operation prescribed in the plan is not executed due to some unforeseen reasons, further implementation of the plan shall remain suspended till such time the operations prescribed for the previous year are completed.

7. **Monitoring of the Management Plan Implementation**.—(1) For each development block or a part thereof the Implementation of approved management plans shall be monitored by a committee constituted by the Competent Authority under the chairmanship of Territorial Range Officer and will comprise a Non-Government Individual or Organization, a representative each from the Revenue Department and a Gram Panchayat or a Gram Sabha as the case may be. The committee shall report its observations and recommendations to the Competent Authority. The State Government, wherever necessary, may authorise any official, body or agency to monitor the implementation of such plan for a specified area or period.

(2) The DFO shall take cognizance of the contravention, if reported. On receiveing the report, the DFO or the officer authorised by him, shall refer the matter to the Sub-Divisional Officer (Revenue) for further action as provided in rule 10.

8. **Enrolment of Chartered Forester**.—(1) The following persons/category of persons shall be eligible to be

considered for enrolment as Chartered Forester :—

(a) Persons with bachelor's degree in forestry from a recognised university/institution, or post graduate diploma in forest management from the Indian Institute of Forest Management, having field experience of at least three years in planning and management of forests.

(b) Retired Forest Officers, not below the rank of Forest Ranger, or equivalent officers of Madhya Pradesh Forest Development Corporation.

(e) A registered society or a non-Government organisation consisting of members having qualifications as mentioned in sub-rule (a) and (b) above.

(2) Any serving Forest Officer of the Government of Madhya Pradesh not below the rank of Forest Ranger shall be deemed to be a chartered forester.

(3) Any person or group of persons fulfilling criteria as per sub-rule (1) above may apply for enrolment as a Chartered Forester in Form 5 with an Affidavit annexed to these rules along with non-refundable application fee of Rs. 1000/-.

(4) The Enrolment Officer shall enrol the person fulfilling the criteria laid down in sub-rule (1) above within a period of 15 days from the date of receipt of the application in his office. He shall issue an Enrolment Certificate in Form 6 and maintain an Enrolment Register in Form 7 annexed to these rules. A copy of enrolment certificate issued shall be sent to the Officer in charge Lok Vaniki at the State Level every quarter who shall get the updated list displayed at the website of the Forest Department.

(5) In case the applicant is denied enrolment, the Enrolment Officer shall communicate in writing the grounds of denial to the applicant. The appeal against the denial of enrolment shall lie before the Officer in charge Lok Vaniki at the State Level whose decision shall be final and binding.

(6) The enrolment of a Chartered Forester shall be valid until it is terminated by a specific order issued by the Enrolment Officer.

(7) The enrolment of a Chartered Forester shall be liable for termination by the Enrolment Officer on grounds of : (a) gross professional misconduct, or (b) a self written request by the enrolled Chartered Forester.

(8) The Enrolment Officer, before terminating any enrolment, on ground of misconduct, shall serve the concerned Chartered Forester with a show cause notice and provide him full opportunity for explaining his/her stand.

(9) An appeal against such termination shall lie before the Officer in charge Lok Vaniki at the State Level. Such an appeal can be preferred within a period of 45 days from the date of order of the enrolment officer and the decision of the Officer in charge Lok Vaniki at the State Level shall be final and binding.

9. **Duties and remuneration of the Chartered Forester.**—(1) The charatered forester shall be responsible for the following :—

(a) Preparation of the management plan; and
(b) Obtain its sanction from the competent authority.

(2) The Chartered forester shall receive remuneration of amount of Rs. 1000 or 6% of the amount received during the Ist year of sale of forest produce by the Bhumiswami/Gram Panchayat or Gram Sabha, which ever is more. However, if the management plan is prepared by the Chartered forester authorised as per sub rule (2) of Rule 8, the remuneration payable shall be deposited by the Bhumiswami/Gram Panchayat or the Gram Sabha as the case may be, to the State Government.

10. **Punishment for contravention.**—(1) The Sub-Divisional Officer (Revenue) on receiving the information

about the contravention of an approved management plan from the concerned Forest Ranger/Competent Authority the Officer authorised by him, shall issue a show cause notice to the concerned Bhumiswami, or the Gram Panchayat or the Gram Sabha, as the case may be and give a reasonable time for filing the reply to the notice.

(2) If the concerned Bhumiswami or the Gram Panchayat or Gram Sabha as the case may be, fails to submit the reply of the show cause notice, within the specified time limit or after due consideration of the reply to show-cause notice, the Sub Divisional Officer (Revenue) may decide the case within a period of 30 days as per the provisions of Section 8 of the Act.

11. **Appeal.**—(1) Appellate Authority, for considering the appeal against an order passed by the Sub-Divisional Officer (Revenue) under Section 8 of the Act shall be the District Collector.

(2) The application for appeal shall be received by the Reader of the Collector and will be processed as per procedure laid down in the Code.

(3) Every appeal shall be accompanied by relevant documents of the case along with the order of the Sub-Divisional Officer (Revenue) against which the appeal is preferred and a non-refundable fee of Rs. 100/- payable through a Treasury challan or Demand draft.

(4) The Appellate Authority shall hear the parties of the appeal in person or thourgh any agent duly authorised in writing by the applicant and shall decide the appeal within 60 days from the date of receipt of the application.

(5) Copies of the order passed by the Appellate Authority shall be sent to the concerned Sub-divisional Officer (Revenue) for compliance, or for passing such further order, as may be directed by the Appellae authority.

SCHEDULE-I

[*See* rule 4 (5)]

STANDARD FORMAT OF MANAGEMENT PLAN FOR A PRIVATE TREE CLAD AREA/PRIVATE FOREST AND LOK VAN

PART-ONE

Objectives, The Tract Dealt with and the crop

Chapter 1 : Objectives of the Management Plan

Chapter 2 : Introduction to the village

Chapter 3 : Introduction to the private tree clad area/private forest/Lok Van

(*Based on information furnished by the Bhumi Swami/authorised representative of Gram Panchay Gram Sabha*)

3.1 General

3.2 Name/Fathers/Husband's Name of the Bhumiswami/authorised representative

3.3 Category (General/S.C./S.T./O.B.C)

3.4 Full Postal Address of the Bhumiswami

3.5 Ecomonic status of the Bhumiswami (in case of private areas only) (Details of agriculture, cat income etc.)

3.6 Patwari Halka No./Khasra No.

27

3.7 Revenue Inspector Circle/Tehsil

3.8 Location of the khasra

3.9 Area (Hectares)

3.10 Boundaries and Demarcation status

3.11 Legal status of ownership
(According to Khasra Panchasaala of Revenue Department)

3.12 Details of ownership of Khasra last 10 years.

3.13 Whether acquired as parental property or purchased

3.14 Topograhy (specially areas having slopes more than 25 degree)

3.15 Soil Type and depth

3.16 Distance of nearest Government Forest from the Khasra and its details (Type, compartment no., beat etc.)
(Whether boundary of holding of contiguous and to Govt. forest/other private forests/tree clad areas)

3.17 Availability of water in the tract

Chapter 4 : Description of the crop

4.1 Type of the crop

4.2 Site quality

4.3 Crop Density

4.4 Age class of the crop

4.5 The following stock

(a)	Top canopy	(b)	Middle story
(c)	Ground flora	(d)	Climbers
(e)	Grasses	(f)	Medicinal plants
(g)	Weeds	(h)	Non timber forest produce (NTFP)
(i)	Bamboo		

4.6 Stock Map (On Patwan Map)

(Vegetation type, site quality, density, age class, blanks etc.)

4.7 Natural forests/Plantation

(General description and current status)

4.8 History of the tract

(a) Previous harvest/plantations

(b) Outcome of the previous operations

4.9 Availability of bio-diversity

4.10 Injuries to which the crop is liable

Chapter 5 : Analysis and valuation of the crop

5.1 Specieswise No. of Trees, Volume & Value thereof (Abstract of Resource assessment record)

5.2 Result of Regeneration Survey

5.3 Availability of bamboo and grasses

5.4 Availability of NTFP/Medical Plants

5.5 Form Factor

5.6 Growth Rate

5.7 Marketing outlines

5.8 Market prices

PART-TWO

Summary of proposals

Chapter 1 : Scheme for future management

1.1 Management Proposals

1.2 Treatment prescriptions

1.3 Felling cycle/Rotation

1.4 Selection Girth

1.5 Determination of treatment class & Treatment map

1.6 Felling rules/rules for other treatment

(a) Trees, (b) Green flora, (c) Natural bamboos

1.7 Calculation of annual yield

Chapter 2 : Harvesting

2.1 Harvesting Plan

(a) Timber, (b) Fuel wood, (c) Bamboo, (d) Medicinal plants, (e) Grasses, (g) NTFP, (g) others.

2.2 Seasoning processing & preservation of forest produce

2.3 Proposed method for disposal of forest produce

(a) Timber, (b) Fuel wood, (c) Bamboo, (d) Grasses, (e) Medicinal plants, (g) NTFP, (g) others.

2.4 Subsidiary silvicultural operations

2.5 Thunning

2.6 Pruning

2.7 Harvest of dead, wind fallen trees

Chapter 3 : **Plantations**

3.1 Gap planting
3.2 Teak plantations
3.3 Bamboo plantations
3.4 Plantation of other species

Chapter 4 : **Protection and rehabilitation measures**

4.1 Protection from Grazing
4.2 Fire protection
4.3 Others
4.4 Bio-diversity conservation

Chapter 5 : **Anticipated average annual expenditure and income**

Chapter 6 : **Format of marking record, felling register (See rule 6 (4) of the Lok Vaniki Rules 2002)**

Chapter 7 : **Monitoring and Evaluation of implementation of management plan (See rule 7 of Lok Vaniki Rules 2002)**

Chapter 8 : **Safeguards suggested by the competent authority if the plan area is adjacent to a Government forest.**

DOCUMENT TO BE ENCLOSED WITH THE MANAGEMENT PLAN

1. Patwari Map of the Khasra in which adjoining survey numbers are also known
2. Land ownership documents
3. Demarcation certificate if required
4. Stock Map
5. Bhumiswami's written consent (consent of all the partners in case of joint holding)
6. Results of Survey/assessment Reports if any.

(Signature of the applicant)

SCHEDULE-II

[*See* rule 5 (6)]

(Read with From No. 3)

(A) Conditions/restrictions subject to which, this plan is being approved

1. The implementation of the management plan shall be done in accordance with rule 6 of Lok Vaniki Rules 2002 and any guidelines issued by the State Government in this regard from time to time. The Bhumiswami is advised to read and clearly understand these provisions before starting implementation of the approved plan.

2. Nothing shall be done, during the implementation of the plan, in contravention of any existing Act, Rules, guidelines and executive instructions issued by the Government from time to time.

3. The area shall be managed as per the plan prescriptions and the nature of use of land shall not be changed during the plan period.

(B) Conditions under which this sanction may be cancelled :

1. Violation of any conditions/restrictions mentioned in (A) above.
2. (Any other point as may be necessary in the opinion of the Competent Authority)
3. . . . . .

(C) Safeguards for protecting Government forests from illicit felling :

(To be provided necessarily if the proposed plan area is adjacent to any type of forest belonging to Government)

1. The burden of proof for establishing ownership of forest produce obtained from implementation of this management plan shall be on the Bhumiswami. (He should take necessary precautions and always be in position to establish beyond doubt that the forest produce being lifted from his khasra actually comes from trees legitimately felled as per the prescriptions of this plan and not from the adjoining Government forests.)
2. If the area has a part of its boundary contiguous to a Government Forest, the Bhumiswami shall be vigilant about the status of the boundary marks separating his holding from the Government Forest. He shall intimate immediately to the concerned forest range office if any damage or deteriorations in such boundary marks, (including boundary pillars or demarcation lines or coal-tar bands on trees) is observed by him. He shall also maintain in proper condition any such marks fixed by revenue authorities on his holding for the purpose of demarcation.
3. Special attention is attracted towards sub rule (7) of rule 6 of the Madhya Pradesh Lok vaniki Rules 2002 which reads. "All operations prescribed in the management plan shall be completed within the specified time. If any operation prescribed in the plan in not executed due to some unforeseen reasons, further implementation of the plan shall remain suspended till such time the operations prescribed for the previous year are completed."

Endorsement No. . . . . Dated . . . . . .

Copy forwarded to :

1. The District Collector . . . . . district for compliance of Section 1 (8) of the Lok Vaniki Adhiniyam 2001.
2. To Shri . . . . . (Name of the Bhumiswami)
3. To office incharge Lok Vaniki Forest Department Bhopal.

Signature of the Competent Authority

SCHEDULE-III

[*See* rule 5 (6)]

(Read with From No. 4)

(A) Conditions/restrictions subject to which, this plan is being approved

1. The implementation of the management plan for the Lok Van shall be done in accordance with rule 6 of Lok Vaniki Rules 2002 and any guidelines issued by the State Government in this regard, from time to time. The authorized representative of the Gram Panchayat/Gram Sabha is advised to read and clearly understand these provisions before starting implementation of the approved plan.

31

2. Nothing shall be done, during the implementation of the plan, in contravention of any existing Act, Rules, guidelines and executive instructions issued by the Government from time to time.

3. The area shall be managed as per the plan prescriptions and the nature of use of land shall not be changed during the plan period.

(B) **Conditions under which this approval may be cancelled :**

1. Violation of any conditions/restrictions mentioned in (A) above.

2. (Any other point as may be necessary in the opinion of the Competent Authority)

3.

(C) **Safeguards for protecting Government forests from illicit felling :**

(To be provided necessarily if the proposed plan area is adjacent to any type of forest belonging to Government)

1. The burden of proof for establishing ownership of forest produce obtained from implementation of this management plan shall be on the Gram Panchayat/Gram Sabha. (The concerned Gram Panchayat/Gram Sabha should take necessary precautions and always be in position to establish beyond doubt that the forest produce being lifted from the Lok Van actually comes from trees legitimately felled as per the prescriptions of this plan and not from the adjoining Government forests.)

2. If the area has a part of its boundary contiguous to a Government Forest, the Gram Panchayat/Gram Sabha shall be vigilant about the status of the boundary marks separating his holding from the Government Forest the authorized representative shall intimate immediately to the concerned forest range office if any damage or deteriorations in such boundary marks, (including boundary pillars or demarcation lines or coal-tar bands on trees) is observed by him. The concerned Gram Panchayat/Gram Sabha shall also maintain in proper condition any such marks fixed by revenue authorities on the holding for the purpose of demarcation.

3. Special attention is attracted towards sub rule (7) of rule 6 of the Madhya Pradesh Lok Vaniki Rules 2001 which reads. "All operations prescribed in the management plan shall be completed within the specified time. If any operation prescribed in the plan in not excuted due to some unforeseen reasons, further implementation of the plan shall remain suspended till such time the operations prescribed for the previous year are completed."

Endorsement No. . . . . Dated . . . . . .

Copy forwarded to :

1. The District Collector . . . . . district for compliance of Section 4 (8) of the Lok Vaniki Adhiniyam 2001.

2. To Shri . . . . . (Name of the Authorized Representative of the Gram Panchayat/ Gram Sabha)

3. To office incharge Lok Vaniki Forest Department Bhopal.

Signature of the Competent Authority

FORM NO.-1

[See Rules 5 (1)]

Application for Sanction of a Management Plan for a Bhumiswami Area
(To be filled in triplicate)

1. Applicant's name . . . . . .

2. Father's/Husband's name . . . . . .

3. Current Postal Address . . . . . .

4. Tehsil . . . . . .Revenue Sub Division. . . . . .

5. Police station . . . . . .

6. District . . . . . .

7. Details of khasra for which plan has been prepared

Sl. No.	Village/Patwari Halka No./Khasra No. & other location details	Area (Hectares)	No. of trees on Khasra	Owner (s) of the khasra	Details of adjoining survey number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					North = East = West = South =

8. Name of the Gram Sabha in which Khasra is located . . . . . .

9. Name of the Village Panchayat in which Khasra is located . . . . . .

10. Details of the Chartered Forester who has prepared the plan . . . . . .

Name and Address of the Chartered Forester	Enrolment Office	Enrolment No.
(1)	(2)	(3)

11. Dates of plan preparation (a) started on . . . . . (b) completed on . . . . . .

I . . . . . S/o / D/o / W/o Shri . . . . . resident of . . . . . hereby submit my request for sanctioning of management plan prepared for my said khasra (indicated in para 7) as per the provisions of Lok Vaniki Adhiniyam 2001 and rules thereunder.

I certify that the management plan being submitted for Sanction is based on true information and documents furnished by me to the Chartered Forester whose name has been indicated in para 8. I also certify that documents appended to the plan are true copies of the original documents of my legal ownership of land and trees standing thereon. I have personally satisfied myself that, the proposed management plan applies only to the area mentioned in para 7 of this application and it does not contain anything, which may have any impact, on adjoining areas outside my legal possession.

33

Through this application, I also give an undertaking that I shall abide by all rules and regulations subject to which the management plan shall be sanctioned.

Witness : 1.
(with full name 2.
and address)

Name & signature of the Bhumiswami

Date :

Place :

N. B. : This form shall be filled in triplicate.

1. A copy of this application shall be returned back to the applicant while admitting the application in the office of the competent authority, after putting the seal of the office and date of receipt.

2. Two copies of this application shall be retained in the office of the competent authority. One out of these two copies shall be annexed to the intimation letter sent to the District Collector under Section 4 of Lok Vaniki Adhiniyam 2001 and the Rules thereunder.

FORM NO.-2
[See Rule 5 (2)]

Application for Sanction of a Management Plan prepared for a Lok Van
(To be filled in triplicate)

1. Name of the Gram Panchayat/Gram Sabha on whose behalf the application is being submitted . . . . . Located in Janpad Panchayat . . . . . .

2. Applicant's name and Post . . . . . .

3. Father's/Husband's name . . . . . .

4. Current Postal Address . . . . . .

5. Tehsil . . . . . .Revenue Sub Division. . . . . .

6. Police station . . . . . District . . . . . .

7. Details of revenue land for which plan has been prepared

Sl. No.	Village/Patwari Halka No./Khasra No. & other location details	Area (Hectares)	No. of trees on Khasra	Details of adjoining survey numbers	Any other details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				North = East = West = South =	

8. No. and date of District Collector's Order vide which the area has been handed over to the Gram Panchayat/ Gram Sabha for management as Lok Van . . . . . .

9. Details of Resolution passed by the Gram Panchayat/Gram Sabha vide which the applicant has been authorised to act on their behalf . . . . . .

10. Details of the Chartered Forester who has prepared the plan . . . . . .

Name and Address of the Chartered Forester (1)	Enrolment Place & Office (2)	Enrolment No. (3)

11. Dates of plan preparation (a) started on . . . . . (b) completed on . . . . . .

I . . . . . S/o / D/o / W/o Sri . . . . . resident of . . . . . being the authorized person nominated by the Gram Panchayat/Gram Sabha to act on their behalf for submitting this application, hereby submit my request for approval of scientific management plan prepared for the revenue area proposed to be managed as Lok Van (indicated in para 6) as per the provisions of Lok Vaniki Adhiniyam 2001 and rules thereunder.

I certify, on behalf of the Gram Panchayat/Gram Sabha . . . . . that the area indicated in para 6 of this application has been fully demarcated and handed over to the Gram Panchayat/Gram Sabha by the District Collector to be managed as Lok Van.

I also certify, on behalf of the Gram Panchayat/Gram Sabha . . . . . that the management plan being submitted for approval is based on true information and documents furnished by the Gram Panchayat/Gram Sabha to the Chartered Forester whose name has been indicated in para 9, I also certify that documents appended to the plan are true copies of the original documents of legal ownership of land and trees standing thereon. I have personally satisfied myself that, the proposed management plan applies only to the area mentioned in para 6 of this application and it does not contain anything which may have any impact, on adjoining areas.

Through this application, I also give an undertaking that while acting on behalf of the Gram Panchayat/Gram Sabha . . . . . I shall abide by all rules and regulations subject to which the management plan shall be approved.

Witness : 1.
(with full name 2.
and address)

Name & signature of the Authorized Representative of Gram Panchayat/Gram Sabha . . . . . .

Date :

Place :

Seal of the Office of the Gram Sabha

N. B. : This form shall be filled in triplicate.

1. A copy of this application shall be returned back to the applicant while admitting the application in the office of the competent authority, after putting the seal of the office and date of receipt.

2. Two copies of this application shall be retained in the office of the competent authority. One out of these two copies shall be annexed to the intimation letter sent to the District Collector under Section 4 of Lok Vaniki Adhiniyam 2001 and the Rules thereunder.

35

FORM NO.-3
[See Rule 5 (6)]

Order of the Competent Authority
(For Bhumiswami area)

Order No. . . . . Date . . . . . .

Seal
of the Office

With reference to the application dated . . . . . ., of Shri . . . . . S/o/ D/o /W/o, Shri . . . . . , resident of . . . . . regarding Sanction of a management plan for his/her holding following decision is taken:

The management plan for khasra No. . . . . of Village . . . . . of Tehsil . . . . . of Revenue Sub-Division . . . . . of . . . . . District, belonging to the applicant is hereby Sanction for a period of . . . . . years commencing from . . . . . and terminating on . . . . . Subject to the conditions and restrictions enumerated in SCHEDULE-II annexed to this order.

The implementation of this Sanction management plan shall be monitored by . . . . . .

Name and Signature of the Competent Authority

Date :
Place :

FORM NO.-4
[See Rule 5 (6)]

Order of the Competent Authority for Lok Van

Order No. . . . . Date . . . . . .

Seal
of the Office

With reference to an application dated . . . . . submitted on behalf of . . . . . Gram Panchayat/ Gram Sabha, by Shri . . . . . ., S/o / D/o / W/o, Shri . . . . . , resident of . . . . . ., regarding sanction a management plan for a revenue area to be managed as Lok Van, following decision is taken:

The management plan for survey No. . . . . of Village . . . . . of Tehsil . . . . . of Revenue Sub-Division . . . . . of . . . . . District, belonging to the applicant is hereby

sanction for a period of ..... years commencing from ..... and terminating on ....., Subject to the conditions and restrictions enumerated in SCHEDULE-III annexed to this order.

The implementation of this sanction management plan shall be monitored by .....

.....

Name and Signature of the Competent Authority

Date :

Place :

FORM NO.-5
[See Rules 8 (3)]

Application for Enrolment as Chartered Forester

1. Applicant's Name - .....
2. Father/Husband's Name - .....
3. Date of Birth - .....
4. Current Postal Address - .....
5. Permanent Address - .....

.....

Phone No. .....

Fax No. .....

E-mail .....

6. Details of Educational Qualification*

Sl. No. (1)	Degree (2)	Year (3)	Institution (4)

(*Enclose copies of certificates)

7. Details of Professional Qualification and Work Experience

Sl. No. (1)	Nature of Qualification/Experience (2)	Period Details (3)

37

8. The category to which the applicant belongs [see rule 8(i) (put x mark in the appropriate box)]

(a) Persons with bachelor's degree in forestry from a recognised university/ institution, or post graduate diploma in forest management from the Indian Institute of Forest Management, having field experience of at least three years in Planning and Management of Forests.

(b) Retired Forest Officers, not below the rank of Ranger, or equivalent Officers of Madhya Pradesh Forest Development Corporation.

(c) A registered society or a Non-Government Organisation consisting of members having qualification as mentioned in sub-rule (a) and (b) above.

(d) Any serving Forest Officer authorised by the Principal Chief Conservantor of Forests, or Officer in charge of Lok Vaniki at the State level.

DECLARATION

I/We . . . . . hereby declare that I/we have read and understood the provisions of the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 and the rules thereunder pertaining to the chartered foresters and agree to abide them. I/We also declare that I/we fulfill the eligibility criteria as laid down in sub-rule (1)/ (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Lok Vaniki Rules 2002.

I/We also declare that information furnished in this form is correct and true the best of my/our knowledge and I/We have not concealed or suppressed any material fact pertaining to this proposal, I/We agree to abide by any rules and guidelines governing profession and conduct of chartered foresters and hereby request for my/our registration as a chartered forester. I/We hereby agree to the Code of Conduct for Chartered Foresters and enclose the same on an affidavit dated . . . . . with a request for my enrolment as Chartered Forester.

Encl.: (1) Affidavit containing details enumerated in attachment -1 . . . . . .

(2) Details of payment of application fees . . . . . .

(3) Certified copies of the documents related to para 6 & 7 . . . . . .

Place :
Date : Singature of the Applicant

AFFIDAVTT

Acceptance of Code of Conduct for Chartered Foresters

(Read with form No. 5 under Rule 8 (2 & 3)

I/We, Shri/Smt./Ms. . . . . S/o / D/o / W/o . . . . . .
Aged . . . . . .yrs, Resident of . . . . . .
. . . . . .
do hereby, under oath, state that while delivering my/our services as an enrolled chartered forester to an individual/ firm/institution/government of society I shall :

1. abide by the provisions of the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001, and the Rules made thereunder and the relevant guidelines.

2. keep my integrity beyond doubt and commitment to the nation and forestry profession unquestionable.

3. use my knowledge, skill and experience of forestry only for good cause and for creating a sensibility in public towards forestry, forest policies and forest dwelling communities.

4. certify or attest only those maps, document and management plans, which will be correct to the best of my knowledge or prepared under my personal supervision and verified personally with respect to the ground.

5. not misguide or abet my client to do anything that is ecologically unsustainable or technically not feasible.

6. accept to undertake only those technical assignments for which I posses the adequate technical knowledge and skills. I shall not undertake any forestry assignment beyond my capability by exaggerating my competence.

7. intimate the concerned forest officers, if any nefarious activities or any thing in contravention to national forest policy, forestry laws and guidelines, being done by any other chartered forester or any other person or institution, comes to my notice.

8. not enter into an unfair competition with other chartered foresters. I shall also not undertake an assignment being handled by another chartered forester unless either, he/she is unable to handle it or has left the task incomplete.

9. not do anything, which undermines the credibility or reputation of forestry profession or chartered foresters.

Signature of the Applicant
(Name . . . . . .)

Place :

Date :

FORM NO.-6

[See Rule 8 (4)]

Enrolment Certificate of a Chartered Forester

Seal of GoMP

Shri/Ms./Smt. . . . . S/o / D/o / W/o . . . . . ., Resident of . . . . . .(permanent address) . . . . . ,

Is here by enrolled as a Chartered Forester under Rule 8 of M. P. Lok Vaniki Rules, 2002. His/Her Enrolment No. Is . . . . . .

This enrolment is subject to the terms and conditions of Rule 8 of Lok Vaniki Rules, 2002.

Place . . . . . .

Date . . . . . .

Signature of Enrolment Officer
(Name . . . . . .)
Seal of the office

FORM NO.-7
[See Rule 8 (4)]

Enrolment Register of Chartered Forester

Sl. No.	Name/Father's Name of the Enrolled Chartered Forester	M. R. No./Challan No. of payment of enrolment fee	Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)

Date of Enrolment	Current status of Enrolment (to be updated annually)	Remarks	Signature of the Enrolment Officer
(5)	(6)	(7)	(8)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

अधिनियम

(5) (1)

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
बि.पू.भु./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल 2001—चैत्र 22, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2001

क्र. 2773-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 9 अप्रैल 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

Appeal.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २००१

मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना.

Protection of action taken in good faith.

२. परिभाषाएं.

३. प्रबंधन योजना का तैयार किया जाना.

Power to make Rules.

४. प्रबंधन योजना का अनुमोदन.

५. प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन.

६. प्रबंधन योजना का मानीटर किया जाना.

७. चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन.

८. उल्लंघन के लिए दण्ड.

९. अपील.

१०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

११. नियम बनाने की शक्ति.

१२. अन्य अधिनियम का लागू न होना.

Other Act not to apply.

१३. कठिनाई दूर करने की शक्ति.

Power to remove difficulty.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २००१

मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, २००१

[दिनांक 9 अप्रैल, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 12 अप्रैल, 2001 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने और सुकर बनाने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, २००१ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा जिलों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

(३) यह ऐसे निजी और राजस्व क्षेत्रों को लागू होगा जिनको यथास्थिति भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में प्रबंधन करना चाहता/चाहती है.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा ९ के अधीन अधिसूचित कोई प्राधिकारी;

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९);

(ग) "चार्टर्ड फारेस्टर" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे धारा ७ के अधीन चार्टर्ड फारेस्टर के रूप में नामांकित किया गया है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा ४ के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी;

(ङ) "वन अधिकारी" से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का सं. १६) में यथा परिभाषित ऐसा अधिकारी किन्तु जो वन मण्डल अधिकारी के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(च) "खाता" और "भूमिस्वामी" के वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए समनुदेशित हैं;

(छ) "राजस्व अधिकारी" से अभिप्रेत है संहिता में यथा विनिर्दिष्ट ऐसा राजस्व अधिकारी जो उपखण्ड अधिकारी की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(ज) "वृक्ष" के वही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का सं. १६) में उनके लिए समनुदेशित हैं किन्तु इसमें बांस, ताड़, घनी झाड़ी (ब्रशवुड) और बेंत सम्मिलित नहीं हैं;

(झ) "वृक्ष आच्छादित क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जहां वृक्षों की संवृद्धि होती हो और जिनके लिए धारा ३ के अधीन प्रबंधन योजना तैयार की गई हो.

प्रबंधन योजना का तैयार किया जाना.

३. वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए चार्टर्ड फारेस्टर द्वारा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जैसी कि विहित की जाएं.

प्रबंधन योजना का अनुमोदन.

४. धारा ३ के अधीन तैयार की गई प्रबंधन योजना, ऐसे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए. सक्षम प्राधिकारी प्रबंधन योजना का अनुमोदन ऐसी रीति में कर सकेगा जैसी कि विहित की जाए. प्रबंधन योजना का अनुमोदन करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी भूमि और वृक्षों के ब्यौरों की सूचना संहिता की धारा ११४-क की उपधारा (२) के अधीन भू-अभिलेख में प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए राजस्व अधिकारी को देगा.

प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन.

५. (१) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित प्रबंधन योजना प्राप्त हो जाने पर, यथास्थिति प्रत्येक भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा उक्त योजना में यथावर्णित विहित समय सूची के अनुसार उक्त योजना का क्रियान्वयन करेगा/करेगी.

(२) यथास्थिति, किसी भूमिस्वामी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को किसी राजस्व या निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में, जहां कि अनुमोदित प्रबंधन योजना के अधीन वृक्ष काटकर गिराने की अनुज्ञा दी जा चुकी है, वहां मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) के सिवाय किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों के अधीन वृक्ष काटकर गिराने की कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी.

(३) जहां अनुमोदित प्रबंधन योजना के अधीन शासकीय वन से लगे हुए राजस्व या निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में वृक्ष काटकर गिराने की अनुज्ञा दी गई है वहां सक्षम प्राधिकारी शासकीय वनों की अवैध कटाई से संरक्षा करने के लिए आवश्यक रक्षोपाय विहित करेगा.

प्रबंधन योजना का मानीटर किया जाना.

६. राज्य सरकार, अनुमोदित प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा मानीटर करेगी जो कि विहित की जाए.

चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन.

७. (१) राज्य सरकार चार्टर्ड फारेस्टर का एक नामांकन रजिस्टर ऐसे प्ररूप में तैयार करेगी जो कि विहित किया जाए.

(२) चार्टर्ड फारेस्टर के लिए पात्रता मापदण्ड और नामांकन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो कि विहित की जाए.

उल्लंघन के लिए दण्ड.

८. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करेगा या जो वन आच्छादित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना के अनुमोदित हो जाने के पश्चात् अनुमोदित प्रबंधन योजना में सम्मिलित खाते से वृक्ष काटकर गिराएगा या वृक्षों या वृक्षों के लट्ठों को हटाएगा तो वह ऐसी शास्ति जो अन्तर्वलित वृक्षों के मूल्य के दुगने तक हो सकेगी किन्तु एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, का दायी होगा जैसा कि उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उचित समझे, और उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) गिराए गए वृक्षों या वृक्षों के लट्ठों को संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिहृत करने का अतिरिक्त आदेश दे सकेगा.

अपील.

९. (१) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश या विनिश्चय के तीस दिन के भीतर अथवा यदि ऐसे आदेश या विनिश्चय के तथ्य से उसे संसूचित नहीं किया गया है तो ऐसे आदेश या विनिश्चय के जानकारी में आने के तीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को ऐसी रीति में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए, लिखित में अपील कर सकेगा.

(२) अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख को अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को व्यक्तिशः या उनके द्वारा सम्यक रूप से लिखित में किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से सुनेगा और उसके पश्चात् आदेश या विनिश्चय की पुष्टि करने, उलटने या उपांतरण करने का आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होगा.

(३) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रतियां सक्षम प्राधिकारी को, अनुपालन के लिए या ऐसे और आदेश पारित करने के लिए जैसे कि अपील प्राधिकारी द्वारा निदेशित किए जाएं, भेजी जाएंगी.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१०. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई, राज्य सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी.

निवम बनाने की शक्ति.

११. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वे विशिष्टियां जिन्हें धारा ३ के अधीन प्रबंधन योजना में अंतर्विष्ट किया जाएगा;

(ख) वह समय जिसके भीतर प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जाएगी;

(ग) वह रीति जिसमें प्रबंधन योजना धारा ४ के अधीन अनुमोदित की जाएगी;

(घ) वह रीति जिसमें तथा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रबंधन योजना, धारा ६ के अधीन मानीटर की जाएगी;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें नामांकन रजिस्टर तैयार किया जाएगा और वह मापदंड तथा प्रक्रिया जिसके द्वारा धारा ७ के अधीन चार्टर्ड फारेस्टर का नामांकन किया जायेगा;

(च) वह रीति जिसमें तथा वह फीस जिसके संदाय किए जाने पर धारा ९ के अधीन अपील की जाएगी;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या जो विहित किया जा सके.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

अन्य अधिनियम का लागू न होना.

१२. इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई बात वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन को उन विषयों के संबंध में लागू नहीं होगी जिसके लिए उपबंध इस अधिनियम में अंतर्विष्ट है.

कठिनाई दूर करने की शक्ति.

१३. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार इन उपबंधों से अनअसंगत कोई बात कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन है :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2001

क्र. 2774-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2001

THE MADHYA PRADESH LOK VANIKI ADHINIYAM, 2000.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, Commencement and application.
2. Difinitions.
3. Preparation of Management Plan.
4. Approval of Management Plan.
5. Implementation of Management Plan.
6. Monitoring of Management Plan.
7. Enrolment of Chartered Forester.
8. Punishment for contravention.
9. Appeal.
10. Protection of Action taken in good faith.
11. Power to make Rules.
12. Other Act not to apply.
13. Power to remove difficulty.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2001

THE MADHYA PRADESH LOK VANIKI ADHINIYAM, 2001.

[Received the assent of the Governor on 9th April, 2001, assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 12th April, 2001.]

An Act to regulate and facilitate management of tree-clad private and revenue areas in the state of Madhya Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty First year of the Republic of India or follows:—

Short title, Commencement and applicaton.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas of the districts.

(3) it shall apply to such private and revenue areas which the Bhoomiswami, the Gram Panchyat or the Gram Shabha, as the case may be, intends to manage as tree-clad area.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Appellate Authority' means any authority notified by the State Government under section 9;

(b) 'Code' means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959);

(c) 'Chartered Forester' means any person who is enrolled as Chartered forester under section 7;

(d) 'Competent authority' means the authority notified by the State Government under section 4;

(e) 'Forest Officer' means such officer as defined in the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), but who shall not be below the rank of Divisional Forest Officer;

(f) 'Holding and "Bhumiswami' shall have same meanings as assigned to them in the Code;

(g) 'Revenue Officer' means such revenue officer as specified in the Code, but who shall not be below the rank of Sub-Divisional Officer;

(h) 'Trees' shall have the same meaning as assigned to it in the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), but shall not include bamboos, palms, brushwood and canes;

(i) 'Tree-clad area' means the area where there is tree growth and for which a management plan has been prepared under Section 3;

Preparation of Management Plan.

3. The Managemennt Plan for the scientific management of the tree-clad area shall be prepared by Chartered Forester containing such particulars as may be prescribed.

Approval of Management Plan.

4. The Management Plan prepared under Section 3 shall be submitted to the competent authority as may be notified by the State Government from time to time. The Competent Authority may approve the Management Plan in such manner as may be prescribed. After having approved the management plan, the competent authority shall intimate to the revenue officer, the details of land and trees for the purpose of entry into the land record under sub-section (2) of Section 114-A of the code.

Implementation of Management Plan.

5. (1) Every Bhumiswami or Gram Panchayat or Gram Sabha as the case may be, after having received the approved management plan from the competent authority, shall implement the said plan according to the prescribed time schedule as mentioned in the said plan.

(2) The Bhumiswami or the Gram Panchayat or the Gram Sabha, as the case may be, shall not require any permission under any other Act or the rules except the Madhya Pradesh Protection of Aboriginal Tribes (Interest in Trees) Act, 1999 (No. 12 of 1999), for the time being in forrce for felling of tree in the revenue or private tree clad areas, where such felling has been permitted under the approved management plan.

(3) Where the felling of trees in revenue or private tree-clad areas adjacent to Government Forest is permitted under the approved management plan, the Competent Authority shall prescribe necessary safeguards to protect Government forests from illicit felling.

Monitoring of Management Plan.

6. The State Government shall monitor the implementation of the approved Management Plan in such manner and by such authority as may be prescribed.

Enrolment of Chartered Forester.

7. (1) The State Government shall prepare an enrolment register of Chartered Forester in such form as may be prescribed.

(2) The eligibility criteria and procedure for enrolment of Chartered Forester shall be such as may be prescribed.

Punishment for contravention.

8. Any person who acts in contravention of the provisions of this Act or Rules made thereunder or who after having approved management plan for tree-clad areas, fells trees or removes trees or any logs of the trees from the holding included in the approved management plan shall be liable to such penalty which may extend to twice the value of the trees involved but not exceeding One Lakh Rupees, as the Sub-Divisional Officer (Revenue) may after giving such person an opportunity to be heard, deem fit and the Sub-Divisional Officer (Revenue) may further order confiscation of felled trees or logs according to the procedure prescribed in the code.

Appeal.

9. (1) Any person aggrieved by any order of the Sub-Divisional Officer (Revenue), may within thirty days of the order or decision, or if fact of such order or decision has not been communicated to him, with in thirty days of knowledge of such order or decision, prefer an appeal in writing, in such manner accompanied by such fees as may be prescribed, to the Appellate Authority as may be notified by the State Government.

(2) On the date fixed for hearing of appeal, the Appellate Authority shall hear the parties to the appeal in person or through any agent duly authorised in writing and shall thereafter proceed to pass an order of confirmation, reversal or modification of order or the decision.

(3) Copies of the order passed by Appellate Authority, shall be sent to Competent Authority for compliance, or for passing such further order, as may be directed by Appellate Authority.

Protection of action taken in good faith.

10. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or authority for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or rules made thereunder.

Power to make Rules.

11. (1) The State Government may, by notification, make Rules for carrying out the pruposes of this Act;

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such Rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the particulars which the management plan shall contain under Section 3;

(b) the time within which management plan shall be implemented;

(c) the manner in which the management plan shall be approved under Section 4;

(d) the manner in which and the authority by which the management plan shall be monitored under Section 6;

(e) the Form in which enrolment register shall be prepared and the criteria and procedure by which Chartered Forester shall be enrolled under Section 7;

(f) the manner in which and the fees on payment of which the appeal shall be preferred under Section 9;

(g) any other matter which has to be or may be prescribed.

(3) All Rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Other Act not to apply.

12. Nothing contained in the Code shall apply to management of tree clad areas in respect of matters for which provisions are contained in this Act.

Power to remove difficulty.

13. If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, the State Government may do anything not inconsistent with such provisions which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

अधिनियम

(4) 9

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
बि. पू. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 सितम्बर 2001—आश्विन 5, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2001

क्र. 5055-499-इक्कीस-अ-(प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 26 सितम्बर 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश
क्रमांक २०

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, २००१.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.
२. परिभाषाएं.
३. वृक्षों को काटकर गिराने बाबत् निर्बन्धन.
४. वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति.
५. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.
६. वृक्ष को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसका व्ययन करने के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया.
७. वृक्षों का परिरक्षण.
८. धारा ६ के अधीन किए गए आदेश का क्रियान्वयन.
९. अपील.
१०. सम्पत्ति का अभिग्रहण.
११. धारा १० के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति.
१२. इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी, औजार आदि कब अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे.
१३. संगठनों द्वारा अपराध.
१४. अपराध के किए जाने को रोकने की शक्ति.
१५. अपराध शमन करने की शक्ति.
१६. अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जाएगी.
१७. धन के संदाय के आदेश का निष्पादन.
१८. शास्ति.
१९. इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों का लोक सेवक होना.
२०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
२१. वृक्षों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार की शक्ति.
२२. वृक्ष अधिकारी को कतिपय शक्तियां विनिहित करना.
२३. गिराई गई सामग्री का अभिवहन.
२४. नियम बनाने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २० सन् २००१

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, २००१.

[दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के वृक्षों के परिरक्षण तथा पुनः वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए वृक्षों को काटकर गिराने के विनियमन के लिए बेहतर उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, २००१ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ख) "वृक्ष" से अभिप्रेत है कोई ऐसा काष्ठीय पौधा जिसकी शाखाएं तने या काय से निकलती हैं तथा जो तने या काय पर आलंबित हों और जिसके तने या काय का व्यास भूमि तल पर ३० सें. मी. से कम न हो तथा जिसकी ऊंचाई भूमि तल से २ मीटर से कम न हो;

(ग) "वृक्ष काट कर गिराना" से इसकी सजातीय अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है तने को जड़ों से पृथक् करना, वृक्ष को जड़ों से उखाड़ना तथा इसमें सम्मिलित है वृक्ष पर बुल्डोजर चलाना, वृक्ष काटना, घिरान करना, ठूंठ करना, उस पर विषैला पदार्थ लगाकर, उसे जला कर या किसी अन्य रीति में उसे क्षति पहुंचाना;

(घ) "वृक्ष अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ङ) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी नगरपालिक निगम/नगरपालिका/कैंटोनमेंट बोर्ड या नगर पंचायत के भीतर के समस्त स्थान;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हैं और भारतीय वन अधिनियम, १९२७ में परिभाषित की गई हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई हैं, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिए गए हैं.

वृक्षों को काटकर गिराने बाबत् निर्बन्धन.

३. कोई भी व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी रूढ़ि, प्रथा, संविदा या स्थानीय विधि के होते हुए भी, उस नगरीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, चाहे वह उसके स्वामित्व में की हो या उससे भिन्न प्रकार की हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बिना अनुज्ञा के किसी वृक्ष को काटकर नहीं गिराएगा या वृक्ष को कटवाकर नहीं गिरवाएगा.

अधिकारी की केत.

४. राज्य सरकार, प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक ऐसे वन अधिकारियों को जो राजपत्रित वन अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हों, आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "वृक्ष अधिकारी" के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

ा अधिकारियों नियुक्ति.

५. राज्य सरकार, वन विभाग या स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, समय-समय पर नियुक्त कर सकेगी जो वृक्ष अधिकारी के अधीनस्थ होंगे.

को काटकर ने, काटने, हटाने उसका व्ययन ने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने की क्रिया.

६. (१) किसी वृक्ष को काटकर गिराने या हटाने या उसका अन्यथा व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित वृक्ष अधिकारी को, अनुज्ञा के लिए ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए तथा ऐसे दस्तावेज के साथ, जो कि विहित किए जाएं, आवेदन करेगा.

(२) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, वृक्ष अधिकारी आवेदन की अभिस्वीकृति देगा तथा आदेश द्वारा उस वृक्ष का निरीक्षण करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो ऐसी अनुज्ञा पूर्णत: या भागत: दे सकेगा या लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा :

परन्तु कोई भी अनुज्ञा उस क्षेत्र से किसी व्यक्ति को उसी वर्ष के दौरान दो अवसरों से अधिक नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह और कि कोई भी ऐसी अनुज्ञा देने से उस दशा में इन्कार नहीं किया जाएगा जबकि वह,—

(एक) वृक्ष मृत है, रोगग्रस्त है या हवा से उखड़ा हुआ है; या

(दो) वृक्ष जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरा बन जाता है; या

(तीन) वृक्ष अग्नि से, बिजली से, वर्षा से या अन्य प्राकृतिक कारणों से सारत: नुकसान ग्रस्त या नष्ट हो गया है; या

(चार) यातायात के लिए बाधा बन जाता है या यदि ऊर्जा/दूरभाष की लाइनों आदि के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है.

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई अनुज्ञा इस शर्त के अध्यधीन हो सकेगी कि आवेदक उसी स्थल पर या परिसर पर जैसा कि विहित किया जाए, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जाति का कोई अन्य वृक्ष या वृक्षों को लगाएगा और जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां वह उस तारीख से जिसको कि वृक्ष काट कर गिराया गया हो, तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसा योगदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

(४) यदि वृक्ष अधिकारी उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विनिश्चय की संसूचना देने में असफल रहता है तो आवेदित अनुज्ञा के संबंध में यह माना जाएगा कि वह दे दी गई है.

वृक्षों का परिरक्षण.

७. आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करे और यह सुनिश्चित करे कि वृक्ष भली-भांति उगें और उसका भली-भांति परिरक्षण किया जा रहा है.

धारा ६ के अधीन किए गए आदेश का क्रियान्वयन.

८. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा ६ के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन वृक्ष लगाने के लिए बाध्यताधीन है, यथास्थिति, आदेश या निदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य (तैयारी) शुरू करेगा और ऐसे आदेश या निदेश के अनुसार आगामी या अनुगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, वृक्ष लगाएगा तथा उन वृक्षों को जो किसी भूमि या क्षेत्र में लगाए गए हैं, किसी नुकसान से पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण व्यवस्था करेगा.

(२) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, वृक्ष अधिकारी वृक्ष लगवा सकेगा और वृक्षारोपण की लागत की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के तौर पर कर सकेगा.

अपील.

९. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी होंगे.

(२) जब वृक्ष अधिकारी द्वारा धारा ६ या ७ के अधीन कोई विनिश्चय या कोई आदेश किया जाता है, तो वृक्ष अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश या निदेश के पारित किए जाने से तीस दिन की कालावधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा.

(३) अपील प्राधिकारी, अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का विनिश्चय, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् करेगा.

सम्पत्ति का अभिग्रहण.

१०. जहां वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, तो वह यथास्थिति वृक्ष या उसके भाग को जो भूमि से उसे पृथक् किया गया है, गिराए जाने के लिए उपयोग में लाए गए औजार तथा उपकरण सहित अभिग्रहण कर सकेगा. जब वन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया जाता है तो वह वृक्ष अधिकारी को मामला आगे कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगा.

धारा १० के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति.

११. वृक्ष अधिकारी धारा १० के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा, यदि भूमि के स्वामी ने जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में बंध पत्र, निष्पादित कर दिया हो जैसा कि प्रस्तुत करने के लिए विहित किया जाए.

इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी, औजार आदि कब अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे.

१२. (१) समस्त इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी जो कि राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है तथा जिसके कि संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, और ऐसे अपराध को करने में उपयोग में लाए गए समस्त पशु, औजार, नाव, यान, रस्से, चेन या कोई अन्य सामग्री धारा ९, ११ तथा १७ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के लिए अपराधी को सिद्धदोष ठहराए जाने पर, अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे. ऐसा अधिहरण ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा.

(२) वृक्ष से उत्पादित कोई इमारती लकड़ी, औजार तथा उपकरण आदि और उपधारा (१) के अधीन अधिहृत कोई नाव, पशु या अन्य प्रवहण का न्यायालय द्वारा ऐसी रीति में व्ययन किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए.

संगठनों द्वारा अपराध.

१३. (१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति संगठन है, वहां वह संगठन तथा उस अपराध के किए जाने के समय उस संगठन के कारबार के संचालन का भारसाधक और संगठन के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती है.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी संगठन द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस संगठन/यूनिट के प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां संगठन/यूनिट का प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा.

अपराध के किए जाने को रोकने की शक्ति.

१४. प्रत्येक वृक्ष अधिकारी या उसका अधीनस्थ या कोई वन, राजस्व या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को किए जाने से रोकेगा तथा अपराध के किए जाने से रोकने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा.

अपराध शमन करने की शक्ति.

१५ (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी को, जो संभागीय वन अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, किसी व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का संदेह है, शमन के रूप में ऐसी धनराशि, जो कि विहित की जाए, स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी.

(२) यथास्थिति, ऐसी राशियों या ऐसे मूल या दोनों का ऐसे अधिकारी को संदाय करने पर अभिगृहीत संपत्ति तथा अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, निर्मुक्त किया जाएगा तथा ऐसे अपराधी या संपत्ति के विरुद्ध और कार्यवाही नहीं की जाएगी.

अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जाएगी.

१६. प्रत्येक वन अधिकारी, लोक सेवक या किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि धारा ३ के किसी उल्लंघन तथा ऐसा उल्लंघन करने की तैयारी की उसकी जानकारी की सत्यता वृक्ष अधिकारी को तुरन्त दे.

धन के संदाय के आदेश का निष्पादन.

१७. कोई राशि, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा संदाय किया जाना निर्देशित किया गया है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह उससे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलीय होगी.

शास्ति.

१८. जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उल्लंघन में किसी वृक्ष को गिराएगा या गिरवाएगा वह दोषसिद्धि पर कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा. जुर्माना यदि विहित समय-सीमा के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलीय होगा.

इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों का लोक सेवक होना.

१९. इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का संख्यांक ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक है.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

२०. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए या किसी ऐसी बात के लिए जो की जाने से छोड़ दी गई हो, राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन शक्ति का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

वृक्षों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार की शक्ति.

२१ (१) राज्य सरकार, जन सामान्य के हित में, अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि वृक्षों के किसी वर्ग को ऐसी कालावधि तक काटकर नहीं गिराया जाएगा जैसी कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है.

(२) ऐसे वृक्षों का प्रबंधन विहित रीति में विनियमित किया जाएगा.

वृक्ष अधिकारी को कतिपय शक्तियां विनिहित करना.

२२. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारियों तथा अन्य अधिकारी को समस्त या निम्नलिखित में से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) किसी भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण, सीमांकन करने तथा उसका मानचित्र (नक्शा) बनाने की शक्ति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच करने तथा ऐसी जांच के अनुक्रम में साक्ष्य ग्रहण करने तथा अभिलिखित करने की शक्ति.

गिराई गई सामग्री का अभिवहन.

२३. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का संख्यांक १६)की धारा ४१ तथा ४२ के उपबंध इस अधिनियम के अधीन गिराए गए वृक्षों के अभिवहन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

नियम बनाने की शक्ति.

२४. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान संभा के पटल पर रखे जाएंगे.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2001

क्र. 5056-इक्कीस-अ-(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2001

THE MADHYA PRADESH VRIKSHON KA PARIRAKSHAN (NAGARIYA KSHETRA) ADHINIYAM, 2001

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Restriction on felling of trees.
4. Appointment of Tree Officer.
5. Appointment of other officers.
6. Procedure for obtaining permission to fell, cut, remove or dispose of a tree.
7. Preservation of trees.
8. Implementation of order made under Section-6.
9. Appeal.
10. Seizure of property.
11. Power to release property seized under Section-10.
12. Timber/fuel, tools etc. when liable to confiscation.
13. Offence by organizations.
14. Power to prevent commission of offence.
15. Power to compound offence.
16. Contravention of Act to be reported by certain persons.
17. Execution of order for payment of Money.
18. Penalty.
19. Persons under this Act to be Public Servants.
20. Protection of action taken in good faith.
21. Power of State Government for Preservation of Trees.
22. Investing Tree Officer with certain powers.
23. Transit of felled material.
24. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2001

THE MADHYA PRADESH VRIKSHON KA PARIRAKSHAN (NAGARIYA KSHETRA) ADHINIYAM, 2001.

(Revised the assent of the Governor on the 26th September, 2001 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 27th September, 2001)

An Act to make better provision for regulation of felling of trees for the purpose of preservation and replanting of trees in urban areas of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-Second Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vrikshon Ka Parirakshan (Nagariya Kshetra) Adhiniyam, 2001.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force in all urban areas from the date of the publication in the official gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) **Appellate authority** : Means an authority appointed by the State Government as appellate authority under this Act.

(b) **"Tree"** means any woody plant, whose branches spring from and are supported upon a trunk or body and whose trunk or body is not less than 30 centimetres in girth at ground level and is not less than 2 metres in height from the ground level.

(c) **To fell a tree :** with its cognate expression means severing the trunk from the roots, up-rooting the tree and includes bulldozing, cutting, girdling, lopping, polarding, applying poisonous substance, burning or damaging a tree in any other manner.

(d) **Tree Officer :** means an officer appointed as such by the State Government for the purpose of this Act.

(e) **Urban area :** means all places within a Municipal Corporation/Municipality/ Cantonment Board or Nagar Panchayat.

(f) Words and expressions used in this Act and defined in the Indian Forest Act, 1927 but not defined in this Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

Restriction on felling of trees.

3. Notwithstanding any custom, usage, contract or local-law for the time being in force, no person shall without permission under the provision of this Act fell any tree or cause any tree to be felled in any land, whether of his ownership or otherwise, situated within the urban area.

Appointment of Tree Officer.

4. The State Government may appoint one or more forest officers of the rank not below that of a Gazetted Forest Officer, Commissioner Municipal Corporation or Chief Municipal Officer as "Tree Officer" for the purposes of this Act, for each Urban Area.

ppointment of her officers.

5. The State Government may, from time to time, appoint such other officers and employees of Forest Department or Local Authority as may be considered necessary who shall be subordinate to the Tree Officer.

Procedure for obtaining permission to fell, cut, remove or dispose of a tree.

6. (1) Any person desiring to fell remove or otherwise dispose of, by any means, tree, shall make an application to the concerned Tree Officer for permission in such form and containing such particulars and accompanied by such documents as may be prescribed.

(2) On receipt of the application, the Tree Officer shall acknowledge the application and may by order after inspecting the tree and holding such enquiry, as he may deem necessary, either grant permission in whole or in part or refuse permission for reasons to be recorded in writing, within 30 days from the date of receipt of the application :

Provided that no permission shall be granted to any person from the same area on more than two occasions during the same year :

Provided further that no permission shall be refused if the tree—

(i) is dead, diseased or wind fallen or
(ii) constitutes a danger to life and property or
(iii) is substantially damaged or destroyed by fire, lightning, rain or other natural causes or
(iv) constitutes an obstruction to traffic or if necessary for maintenance of power/ telephone lines etc.

(3) The permission granted under sub-section (2) may by subject to the condition that the applicant shall plant another tree or trees of the same or other suitable species on the same site or premises, and where this is not possible make such contribution as may be prescribed, within thirty days from the date the tree is felled or within such extended period as the Tree Officer may allow.

(4) If the tree officer fails to communicate the decision within the period specified under sub-section (2) the permission applied for shall be deemed to have been granted.

Preservation of trees.

7. It shall be the duty of the applicant to comply with the order made under sub-section (3) of Section 6 and to ensure that the tree or trees grow well and are well preserved.

Implementation of order made under Section 6.

8. (1) Every person who is under an obligation to plant trees under an order made under Section 6 shall start preparatory work within thirty days of the date of receipt of the order or directions, as the case may be and shall plant trees in accordance with such order or directions in the ensuing or following rainy season or within such extended time as the tree officer may allow and shall provide adequate and effective protection to the trees that are planted in the land or the area from any damage.

(2) In case of default by such person, the Tree Officer may cause trees to be planted and may recover the cost of plantation from such person as an arrear of land revenue.

Appeal.

9. (1) The State Government may by notification, specify the authorities who shall be the Appellate Authorities for the purposes of this Act.

(2) When any decision is given or order is made under Section 6 and 7 by the Tree Officer, any person aggrieved by that order of Tree Officer, may appeal to the Appellate Authority within a period of thirty days of passing such order or direction by the Tree Officer.

(3) The Appellate Authority shall decide the appeal within sixty days from the date of its receipt, after giving reasonable opportunity to the appellant of being heard.

Seizure of property.

10. Where the Tree Officer or any Forest Officer has reasons to believe that an offence under this Act has been committed in respect of any tree, he may seize the tree or part thereof which

has been severed from the ground or the trunk, as the case may be, alongwith the tools and implements used for felling. When the seizure is made by forest officer he will forward the case to the Tree Officer for further action.

Power to release property seized under section-10.

11. The tree officer may release the property seized under section 10, if the owner of the land executes a bond in such form as may be prescribed for its production whenever required.

Timber/Fuel wood, tools etc., when liable to confiscation.

12. (1) All timber or fuelwood which is not the property of the State Government and in respect of which an offence has been committed under this Act, and all animals, tools, boats, vehicles, ropes, chain or any other article used in committing such offence, shall subject to provisions of Sections 9, 11 and 17, be liable to confiscation upon conviction of the offender for such offence.

Such confiscation may be in addition to any other punishment prescribed for such offence.

(2) Any timber produced from the tree, tools and implements etc. and any boats, animals or other conveyance confiscated under sub-section (1) shall be disposed of by the court in such manner as may be prescribed.

Offence by organisations.

13. (1) If the person committing an offence under this Act is an organisation, the organisation as well as every person incharge of and responsible to the organisation for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by an organisation and it is proved that the offence has been committed, with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of its Head of Office/ Unit, Secretary, treasurer, director, manager or other officer of the Organisation, such Head of Office/Unit, Secretary, treasurer, director, manager or other officer of the organisation shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Power to prevent commission of offence.

14. Every Tree Officer or his subordinate or any Forest, Revenue or police officer shall prevent and may intervene for the purpose of preventing the commission of any offence under this Act.

Power to compound offence.

15. (1) The State Government may, by notification, authorise a Tree Officer or any Forest Officer not below the rank of a Divisional Forest Officer, to accept from any person against whom there is reason to believe that he has committed offence under this Act in respect of any such sum of money as may be prescribed by way of composition for the offence which such person is suspected to have committed.

(2) On the payment of such sums or such value or both as the case may be, to such officer the property seized and the offender, if in custody, shall be released and no further proceeding shall be taken against such offender or property.

Contravention of Act to be reported by certain persons.

16. It shall be the duty of every forest officer, public servant or any person to give immediate information coming to his knowledge, if any contravention of Section-3 and of preparation to commit such contravention to the Tree Officer.

व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु.-भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जनवरी 2006—पौष 28, शक 1927

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्र. एफ-25-15-05-दस-2.—मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए, भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, इस विषय में उनके स्वविवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने के लिए सक्षम होंगे.".

(2) नियम 5 में,—

(क) उपनियम (3) में, शब्द और चिन्ह, "आवेदक/चार्टर्ड फारेस्टर" के स्थान पर, शब्द "आवेदक" स्थापित किया जाए;

(ख) उपनियम (7) में, शब्द "तथा संबंधित चार्टर्ड फारेस्टर को प्रज्ञापना के साथ" का लोप किया जाए;

(ग) उपनियम (9) में, शब्द "चार्टर्ड फारेस्टर" का लोप किया जाए;

सत्यप्रति
उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
म. प्र. भोपाल

(3) नियम 8 तथा 9 का लोप किया जाए.

(4) प्ररूप क्रमांक 1 में,—

(क) अनुक्रमांक 10 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"10. योजना तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता";

(ख) अनुक्रमांक 11 में, पैरा 2 में शब्द "चार्टर्ड फारेस्टर को, जिसका नाम पैरा 8 में उपदर्शित किया गया है" का लोप किया जाए.

(5) प्ररूप क्रमांक 2 में,—

(क) अनुक्रमांक 10 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"10. योजना तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता",

(ख) अनुक्रमांक 11 में, पैरा 3 में शब्द "चार्टर्ड फारेस्टर का जिसका नाम पैरा क्रमांक 9 में उल्लिखित है" का लोप किया जाए.

(6) प्ररूप 5, प्ररूप 6 तथा प्ररूप 7 का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एम. बेलवाल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्र. एफ-25-15-2005-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 25-15-2005-दस-2, दिनांक 18 जनवरी 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एम. बेलवाल, अपर सचिव

Bhopal the 18th January 2006

No. F. 25-15-2005-X-2.—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Lok Vaniki Rules, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) for sub-rule (2) of rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) For preparation of management plan of tree-clad area, the Bhumiswami, Gram Panchayat or Gram Sabha shall be competent to engage any person as per their discretion in the matter.".

(2) In rule 5,—

(a) in sub-rule (3), for the words and sign "Applicant/Chartered Forester" the word "Applicant" shall be substituted;

(b) in sub-rule (7), the words "with intimation to the concerned Chartered Forester" shall be omitted;

(c) in sub-rule (9), the words "Chartered Forester and the" shall be omitted.

(3) Rule 8 and 9 shall be omitted.

(4) In Form No. 1,—

(a) for serial number 10, the following serial number shall be substituted, namely :—

"10. Name and address of the person, who has prepared the plan.";

(b) in serial number 11, in Para 2, the words "to the Chartered Forester, whose name has been indicated in Para 8" shall be omitted.

(5) In Form No. 2,—

(a) for serial number 10, the following serial number shall be substituted, namely :—

"10. Name and address of the person, who has prepared the plan.".

(b) in serial number 11, in Para 3, the words "to the Chartered Forester, whose name has been indicated in Para 9" shall be omitted.

(6) Form 5, Form 6 and Form 7 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. M. BELWAL, Addl. Secy.

सत्यप्रकाश तिवारी

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार, एवं लोक वानिकी
म. प्र. भोपाल

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

कि0प0 (65) 2 105

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिन्क रोड नं0-3/Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन-2465054,2463102, 2465496,2466525
तार /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfwr@sancharnet.in

क्रमांक: 12-8/2003(फोर)/Vol.II/ 1170 दिनांक 16.06.2005

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान, विस्तार एवं लोकवानिकी),
मध्य प्रदेश,
भोपाल ।

विषय: मध्य प्रदेश लोक वानिकी प्रबन्ध योजना की मार्गदर्शिका एवं चेक लिस्ट ।

संदर्भ: (1)आप का पत्रांक लो0वा0/एस0/08/1325 दिनांक 29.04.2005.
(2)आप का पत्रांक लो0वा0/एस0/08/1326 दिनांक 29.04.2005.

महोदय,

मुझे आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) एवं (2) के साथ प्रेषित लोक वानिकी प्रबन्ध योजना की मार्ग दर्शिका एवं चेक लिस्ट का निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रेषित करने का निदेश हुआ है :-

(अ)मार्गदर्शिका

(i) प्रबन्ध आयोजना बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि sustainable harvesting के साथ-साथ पुनरूत्पादन सुनिश्चित करने हेतु प्रबन्ध योजना में inbuilt mechanism हो ।

(ii) वार्षिक प्राप्ति - चूँकि प्रवरण गोलाई का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से व्यवहारिक नहीं है अत: विदोहन नियंत्रित करने के लिए वान मेन्टल फारमूला से प्राप्त उपज के 50 प्रतिशत तक की सीमा में आने वाले वृक्षों का ही पातन किया जाना उचित होगा । पातन हेतु वृक्षों का चयन अधिकतम गोलाई से प्रारम्भ कर कम गोलाई की ओर बढ़ते हुए किया जाएगा तथा चयन गोलाई के उपर के सभी वृक्ष (सूखे, उखड़े, मृत, रोगी इत्यादि) उपज में सम्मिलित होने चाहिए ।

सत्यप्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
म.प्र. भोपाल

मुख्य वन संरक्षक अनु. एवं विस्तार म.प्र. भोपाल

Rawat CF-cf hindi

-2-

(iii) बारहमासी जलधारा - बारहमासी जलधाराओं के 30 मीटर के अन्दर किये जाने वाले रोपण पर व्यय का समावेश प्रबन्ध योजना में किया जाए ।

(iv) मृदा एवं जल संरक्षण - मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो की मात्रा एवं उस पर व्यय का समावेश भी प्रबन्ध योजना में किया जाए ।

(v) प्रबन्ध योजना के प्रावधानों पर आने वाले व्यय तथा पातन से प्राप्त होने वाली धनराशि का सारांश प्रबन्ध योजना में दिया जाए ।

(ब) चेक लिस्ट

मुख्य वन संरक्षक (लोक वानिकी) की संक्षिप्त टिप्पिणी एवं संस्तुति का समावेश बिन्दु संख्या (17) के रूप में कर लिया जाए ।

सत्यापित

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार, एवं लोक वानिकी
म. प्र. भोपाल

भवदीय

(सुजॉय बनर्जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

म0प्र0 लोकवानिकी प्रबंधन योजना की मार्गदर्शिका

(प्रारूप)

1) प्रबंधन प्रस्ताव :

सामान्यतः निजी/लोक वन क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्रों की तुलना में बहुत छोटे क्षेत्रफल के होते हैं । इन से लगी कृषि भूमि में अधिक उत्पादन हेतु मृदा संरक्षण तथा मृदा आर्दता बनी रहना आवश्यक है। सामान्यतः आबादी के समीप स्थित होने से चराई एवं आग इत्यादि जैविक दबाव के लिए ये क्षेत्र संवेदनशील हैं । अधिक जैविक दबाव के कारण इन वनों में पर्याप्त पुनरूत्पादन की समस्या रहती है एवं अच्छे पुनरूत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियॉ नही रह पाती। विगत कई वर्षो से कोई वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं होने के कारण इन वनो में विषम आयु एवं आकार के वृक्ष ही विद्यमान है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरूत्पादन का अभाव है तथा अधिकांश क्षेत्रों में युवा आयु के वृक्षों की संख्या भी कम है। अतः इन वनों के प्रबधन हेतु चयन–सह–सुधार पद्धति को प्राथमिकता दी जाना उचित होगा ।

2) उपचार विधान :

योजना क्षेत्र मे प्रस्तावित उपचारों का विस्तृत रूप से विवरण दिया जायेगा। क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यो के साथ साथ प्रतिबंधित कार्यो का भी स्पष्ट उल्लेख रहेगा ।

3) पातन चक्र / रोटेशन :

फसल की वन वर्धनिक आवश्यकता एवं निरंतरता, भूमि स्वामी की आवश्यकता, फसल वृद्धि एवं क्षेत्रफल के आधार पर पातन चक्र एवं आवर्तन का निर्धारण किया जायेगा । निजी वृक्षाच्छादित क्षेत्र छोटे–छोटे क्षेत्रफल के होंने के कारण भूमि स्वामी की मितव्ययता की दृष्टि से प्रतिवर्ष पातन करना व्यवहारिक नही होगा ।

उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पातन अंतराल का निर्धारण किया जायेगा : उदाहरण के लिए एकांतर वर्ष, प्रथम–चतुर्थ–सातवां–दसवां वर्ष, प्रथम–पॉचवां–दसवां वर्ष, जैसी भी स्थिति हो ।

4) प्रवरण गोलाई (सिलेक्शन गर्थ):

फसल एवं कृषक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सागौन के लिए न्यूनतम 60 से0मी0 एवं अन्य प्रजातियों के लिए न्यूनतम 40 से0मी0 चयन गोलाई निर्धारित की जा सकेगी ।

सत्यप्रतिलिपि
वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार, एवं लोकवानिकी
म. प्र. भोपाल

जहाँ तक संभव हो चयन गोलाई के निर्धारण में सी0ए0आई0/एम0ए0आई0 (CAI / MAI) सिद्धांत का पालन किया जायगा ।

5) पातन नियम / अन्य उपचारों के लिए नियम :

5.1) निःशेष पातन :

सामान्य निःशेष पातन का प्रावधान नहीं होगा । कम मूल्यवान प्रजातियों के वृक्षों के बदले में उच्च तकनीकी वृक्षारोपण हेतु कूपवार कटाई की जा सकेगी । परंतु एक कूप की कटाई के उपरांत उसमें किये गये रोपण स्थापित होने के पश्चात ही अगले कूप में कटाई की अनुमति दी जा सकेगी । साथ ही निम्न मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा –

- प्रबंधन योजना क्षेत्र के किनारे 10 मी0 की पट्टी में मिश्रित वृक्ष छोडे जाऐंगे ।
- क्षेत्र में न्यूनतम 40 वृक्ष प्रति हे0 आरक्षित किए जाऐंगे ।

5.2 बारहमासी जलधाराओं के किनारे उपचार :

मृदा एवं जल संरक्षण की दृष्टि से बारहमासी जलधाराओं के किनारे पातन किया जाना भूमि स्वामी के स्वयं के हित में नही होगा । फिर भी भूमि स्वामी की इच्छा से, ऐसी जलधाराओं से 30 मी0 की दूरी तक बॉस, रतनजोत, शीशल एवं खस घास इत्यादि मृदा बांधने वाली प्रजातियों के रोपण एवं उसके स्थापित होने की स्थिति में कटाई का प्रावधान किया जा सकता है । इस प्रावधान का मुख्य उद्धेश्य क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करना है ।

6) वार्षिक प्राप्ति की गणना :

योजना क्षेत्र में इमारती काष्ट, जलाउ लकडी, बांस, घास, औषधिय पौधों एवं अकाष्ट वन उत्पादों की अनुमानित प्राप्ति की गणना संसाधन सर्वेक्षण एवं पुनरूत्पादन सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों एवं अन्य उपलब्ध जानकारियों के अनुसार की जायेगी ।

भूमिस्वामी क्षेत्र की सत्य सामान्यतः विषम आयु वर्ग के होने के कारण वान मेंटल फॉरमूला के आधार पर प्राप्ति का निर्धारण किया जावे । परंतु गणना की गई प्राप्ति से अधिकतम 50 प्रतिशत विदोहन का मापदंड निजी भूमि के लिए लागू न किया जावे क्योंकि शासकीय वन एवं निजी वन की स्थिति भिन्न है । शासकीय वन के प्रबंधन में पर्यावरण, सामुदायिक हित एवं अन्य प्राथमिकताएं रहती हैं । शासकीय वनों की अवैध कटाई की समस्या को ध्यान में रखते हुए कम से

सत्यप्रति
मुख्य वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी भोपाल

कम प्राप्ति निकाले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । भूमि स्वामी की प्राथमिकता अलग है। अतः भूमि स्वामी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत लकडी की प्राप्ति का बंधन लागू नही किया जाना चाहिए । परंतु भूमि स्वामी द्वारा वृक्षाच्छादित क्षेत्र का स्वरूप न बदला जा सके, सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार संख्या में पौध रोपण एवं उसके स्थापित होने पर जोर दिया जावे ।

प्राप्ति की गणना में थिनिंग से प्राप्त लकड़ी को लिया जाना चाहिए, परंतु सिंगलिंग, सूखे एवं मृत वृक्षों कि कटाई से प्राप्त होने वाली लकडी गणना में नही आएगी, क्योंकि इसकी मात्रा निश्चित नही रहती है।

सिंगलिंग हेतु गोलाई वर्ग का युक्तियुक्तकरण स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जावे ।

7) कटाई :

7.1 इमारती काष्ठ, ईधन की लकडी, बांस, औषधीय पौधे, घास एवं अन्य अकाष्ठीय वनोपज की पृथक–पृथक विदोहन योजना बनायी जायेगी ।

7.2 वनोपज के निर्वर्तन की प्रस्तावित पद्धति–

योजना के क्रियांवयन से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वनोपज के निर्वर्तन की योजना उपलब्ध बाजार एवं समयावधि को ध्यान में रखते हुए बनाई जायेगी ताकि आवेदक को निर्वर्तन से अधिकतम शुद्ध मुल्य आवश्यकतानुसार एवं सही समय पर प्राप्त हो सके। राष्ट्रीयकृत वनोपज का विपणन वन विभाग को ही किया जायेगा।

8) रोपण :

8.1 भूमि स्वामी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में जैविक दबाव की अधिकता रहती है अतः प्राकृतिक पुनरूत्पादन के साथ साथ कृत्रिम पुनरूत्पादन की आवश्यकता है। योजना क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले बीजू एवं कापिस पौधे, क्षेत्र के लिए अनुकूलता एवं भूमिस्वामी की आवश्यकता, प्रजाति चयन एवं रोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित पौधों की संख्या में सामंजस्य होना चाहिये। अतः प्रबंधन योजना में वृक्षारोपण एवं उसकी सुरक्षा हेतु विस्तृत तकनीकी एवं आर्थिक प्रावधान दर्शाते हुए वृक्षारोपण योजना बनाई जावे ।

सत्यप्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
म. प्र. भोपाल

C:\re\My Documents\Lokvaniki\Guidelines for mgt plan meeting 11.04.05.doc

योजना क्षेत्र में पुनरूत्पादन सर्वेक्षण किया जाकर संपूर्ण योजना काल एवं उसके बाद के लिए पुनरूत्पादन योजना बनाई जावे । पुनरूत्पादन योजना में कटाई के पश्चात प्राकृतिक वन से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में पौधों के रोपण का प्रावधान किया जावे ।

क्षेत्र में उपलब्ध अग्रिम पौधों के अंगीकरण का प्रावधान किया जावे ।

रोपण हेतु पौधों की संख्या N / D Curve के आधार पर Stand Table से गणना की जावेगी ।

9) अकाष्ठीय वनोपज का रोपण एवं प्रबंधन :

पुनरूत्पादन सर्वेक्षण के दौरान वृक्षाच्छादित क्षेत्रों की अकाष्ठीय वनोपज की पहचान की जावे । अकाष्ठीय वनोपज के रोपण एवं बेहतर प्रबंधन से भूमिस्वामी को समय–समय पर अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है । राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से भूमि स्वामी को ऑवला, अश्वगंधा, बेल, चिरायता, कालमेघ, कलिहारी, सफेद मूसली, सर्पगंधा, शतावर जैसी 32 प्रजातियों के औषधीय पौधों की खेती हेतु रू. 9.00 लाख तक अथवा परियोजना मूल्य के 30 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, का अनुदान दिया जाता है । म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण किया जाकर भारत शासन को अग्रेषित किया जाता है । उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा दक्षता एवं क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य सहयोग दिया जाता है । अतः प्रबंधन योजना में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में औषधीय पौधों का विस्तार हेतु कृषि जलवायु प्रक्षेत्र के आधार पर समुचित प्रावधान किया जावे ताकि कृषक उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकें ।

10) छपान :

प्रबंधन योजना में कौन से वृक्ष काटे जाएँगे, उसका उल्लेख नही दर्शाया जाता है । अतः छपान कार्य सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए । चूंकि यह तकनीकी कार्य है, अतः वानिकी विद के मार्गदर्शन में भूमिस्वामी द्वारा छपान का कार्य कराया जायेगा । छपान के पश्चात पातन हेमर जारी करने के पूर्व क्षेत्रीय वनाधिकारी से निरीक्षण कराया जायेगा । इस हेतु वनमंडलाधिकारी द्वारा हेमर जारी करने के दौरान, क्षेत्रीय वनाधिकारी को अधिकृत किया जायेगा ।

सत्यप्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार, एवं लोकवानिकी
म. प्र. भोपाल

C:\Documents\...\Guidelines for mgt plan meeting...doc

74

11) मृदा एवं जल संरक्षण :

प्रबंधन योजना में मृदा एवं जल संरक्षण का उचित प्रावधान किया जावे, ताकि कृषक की भूमि की गुणवत्ता का विघटन न हो । वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का प्रबंधन जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर किये जाने को प्राथमिकता दी जावे ।

सत्यप्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
म. प्र. भोपाल

5

म0प्र0 लोकवानिकी के अंतर्गत प्रबंधन योजना के परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु चेकलिस्ट
(प्र0मु0व0सं0, म0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 11.04.05 में लिये निर्णय अनुसार)

1) भूमि स्वामी का विवरण संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0.....
2) वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का विवरण संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0.......
(खसरा क्र0, क्षेत्रफल, पटवारी हल्का क्र0/ग्राम/तहसील/जिला)
3) भूमि के स्वामित्व के अभिलेख संलग्न : –हॉं/नही; पृष्ठ क्र0.......
(पांच साला खसरा एवं नक्शे की सत्यापित प्रति)
4) आवेदन पत्र, नियम के प्रारूप–1 में संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0....
5) सीमांकन प्रमाण पत्र, यदि अपेक्षित हो, संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0
6) स्टॉक मानचित्र संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0....
7) फसल का विवरण संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0........

योजना क्षेत्रफल	कुल		प्रति हे0		घ0मी0/हे0	
	वृक्ष	घ0मी0	वृक्ष	घ0मी0	सी0ए0आई0	एम0ए0आई

8) वानिकी विद एवं भूमि स्वामी द्वारा संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन संलग्न . : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0 ....
9) प्रबंधन योजना का कार्यकाल : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0 .....
10) विदोहन योजना संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0.......
11) पुनरूत्पादन सर्वेक्षण प्रतिवेदन संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0......
12) रोपण योजना संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0 ...
13) सुरक्षा योजना संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0. ......
14) योजना क्षेत्र से लगे अन्य वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का विवरण संलग्न : –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0
15) वनमंडलाधिकारी की संक्षिप्त टीप एवं संस्तुति संलग्न –हॉं/नही ; पृष्ठ क्र0
16) प्रत्येक पृष्ठ पर वानिकी विद एवं भूमिस्वामी के हस्ताक्षर –हॉं/नही

सत्यापित

12/4/15

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी
म. प्र. भोपाल

77

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(कक्ष—अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी), वन भवन तुलसी नगर,म.प्र. भोपाल
फोन नं0 2674222, 22674282, फैक्स नं0 : 26274340, ई—मेल : apccfre@sancharnet.in

क्र0/लो. वा./एस/04/1892 भोपाल, दिनॉक : 28/6/05

प्रति,

समस्त वन संरक्षक
अनुसंधान /विस्तसर वृत्त, म0 प्र0

विषय :— म0प्र0 अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 में संशोधन।

संदर्भ :— प्र.मु. व.स. (संरक्षण कक्ष) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र0 /संरक्षण/कक्ष – 2 /1786, दिनांक 13/06/05

—————-।०।०।—————

विषयांकित प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) कक्ष म.प्र. भोपाल से प्राप्त पत्र क्र. 1786 दिनांक 13/06/05 की प्रति सहपत्र सहित संलग्न कर अग्रीम कार्यवाही हेतू प्रेषित। कृपया संलग्न पत्र में संशोधित नियमों का कडाई से पालन किया जावें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

प्र अनु. C.F. L/V. शाखा
अनुमोदित.

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार, एवं लोक वानिकी
म. प्र. भोपाल

27-6-05
for [redacted] वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार /लोक वानिकी
म0प्र0 भोपाल

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र. बि. पू. भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म.प्र.-108 भोपाल-03-05.

80

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2005—ज्येष्ठ 6, शक 1927

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2005

एफ. 30-8-2002-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 में,—

(क) भाग (ख) के उप नियम (1) का लोप किया जाए.

(ख) भाग (ख) के उप नियम (2) के खण्ड (क) में मद क्रमांक (एक) और (तीन) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए; और

(ग) भाग (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) जिले और उससे लगे हुये जिलों के भीतर वनोपज का परिवहन करने के लिए ग्राम पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिवहन पास जारी करेगा. वनोपज का अन्य गंतव्य तक परिवहन करने के लिए अभिवहन पास इस संबंध में डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा.".

सत्यप्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार, एवं लोक वानिकी
म.प्र. भोपाल

minor Forest produce for import in Madhya Pradesh for which the importers shall be required to get themselves registered with the Forest Department. Any person who intends to import such species of timber or minor Forest produce shall get himself registered in the Office of the Divisional Forest Officer of the area, where the forest produce is to be transported.".

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The person importing the notified Forest produce shall submit a quarterly account of the same to the concerned Divisional Forest Officer in form E".

4. In rule 22, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) In such cases, where the forest produce in respect of which an offence has been committed, is not the property of the government or despite being the property of government, the value of such forest produce is less than one thousand rupees and if the offender has committed the offence for the first time, then the case can be compounded on payment of the sum of ten thousand rupees or the value of the vehicle, whichever is less, by an officer not below the rank of sub-divisional forest officer. After compounding the offence, no further action shall be taken against the offender. The seized forest produce may be released only if it is not the property of the Government or on payment of the value thereof, as the case may be.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2005

क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वनोपज की निम्नलिखित प्रजातियों को उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती हैं, अर्थात्:—

निम्नलिखित प्रजातियों का कष्ठ :

(एक)	नीलगिरी	—	यूकेलिप्टस प्रजातियां
(दो)	कैसूरिना	—	कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया
(तीन)	सूबबूल	—	ल्यूसेनिया प्रजातियां
(चार)	पापलर	—	पाप्युलस प्रजातियां
(पांच)	इजरायली बबूल	—	एकेशिया टॉरटिलिस
(छह)	विलायती बबूल	—	प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा
(सात)	बबूल	—	अकेशिया निलोटिका
(आठ)	नीम	—	अजाडरक्टा इंडिका
(नौ)	आम	—	मैंजीफैरा इंडीका

(दस) आयातित/शंकुधारी काष्ठ (चीड़, कैल, देवदार और पाईन) की अन्य समस्त प्रजातियां, जो मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती है, चाहे वे किसी अन्य नाम से ही जानी जाती हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2005

क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2002-दस-3, दिनांक 16 मई 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 16th May 2005

No. F-30-8-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government hereby exempts the following species of forest produce from the operation of the said rules, namely:—

Timber of following species :

(i)	Neelgiri	—	Eucalyptus species
(ii)	Casuarina	—	Casuarina equisetifolia
(iii)	Subabul	—	Leucenea sps.
(iv)	Poplar	—	Populus sps.
(v)	Israili Babul	—	Acacia tortilis
(vi)	Vilayati Babul	—	Prosopis Juliflora
(vii)	Babul	—	Acacia Nilotica
(viii)	Neem	—	Azadirachta Indica
(ix)	Mango	—	Mangifera Indica

(x) All other species of imported/ coniferous timber (Chir, Kail, Devdar and Pine) which are not found in Madhya Pradesh, even if they are known by some other names.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुदणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

सत्यप्रतिलिपि
उप वन संरक्षक
कार्यालय ... मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, ... एवं लोक वानिकी

श्रीमती शाहजहान गनी, तत्कालीन प्राचार्य, कस्तूरबा गर्ल्स कॉलेज, भोपाल को सचिव, उर्दू अकादमी के पद पर पूर्व से प्रचलित सेवा शर्तों पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ प्रसाद, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2003

क्र. एफ-24-3-2000-बत्तीस-1.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 (1) के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नीमच को भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्ति करने की सहमति प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2003

क्र. एफ-7-36-2001-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक संचालक, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है.

1. श्री मोहम्मद इदरीश आत्मज श्री छोटे खां
2 श्रीमती मुन्नीबाई महावर
3. श्री जाहिद गौरी
4. श्री चतरसिंह अहिरवार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2003

क्र. एफ-28-1-2003-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परंतुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद,तेंदूपत्ता, साल बीज तथा कुल्लू गोंद को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट देती है.

No. F-28-1-2003-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of the proviso to Rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government hereby, exempts all unspecified minor forest Produce except Timber, Mineral, wildlife Produce, Tendu patta, Sal seeds and Kullu gum from the operation of the said rules.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2003

क्र. एफ-25-28-03-दस-3.— मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) की धारा 22-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि दिनांक 1 जुलाई 2003 से कुल्लू गोंद को छोड़कर हर्रा तथा अन्य समस्त प्रकार की गोंद संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट वन उपज नहीं रहेगी.

No. F-25-28-03-X-3.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 22-A of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), the State Government hereby directs that with effect from 1st July 2003, Harra and all types of gum execpt Kullu gum shall cease to be a specified forest produce in whole of the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2003

क्र. ई-5-667-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री पी. के. पाराशर, कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 24 से 28 जून 2003 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 जून 2003 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री पाराशर की छुट्टी की अवधि में श्रीमती सूरज डामोर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का चालू कार्यभार संभालने के लिये भी नियुक्त किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पाराशर द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूरज डामोर, कलेक्टर, रतलाम के चालू कार्यभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना चौधरी, प्रमुख सचिव.

योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2003

क्र. एफ-9-8-2001-तेईस-यो-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री योगेन्द्र लुम्बा, सावित्री भवन लाला गिरधारी मार्ग गुना को जिला योजना समिति, गुना में आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिये जिला योजना समिति में अशासकीय सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है.

क्र. एफ-9-59-2000-तेईस-यो-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री यादोराव रहांगडाले, बरघाट एवं श्री रेहान भाई कानेवाल को जिला योजना समिति, सिवनी में आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिये जिला योजना समिति में अशासकीय सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2003

क्र. एफ-11-13-2003-उन्तीस-2.— मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन रूल्स, 1971 के नियम 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं श्री व्ही. आर. खरे, प्रबन्ध संचालक, एम. पी. लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की कार्यकारिणी समिति में संचालक मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्यागी, उपसचिव.

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2003

क्र. एफ-4-3-2003-चौवन-2.—मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन,

लोकवानिकी प्रबंध योजना (10 हेक्टर से कम निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों) के लिये मार्गदर्शिका

1. प्रस्तावना :

म0प्र0 राज्य में निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए बनाए गए म0प्र0 लोकवानिकी अधिनियम, 2001 तथा उसे लागू करने के प्रयोजनार्थ बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन में 10 हे0 से कम आकार के खसरों में, जो वन की परिभाषा में नहीं आते हैं, के लिए प्रबंध योजनाएं बनाने में व्यवहारिक कठिनाइयॉं आती हैं ।

सामान्यतः ऐसे खसरों में भूमि स्वामी की निजी भूमि पर खड़े वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। विकृत अवस्था में खड़े इन क्षेत्रों में परिपक्व आयु के वृक्षों की अधिकता एवं युवा आयु के वृक्षों की संख्या कम रहती है।

10 हे0 से कम ऐसे वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों को वृक्ष आच्छादित क्षेत्रो के रुप मे प्रबंधन करनें के लिये इच्छुक भूमि स्वामी को ही लोकवानिकी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्र के प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना तैयार करनी होगी। 200 वृक्ष प्रति हे0 विद्यमान होने पर क्षेत्र को वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रुप में मान्य किया जायेगा। ऐसी प्रबंध योजना भूमि स्वामी की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुये तैयार की जावेगी, जिससे अधिक से अधिक भूमि स्वामी अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित हों। भूमि स्वामी की निजी भूमि पर खड़े वृक्षों के प्रबंधन में भूमि स्वामियों के हितों को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है अतः 10 हेक्टर से कम आकार के निजी वृक्ष आच्छादित ऐसे खसरे जो वन के रुप में अभिलिखित नही हैं, के प्रबंधन हेतु सुगम प्रावधान बनाने की आवश्यकता है। अतः इस हेतु लोकवानिकी अधिनियम 2001 तथा लोकवानिकी नियम 2002 एवं संशोधित नियम 2007 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी समस्त मार्गदर्शी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए, इस संबंध में प्रबंध योजना हेतु मार्गदर्शी सिंद्धात जारी किये जाते हैं।

2. सीमांकन :

भूमि के स्वामित्व का राजस्व विभाग से सत्यापन होने के उपरांत वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन आच्छादित क्षेत्र के लिए एक बही तैयार की जाएगी जिसमें क्षेत्र का पी0डी0ए0 अथवा अन्य उपकरण से सर्वे करके एक नक्शा भी लगाया जाएगा । इस बही में प्रश्नाधीन वृक्षाच्छादित क्षेत्र में खड़े वृक्षों का प्रजातिवार, गोलाईवार विवरण अंकित कर बही भूमिस्वामी को दी जाएगी । इस बही में

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
म.प्र.

भूमिस्वामी द्वारा प्रबंध योजना के अनुसार काटे गए वृक्षों एवं रोपित पौधों की जानकारी तथा अन्य उपचार के विवरण दर्ज होंगे जिनका वन विभाग द्वारा समय–समय पर सत्यापन किया जा सकेगा ।

3. पातन चक्र/रोटेशन :

भूमि स्वामी के वृक्ष आच्छादित क्षेत्र छोटे होने के कारण बड़े वन क्षेत्रों के लिये निर्धारित वानिकी सिद्धांतों के अनुरुप पातन चक्र निर्धारित किया जाना व्यवहारिक नहीं होगा, अतः क्षेत्र की उत्पादक क्षमता को ध्यान में रखते हुये, योजना अवधि के दौरान पातन योग्य वृक्षों को 5 वर्ष के अंतराल में विदोहित किया जा सकेगा। प्रथम पातन के उपरांत पातन किये गये क्षेत्र में पौध के पुनः स्थापित होने के उपरांत ही द्वितीय पातन की अनुमति दी जा सकेगी।

4. पातन हेतु वृक्षों का चयन :

भूमि पर खड़े वृक्षों के स्वरुप के आधार पर, पातन योग्य वृक्षों का चयन इस प्रकार किया जायेगा, जिससे कि पातन के उपरांत किए जाने वाले रोपण के पश्चात क्षेत्र का वृक्ष आच्छादित स्वरुप बना रहे ।

5. पातन नियम/ अन्य उपचारों के लिये नियम :

5.1 विदोहन योग्य वृक्षों का चयन एवं उनकी संख्या भू–स्वामी की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित की जाना चाहिये।

5.2 विदोहन उपरांत भूमि पर शेष वृक्षों एवं रोपित पौधों की संख्या कम से कम 200 वृक्ष प्रति हे0 होना आवश्यक है। इस संख्या में रोपित पौधों, कापिस से प्राप्त पौधों एवं प्राकृतिक रुप से उगे पौधों की संख्या को गणना में लिया जायेगा।

5.3 क्षेत्र में रोपित की जाने वाली वृक्षों की प्रजातियों का चयन भूमि स्वामी द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरुप किया जायेगा ।

5.4 भूमि के प्रबंधन के दौरान उसका वृक्ष आच्छादित स्वरूप आवश्यक रुप से बना रहना चाहिये अर्थात क्षेत्र में 200 वृक्ष प्रति हे0 की न्यूनतम संख्या की उपलब्धता बनी रहे ।

6. बारहमासी जलधाराओं के किनारे उपचार :

मृदा एवं जल संरक्षण की दृष्टि से बारहमासी जलधाराओ के किनारे पातन किया जाना भूमि स्वामी के स्वयं के हित में नही होगा। फिर भी भूमि स्वामी की इच्छा से, ऐसी जलधाराओ से 30 मी. की दूरी तक बॉस, रतनजोत, शीशल, खस, घास, जामुन, अर्जुन, साजा इत्यादि मृदा बांधने वाली

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी

(82)

...तियों के रोपण एवं उसके स्थापित होने की स्थिति में कटाई का प्रावधान किया जा सकता है। इस ...वधान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र मे मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करना है।

7. पातन / विदोहन :

विदोहन कार्य स्वीकृत प्रबंध योजना के अनुसार किया जाएगा ।

8. छपान (मार्किंग):

प्रबंध योजना में सम्मिलित भूमिस्वामी के खसरे पर खड़े सभी वृक्षों की प्रजातिवार, गोलाईवार सूची तैयार की जायेगी, जिसमें से विदोहन हेतु चयनित वृक्षों पर वन विभाग में प्रचलित निर्देशों के अनुसार तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये छपान (मार्किंग) कार्य किया जायेगा। छपान किए गए (चिन्हांकित) वृक्षों पर हैमर लगाने हेतु वनमंडलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी को अधिकृत करते हुये हैमर जारी किया जायेगा। वनमंडल अधिकारी द्वारा हेमर लगाने हेतु अधिकृत वन अधिकारी द्वारा यह कार्य 15 दिन की अवधि में किया जायेगा।

9. मृदा एवं जल संरक्षण :

प्रबंध योजना के क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण से संबंधित उपचार क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरुप किये जाने चाहिये ताकि कृषक की भूमि की गुणवत्ता का विघटन न हो।

(डॉ0 एच0 एस0 पाबला)
अध्यक्ष एवं प्र0मु0व0सं0
वन्यप्राणी, म0प्र0

(आर0 एन0 सक्सेना)
सदस्य एवं अ0प्र0मु0व0सं0
सं0व0प्र0, म0प्र0

(एस0 पी0 सिंह)
सदस्य एवं अ0प्र0मु0व0सं0
अ0वि0/लो0वा0, म0प्र0

(पंकज श्रीवास्तव)
सदस्य एवं मु0व0सं0
अ0वि0 वृत्त, इंदौर

(के0 डी0 मेहरा)
सदस्य सचिव एवं मु0व0सं0
अ0वि0 / लो0वा0, म0प्र0

सत्यप्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
म...

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर 2015—आश्विन 2, शक 1937

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2015

एफ 30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना एफ 30-08-2002-दस-3 क्रमशः दिनांक 16 मई 2005, 11 अप्रैल 2007 एवं 7 मई 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज की निम्नलिखित प्रजातियों को, जो नीचे सारणी में दर्शित हैं, उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वृक्ष का नाम (2)	प्रजाति का नाम (3)
(एक)	नीलगिरी	यूकेलिप्टस प्रजातियां
(दो)	कैसूरिना	कैसूरिना इक्विसिटीफोलिया
(तीन)	पोपलर	पापुलस प्रजातियां
(चार)	सुबबूल	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
(पांच)	इजरायली बबूल	एकेशिया टॉरटिलिस
(छह)	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
(सात)	आस्ट्रेलियन बबूल	एकेशिया ऑरिकुलीफारमिस

(1)	(2)	(3)
(आठ)	बबूल	अकेशिया निलोटिका
(नौ)	खमेर	मेलाईना आरबोरिया
(दस)	महारूख	ऐलेन्थस एक्सेल्सा
(ग्यारह)	कदम्ब	एन्थोसेफेलस कदम्बा
(बारह)	केसिया साइमिया	केसिया साइगिया
(तेरह)	गुलमोहर	डेलोनिक्स रेजिया
(चौदह)	जेकरंडा	जेकरंडा माइमोसिफोलिया
(पन्द्रह)	सिल्वर ओक	ग्रेविलिया रोबस्टा
(सोलह)	पाम	पाम प्रजातियाँ
(सत्रह)	बेर	जिजीफस जुजुबा
(अठारह)	शहतूत	मोरस अल्बा
(उन्नीस)	कटहल	आर्टोकार्पस हेट्रोफिल्लस
(बीस)	अमरूद	साइडियम गुआवा
(इक्कीस)	नीम्बू, संतरा, मोसम्बी	सिट्रस प्रजातियाँ
(बाईस)	मुनगा	मोरिंगा ऑलिफेरा
(तेईस)	मौलश्री	माइमूसाप्स एलेन्जाई
(चौबीस)	अशोक	पालिएल्थिआ लांगीफोलिया, सरक्का असोका
(पच्चीस)	पुत्रंजीवा	पुत्रंजीवा रौक्सबरगाई
(छब्बीस)	इमली	टैमिरिन्डस इन्डिका
(सत्ताईस)	जामुन	साइजियम क्यूमिनि
(अट्ठाईस)	आम	मैंजीफेरा इंडिका
(उन्तीस)	सप्तपर्णी	एल्स्टोनिया स्कॉलेरिस
(तीस)	कैथा	फैरोनिया लिमोनिया
(इकतीस)	जंगल जलेबी	पिथेकोलोबियम डल्से
(बत्तीस)	पेल्टाफोरम	पेल्टाफोरम फेरूजीनियम
(तैंतीस)	नीम	अजाडिरेक्टा इंडिका
(चौंतीस)	बकैन	मेलिया अजाडिरे
(पैंतीस)	सिस्सू	डलबर्जिया सिस्सू
(छत्तीस)	करंज	पौंगेमिया पिन्नाटा
(सैंतीस)	पलाश	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
अड़तीस)	सफेद सिरस	अलबिजिया प्रोसेरा
उनतालीस)	पीपल	फाईकस रेलिजिओसा
चालीस)	बरगद	फाईकस बेंगालेन्सिस

(1)	(2)	(3)
(इकतालीस)	गूलर	फाईकस ग्लोमेराटा
(बयालीस)	रबर	फाईकस इलास्टिका
(तैंतालीस)	सेमल	बॉम्बेक्स सीबा
(चवालीस)	कपोक	सीबा पेन्टेन्ड्रा
(पैंतालीस)	चिरोल	होलोप्टेलिया इन्टिग्रिफोलिया
(छियालीस)	ग्लेरिसीडिया	ग्लेरिसीडिया प्रजाति
(सैंतालीस)	रिमझा	अकेसिया ल्यूकोफ्लोयिआ
(अड़तालीस)	मीठी नीम	मुराया कोइनीजाई
(उनन्चास)	गुड़हल/जासोन	हिबिस्कस रोसा-साइनेंसिस
(पचास)	शंकुधारी प्रजातियॉ	शंकुधारी प्रजातियां (चीड़, कैल, देवदार तथा पाईन प्रजातियॉ).
(इक्यावन)	बांस	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस-खण्डवा, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी और मंडला जिलों के सिवाय अन्य जिलों में.
(बावन)	बांस की अन्य प्रजातियां	डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस को छोड़कर अन्य सभी बांस प्रजातियां.
(तिरपन)	आयातित काष्ठ प्रजातियां	आयातित काष्ठ की समस्त प्रजातियां जो मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, चाहे वे किन्हीं. अन्य नामों से जानी जाती हों.

टिप्पणी.—परन्तु कोई व्यक्ति उसके स्वामित्व ऐसी प्रजातियों की वनोपज हेतु अभिवहन पास की मांग करता है तो अभिवन पास, इस निमित प्राधिकृत, वन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा.

F. 30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 and in supersession of this department's Notification F-30-8-2002-X-3 respectively dated 16th May 2005, 11th April 2007, 7th May 2012, the State Government, hereby, exempts the following species of forest produce owned by any person, from the operation of the said rules as shown in the table below, namely:—

S. No. (1)	Name of Tree (2)	Name of Species (3)
(i)	Neelgiri	Eucalyptus Species
(ii)	Casuarina	Casuarina Equisetifolia
(iii)	Poplar	Populus Species
(iv)	Subabul	Leucaena Leucocephala
(v)	Israili Babul	Acacia Tortilis
(vi)	Vilayati Babul	Prosopis Juliflora

(1)	(2)	(3)
(x)	Maharukh	Ailanthus Excelsa
(xi)	Kadamb	Anthocephalus Kadamba
(xii)	Cassia Siamea	Cassia Siamea
(xiii)	Gulmohar	Delonix Regia
(xiv)	Jaccaranda	Jaccaranda Mimusifolia
(xv)	Silver Oak	Grevillea Robusta
(xvi)	Palm	Palm Species
(xvii)	Ber	Zizyphus Jujuba
(xviii)	Mulberry	Morus Alba
(xix)	Katahal	Artrocarpus Heterophyllus
(xx)	Amrood	Psidium Guava
(xxi)	Nimbu, Santra, Mussambi	Citrus Species
(xxii)	Munga	Moringa Oleifera
(xxiii)	Molshri	Mimusops Elengii
(xxiv)	Ashok	Polyalthea Longifolia, Saraca Asoca
(xxv)	Putranjiva	Putranjiva Roxburghii
(xxvi)	Imli	Tamarindus Indica
(xxvii)	Jamun	Syzygium Cumini
(xxviii)	Mango	Mangifera Indica
(xxix)	Saptparni	Alstonia Scholaris
(xxx)	Kaitha	Feronia Limonia
(xxxi)	Jungle Jalebi	Pithecellobium Dulce
(xxxii)	Petltaphorum	Peltaphorum Ferrugineum
(xxxiii)	Neem	Azadirachta Indica
(xxxiv)	Bakain	Melia Azadirach
(xxxv)	Sissoo	Dalbergia Sissoo
(xxxvi)	Karanj	Pongamia Pinnata
(xxxvii)	Palash	Butea Monosperma
(xxxviii)	Safed Sirus	Albizzea Procera
(xxxix)	Pipal	Ficus Religiosa
(xl)	Bargad	Ficus Bengalensis
(xli)	Gular	Ficus Glomerata
(xlii)	Rubber	Ficus Elastica
(xliii)	Semal	Bombax Ceiba
(xliv)	Kapok	Ceiba Pentandra
(xlv)	Chirol	Holoptelia Integrifolia
(xlvi)	Gliricidea	Gliricidea Species
(xlvii)	Rimjha	Acacia Leucophloea

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 अप्रैल 2017 —चैत्र 21, शक 1939

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परंतुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 30-08-2002-दस-3, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

सारणी में, प्रविष्टि (तिरपन) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वृक्ष का नाम (2)	प्रजाति का नाम (3)
(चौवन)	आकाश नीम	मेलिगटोनिया हार्टेन्सिस
(पचपन)	अगस्त	सिसवानिया ग्राण्डी फलोरा
(छप्पन)	नारियल	कोकस न्यूसीफेरा
(सतावन)	खजूर	फोईनिक्स सिल्वेस्ट्रिस
(अठावन)	ताड़	बोरासस फ्लेबीलाईपुर
(उनसठ)	पेपर मलबरी	ब्राउसेन्सिया पपेरीफेरा
(साठ)	पांजारा	एरिथिना सबरोजा
(इकसठ)	झदेशड़ा	प्वाईन्टियाना एलाटा
(बासठ)	कस्तार	अलबीझिया अमारा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सिंह धाकड़, सचिव.

(1)	(2)	(3)
(l)	Conifers	Coniferous Species (Chir, Kail, Deodar and Pine Species).
(li)	Bamboo	Dendrocalamus Strictus In all districts except in districts of Khandwa, Burhanpur, Betul, Chhindwara, Balaghat, Seoni, Shahdol, Umaria, Jabalpur, Katni and Mandla.
(lii)	Other Bamboo Species	All Species of Bamboo other than Dendrocalamus Strictus.
(liii)	Imported Timber Species.	All other Species of Imported Timber which or not found in Madhya Pradesh, even if they are known by some other names.

Note.—If any person demands tranist pass for Forest produce of such species, owned by him, it shall be issued by a Forest Officer, authorised in this behalf.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों का विवरण

क्रमांक	नर्सरी कोड	अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम	नर्सरी का विवरण					क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	पौधा तैयारी क्षमता		सिंचाई का स्त्रोत	जिला मुख्यालय से दूरी (किलो मीटर में)	नर्सरी तक पहुँच मार्ग का प्रकार (अगर कच्चा मार्ग है तो निकटतम पक्के मार्ग से लंबाई)
			नाम	ग्राम	विकास खंड	तहसील	जिला		बेड संख्या	पौधा संख्या (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BTBT01	बैतूल	कालापाठा	कालापाठा	बैतूल	बैतूल	बैतूल	3.000	666	10.00	2 ट्यबवेल	5	0.300 मी.
2	BTBT02	बैतूल	नवीन नीमपानी	नीमपानी	घोड़ाडोंगरी	घोड़डोंगरी	बैतूल	4.964	800	12.00	2 ट्यबवेल एवं	27	1.5 कि.मी.
3	BTBT03	बैतूल	आरोग्य वाटिका	केवला झीर	घोड़ाडोंगरी	घोड़डोंगरी	बैतूल	6.000	300	4.50	कोटखेडा नदी एवं	32	2.00 कि.मी.
4	BTBT04	बैतूल	राजडोह	लोनिया	घोड़ाडोंगरी	घोड़डोंगरी	बैतूल	6.230	2000	20.00	तवा नदी	65	रोड से लगा हुआ
5	BTBT05	बैतूल	सांगवानी	सांगवानी	चिचोली	चिचोली	बैतूल	18.000	5000	30.00	03 ट्यूबवेल एवं मोरन नदी	77	रोड से लगा हुआ
											01 ट्यूबवेल	78	
											01 ट्यूबवेल	80	
6	BTBT06	बैतूल	छिन्दीखापा				बैतूल						
7	BTHS01	बैतूल	खकरापूरा	खकरापूरा	केसला	केसला	होशंगाबाद	18.000	4000	35.00	6 ट्यूबवेल	67	रोड से लगा हुआ
8	BTHS02	बैतूल	बागदेव				होशंगाबाद						
9	BTHD01	बैतूल	गंजाल	छिदगांव	टिमरनी	टिमरनी	हरदा	18.000	1300	15.00	गंजाल नदी एवं 1 ट्यूबवेल	125	1.00 कि.मी.
10	BPBP01	भोपाल	अहमदपुर	अहमदपुर	फंदा	हुजुर	भोपाल	10.000	100	5.00	कुंआ.ट्यूब बेल	15	हाईवे
11	BPBP02	भोपाल	भदभदा	भदभदा	फंदा	हुजुर	भोपाल	1.500	0	4.00	ट्यूब बेल	6	पक्का मार्ग
12	BPBP03	भोपाल	इमलिया	इमलिया	बैरसिया	बैरसिया	भोपाल	5.000	100	6.00	ट्यूब बेल	60	पक्का मार्ग
13	BPBP04	भोपाल	गरेठिया	गरेठिया	बैरसिया	बैरसिया	भोपाल	8.000	1000	0.00	ट्यूब बेल01, कुंआ	55	पक्का मार्ग
14	BPSR01	भोपाल	बांसापुरा	बांसापुरा	बुदनी	बुदनी	सीहोर	3.000	400	6.00	नाला	100	हाईवे
15	BPSR02	भोपाल	होलीपुरा	होलीपुरा	बुदनी	बुदनी	सीहोर	5.000	800	4.00	डेम	90	पक्का मार्ग
16	BPRS01	भोपाल	अमरावद प	अमरावद	रायसेन	रायसेन	रायसेन	7.000	1000	4.00	ट्यूब बेल 02	15	हाईवे
17	BPRS02	भोपाल	अमरावद प	अमरावद	रायसेन	रायसेन	रायसेन	3.650	400	3.00	ट्यूब बेल 02	16	हाईवे
18	BPRS03	भोपाल	मुडियाखेडा	मुडियाखेडा	रायसेन	रायसेन	रायसेन	2.000	300	0.00	तालाब	40	हाईवे

क्रमांक	नर्सरी कोड	अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम	नर्सरी का विवरण					क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	पौधा तैयारी क्षमता		सिंचाई का स्त्रोत	जिला मुख्यालय से दूरी (किलो मीटर में)	नर्सरी तक पहुँच मार्ग का प्रकार (अगर कच्चा मार्ग है तो निकटतम पक्के मार्ग से लंबाई)
			नाम	ग्राम	विकास खंड	तहसील	जिला		बेड संख्या	पौधा संख्या (लाख में)			
19	BPRS04	भोपाल	बाडी	बाडी	बाडी	बाडी	रायसेन	3.000	800	4.00	नहर/ट्यूब बेल	60	पक्का मार्ग
20	BPVD01	भोपाल	बैस	बैस	विदिशा	विदिशा	विदिशा	1.950	100	2.00	ट्यूब बेल	7	पक्का मार्ग
21	BPVD02	भोपाल	हलाली	हलाली	विदिशा	विदिशा	विदिशा	5.000	500	4.00	नहर	30	पक्का मार्ग
22	BPVD03	भोपाल	जटाशंकर	जटाशंकर	सिरोंज	सिरोंज	विदिशा	3.600	300	5.00	तालाब/ट्यूब बेल	100	पक्का मार्ग
23	BPRJ01	भोपाल	शेरपुरा	शेरपुरा	राजगढ़	राजगढ़	राजगढ़	6.070	1000	0.00	ट्यूब बेल/कुंआ	25	कच्चा मार्ग
24	BPRJ02	भोपाल	प्रतापगज	प्रतापगंज	राजगढ़	राजगढ़	राजगढ़	5.000	0	3.00	नदी	3	पक्का मार्ग
25	GWGW01	ग्वालियर	तपोवन	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	10.000	600	5.00	बोरवेल	5	1 कि.मी.
26	GWBN01	ग्वालियर	छोलियाना	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	13.200	600	5.00	बोरवेल	1	800 मीटर
27	GWBN02	ग्वालियर	गोहद				भिण्ड						
28	GWMR01	ग्वालियर	देवरी	देवरी	मुरैना	मुरैना	मुरैना	4.000	500	6.00	बोरवेल	7	500 मीटर
29	GWDT01	ग्वालियर	अंगूरी बैराज	डेरा चिरूला	दतिया	दतिया	दतिया	5.000	1000	10.00	अंगूरी बैराज डेम से पम्प द्वारा	16	पक्का मार्ग
30	GWDT02	ग्वालियर	भूता	रेड़ा	दतिया	दतिया	दतिया	24.000	3000	36.00	भूता डेम से सौलर पम्प द्वारा	12	1 कि.मी.
31	GWSY01	ग्वालियर	इको सेन्टर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	10.000	1000	10.00	बोरवेल	4	500 मीटर
32	GWGN01	ग्वालियर	केन्ट	गुना	गुना	गुना	गुना	13.000	1000	10.00	बोरवेल	3	पक्का मार्ग
33	GWSV01	ग्वालियर	वन विद्यालय	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	1.000	330	3.96	फिल्टर प्लांट से पम्प द्वारा	10	पक्का मार्ग
34	GWSV02	ग्वालियर	भेडफार्म	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	4.000	500	6.00	बोरवेल	6	पक्का मार्ग
35	GWSV03	ग्वालियर	एरावन–1	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	1.500	450	5.00	नदी से सौलर पम्प द्वारा	33	पक्का मार्ग
36	GWSV04	ग्वालियर	एरावन–2	टुकी	नरवर	नरवर	शिवपुरी	8.000	1740	20.00	नदी से सौलर पम्प द्वारा	37	पक्का मार्ग

क्रमांक	नर्सरी कोड	अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम	नर्सरी का विवरण					क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	पौधा तैयारी क्षमता		सिंचाई का स्त्रोत	जिला मुख्यालय से दूरी (किलो मीटर में)	नर्सरी तक पहुँच मार्ग का प्रकार (अगर कच्चा मार्ग है तो निकटतम पक्के मार्ग से लंबाई)
			नाम	ग्राम	विकास खंड	तहसील	जिला		बेड संख्या	पौधा संख्या (लाख में)			
37	GWAS01	ग्वालियर	मौला	मौला	मुगावली	मुगावली	अशोकनगर	7.000	250	3.00	बोरवेल	28	100 मीटर
38	ININ01	इन्दौर	मालवा डेमो	शहरी क्षेत्र	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	3.000	800	3.50	ट्यूबवेल	0	पक्का मार्ग इन्दौर–खण्डवा मार्ग
39	ININ02	इन्दौर	रेसीडेंसी	शहरी क्षेत्र	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	2.500	250	3.50	ट्यूबवेल	4	पक्का मार्ग रेसीडेंसी कोठी
40	ININ03	इन्दौर	मल्हार आश्रम	शहरी क्षेत्र	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	0.500	125	1.50	ट्यूबवेल	6	पक्का मार्ग मल्हार आश्रम स्कूल
41	ININ04	इन्दौर	उमरीखेडा	उमरीखेडा	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	1.100	---	0.50	ट्यूबवेल	10	पक्का मार्ग इन्दौर–खण्डवा मार्ग
42	ININ05	इन्दौर	भेरूघाट	बाई ग्राम	महू	इन्दौर	इन्दौर	2.000	250	2.50	ट्यूबवेल	22	पक्का मार्ग इन्दौर–खण्डवा मार्ग
43	ININ06	इन्दौर	बड़गोंदा	बड़गोंदा	महू	इन्दौर	इन्दौर	25.000	1000	15.00	ट्यूबवेल	40	पक्का मार्ग से 1.5 कि.मी. अंदर कच्चा मार्ग महू–मण्डलेश्वर मार्ग
44	ININ07	इन्दौर	किशनपुरा	बेटमा	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	1.000	280	2.50	ट्यूबवेल / तालाब	25	पक्का मार्ग इन्दौर– धार मार्ग
45	INDW01	इन्दौर	चन्द्रकेशर	हीरापुर	कन्नोद	सतवास	देवास	4.500	1075	15.00	ट्यूबवेल / तालाब	90	पक्का मार्ग चंद्रकेशर टिंबर डिपो के पास
46	INDW02	इन्दौर	पारस				देवास	0.750	275	3.50	ट्यूबवेल / तालाब	90	पक्का मार्ग पारस डेम के नीचे
47	INDW03	इन्दौर	बरोठा	बरोठा	देवास	देवास	देवास	2.750	100	2.50	ट्यूबवेल	40	पक्का मार्ग से 1/2 कि. मी. अंदर देवास–नेवरी माग्र
48	INDW04	इन्दौर	पीपरी				देवास	15.000	1200	10.00	ट्यूबवेल	80	पक्का मार्ग बागली–पीपरी रोड
49	JHJH01	झाबुआ	मोजीपाडा	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	10.000	1000	10.00	कुआं – 2 ट्. वेल – 2	2	1 कि.मी.
50	JHJH02	झाबुआ	अनास	करडावद बडी	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	5.000	1000	10.00	कुआं – 1 ट्. वेल – 1	3	3 कि.मी.

क्रमांक	नर्सरी कोड	अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम	नर्सरी का विवरण					क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	पौधा तैयारी क्षमता		सिंचाई का स्त्रोत	जिला मुख्यालय से दूरी (किलो मीटर में)	नर्सरी तक पहुँच मार्ग का प्रकार (अगर कच्चा मार्ग है तो निकटतम पक्के मार्ग से लंबाई)
			नाम	ग्राम	विकास खंड	तहसील	जिला		बेड संख्या	पौधा संख्या (लाख में)			
51	JHJH03	झाबुआ	देवझिरी	देवझिरी	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	5.000	400	4.00	कुआं – 1 ट्. वेल – 1	8	.5 कि.मी.
52	JHJH04	झाबुआ	बनी	बनी	पेटलावद	पेटलावद	झाबुआ	4.000	400	4.00	कुआं – 1 ट्. वेल – 0	60	2 कि.मी.
53	JHDR01	झाबुआ	माही	सरदारपुर	सरदारपुर	सरदारपुर	धार	4.000	500	5.00	कुआं – 1 ट्. वेल – 2	45	1 कि.मी.
54	JHDR02	झाबुआ	नटनागरा	धार	धार	धार	धार	10.000	700	7.00	कुआं – 1 ट्. वेल – 2	3	3 कि.मी.
55	JHDR03	झाबुआ	कुंदा	धामनोद	धामनोद	धामनोद	धार	4.000	300	3.00	कुआं – 1 ट्. वेल – 0	70	3 कि.मी.
56	JHDR04	झाबुआ	रामपुरा	रामपुरा	कुक्षी	कुक्षी	धार	4.000	500	5.00	कुआं – 1 ट्. वेल – 0	90	.5 कि.मी.
57	JHDR05	झाबुआ	करंजवानी				धार						
58	JHDR06	झाबुआ	बदनावर				धार						
59	JHAL01	झाबुआ	डाब्या	डाब्या	कठ्ठीवाडा	कठ्ठीवाडा	आलिराजपुर	5.000	700	7.00	कुआं – 1 ट्. वेल – 1	50	0 कि.मी.
60	JHAL02	झाबुआ	मन्नाकुंआ	मन्नाकुंआ	जोबट	जोबट	आलिराजपुर	4.000	400	4.00	कुआं – 1 ट्. वेल – 1	60	.2 कि.मी.
61	KDKD01	खण्डवा	आशापुर रोपणी 1	आशापुर	खालवा	खालवा	खण्डवा	20.000	1000	10.00	नदी / ट्यूबवेल	40	पक्के मार्ग पर स्थित है।
62	KDKD02	खण्डवा	आशापुर रोपणी 2	आशापुर	खालवा	खालवा	खण्डवा	9.000	500	5.00	ट्यूबवेल / कुंआ	40	पक्के मार्ग पर स्थित
63	KDKD03	खण्डवा	आशापुर रोपणी 3	आशापुर	खालवा	खालवा	खण्डवा	10.000	5500	0.00	ट्यूबवेल / कुंआ	40	पक्के मार्ग पर स्थित
64	KDKD04	खण्डवा	बोरगांव रोपणी	बोरगांव बुजुर्ग	पंधाना	पंधाना	खण्डवा	26.000	1000	10.00	सुक्ता नदी	30	पक्के मार्ग पर स्थित
65	KDKD05	खण्डवा	आबना रोपणी	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	5.000	670	9.00	नदी	2	पक्के मार्ग पर स्थित
66	KDKD06	खण्डवा	निमाड रोपणी	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	5.000	589	7.00	कुंआ	0	पक्के मार्ग पर स्थित
67	KDKD07	खण्डवा	कोठी रोपणी	कोठी	पुनासा	पुनासा	खण्डवा	5.000	500	6.00	नाला / ट्यूबवेल		पक्के मार्ग से 1 कि.मी. दूरी पर स्थित

क्रमांक	नर्सरी कोड	अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम	नर्सरी का विवरण					क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	पौधा तैयारी क्षमता		सिंचाई का स्त्रोत	जिला मुख्यालय से दूरी (किलो मीटर में)	नर्सरी तक पहुँच मार्ग का प्रकार (अगर कच्चा मार्ग है तो निकटतम पक्के मार्ग से लंबाई)
			नाम	ग्राम	विकास खंड	तहसील	जिला		बेड संख्या	पौधा संख्या (लाख में)			
68	KDBR01	खण्डवा	नेपानगर रोपणी	नेपानगर	खकनार	नेपानगर	बुरहानपुर	6.000	700	7.00	ट्यूबवेल	35	पक्के मार्ग पर स्थित
69	KDBR02	खण्डवा	मसक रोपणी	नेपानगर	खकनार	नेपानगर	बुरहानपुर	6.000	500	5.00	नदी	40	पक्के मार्ग पर स्थित
70	KDBR03	खण्डवा	सीवल रोपणी	सीवल	खकनार	नेपानगर	बुरहानपुर	10.000	2000	0.00	नदी / ट्यूबवेल	45	पक्के मार्ग पर स्थित
71	KDBR04	खण्डवा	मोरझिरा रोपणी	मोरझिरा	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	5.000	50	0.50	नाला	30	पक्के मार्ग पर स्थित
72	KDKR01	खण्डवा	लाड़वी रोपणी	लाड़वी	महेश्वर	महेश्वर	खरगोन	3.000	1000	12.00	नर्मदा नदी	57	पक्के मार्ग पर स्थित
73	KDKR02	खण्डवा	काटकूट रोपणी	साटकूट	कसरावद	कसरावद	खरगोन	2.000	300	3.00	ट्यूबवेल / कुंआ	46	पक्के मार्ग पर स्थित
74	KDKR03	खण्डवा	चिरिया रोपणी	चिरिया	झिरन्या	झिरन्या	खरगोन	2.000	500	0.00	कुंआ / नाला / ट्यूबवेल	50	पक्के मार्ग पर स्थित
75	KDKR04	खण्डवा	भसनेर रोपणी	भसनेर	खरगोन	खरगोन	खरगोन	3.000	650	8.00	कुंआ / नदी	7	पक्के मार्ग पर स्थित
76	KDBD01	खण्डवा	अजंदी रोपणी	सेगवाल	ठीकरी	ठीकरी	बड़वानी	1.000	300	3.50	कुंआ / तालाब / ट्यूबवेल	61	पक्के मार्ग पर स्थित
77	KDBD02	खण्डवा	मोहन्यापानी रोपणी	मोहन्यापानी	राजपुर	राजपुर	बड़वानी	2.000	350	4.00	ट्यूबवेल / कुंआ	56	पक्के मार्ग पर स्थित
78	KDBD03	खण्डवा	दानोद रोपणी	दानोद	राजपुर	राजपुर	बड़वानी	2.000	300	3.00	कुंआ / नाला / ट्यूबवेल	38	पक्के मार्ग पर स्थित
79	KDBD04	खण्डवा	खड़क्या रोपणी	खड़क्या	सेंधवा	सेंधवा	बड़वानी	4.000	850	10.00	ट्यूबवेल / कुंआ	56	पक्के मार्ग पर स्थित
80	JBJB01	जबलपुर	शहरी रोपणी, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	12.500	1000	10.00	2 ट्यूबवेल	5.5	कच्चा मार्ग 500 मी0
81	JBJB02	जबलपुर	केन्द्रीय रोपणी, परियट	सुंदरपुर	पनागर	पनागर	जबलपुर	15.800	2200	8.00	ट्यूबवेल	35	पक्का मार्ग
82	JBJB03	जबलपुर	दरौली रोपणी, सिहोरा	दरौली	सिहोरा	सिहोरा	जबलपुर	53.000	1500	10.00	नदी	55	कच्चा 1 किमी
83	JBKT01	जबलपुर	सरसवाही रोपणी, कटनी	सरसवाही	कटनी	कटनी	कटनी	72.000	8000	20.00	ट्यूबवेल, कुआं, नाला	10	पक्का मार्ग
84	JBMD01	जबलपुर	कटरा रोपणी, मण्डला	कटरा	मण्डला	मण्डला	मण्डला	10.000	1600	16.00	4 ट्यूबवेल	5	कच्चा 1/2 किमी
85	JBDN01	जबलपुर	अमेरा रोपणी, डिण्डौरी	अमेरा	शहपुरा	शहपुरा	डिण्डौरी	8.000	800	12.00	2 ट्यूबवेल	40	कच्चा 1 किमी

क्रमांक	नर्सरी कोड	अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम	नर्सरी का विवरण					क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	पौधा तैयारी क्षमता		सिंचाई का स्त्रोत	जिला मुख्यालय से दूरी (किलो मीटर में)	नर्सरी तक पहुँच मार्ग का प्रकार (अगर कच्चा मार्ग है तो निकटतम पक्के मार्ग से लंबाई)
			नाम	ग्राम	विकास खंड	तहसील	जिला		बेड संख्या	पौधा संख्या (लाख में)			
86	RTRT01	रतलाम	सागौद	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम	1.000	150	2.00	टयूबवेल	0	पक्का
87	RTRT02	रतलाम	बासिन्द्रा	बासिन्द्रा	सैलाना	सैलाना	रतलाम	2.000	200	2.50	नाला जीवित	32	पक्का
88	RTRT03	रतलाम	बिलपांक	बिलपांक	रतलाम	रतलाम	रतलाम	6.000	310	3.00	टयूबवेल	20	पक्का
89	RTMD01	रतलाम	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	9.300	300	2.50	कुंआ	0	पक्का
90	RTNM01	रतलाम	हर्किया खाल	हर्किया खाल	नीमच	नीमच	नीमच	4.000	450	10.00	कुंआ	15	पक्का
91	RTNM02	रतलाम	चमेलीकुँआ				नीमच						
92	RTUJ01	रतलाम	क्षिप्रा विहार	क्षिप्रा विहार	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	1.650	200	2.50	बोरवेल	0	पक्का
93	RTUJ02	रतलाम	त्रिवेणी				उज्जैन						
94	RTSJ01	रतलाम	सांपखेडा	सांपखेड़ा	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	1.500	350	3.50	कुंआ	5	पक्का
95	RTAG01	रतलाम	आगर	आगर	आगर	आगर	आगर	2.300	500	5.00	बोरवेल	0	पक्का
96	RWRW01	रीवा	रीवा	रीवा	रीवा	हुजूर	रीवा	10.000	350	10.00	नदी के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	0	0 कि.मी.
97	RWRW02	रीवा	बैदहा	बैदहा	सिरमौर	सेमरिया	रीवा	3.000	500	5.00	बोरबेल एवं नाला के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	35	1 कि.मी.
98	RWRW03	रीवा	हर्दी	हर्दी	रीवा	हुजूर	रीवा	5.000	500	2.50	बोरबेल	15	1 कि.मी.
99	RWST01	रीवा	रामटेकरी	रामटेकरी	सतना	सतना	सतना	3.000	150	4.00	बोरबेल	6	0 कि.मी.
100	RWST02	रीवा	परसवाही	परसवाही	अमरपाटन	अमरपाटन	सतना	2.000	400	4.00	बोरबेल	45	0 कि.मी.
101	RWST03	रीवा	मुकुन्दपुर	मुकुन्दपुर	अमरपाटन	अमरपाटन	सतना	10.000	1000	12.00	बोरबेल एवं नदी के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	65	0 कि.मी.
102	RWSD01	रीवा	जोगदहा	जोगदहा	सिहावल	बहरी	सीधी	8.000	1000	16.00	बोरबेल एवं नदी के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	38	0 कि.मी.

क्रमांक	नर्सरी कोड	अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम	नर्सरी का विवरण					क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	पौधा तैयारी क्षमता		सिंचाई का स्त्रोत	जिला मुख्यालय से दूरी (किलो मीटर में)	नर्सरी तक पहुँच मार्ग का प्रकार (अगर कच्चा मार्ग है तो निकटतम पक्के मार्ग से लंबाई)
			नाम	ग्राम	विकास खंड	तहसील	जिला		बेड संख्या	पौधा संख्या (लाख में)			
103	RWSD02	रीवा	बदरखेड़ा	बदरखेड़ा	सिहावल	बहरी	सीधी	15.000	3000	20.00	नदी के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	48	0 कि.मी.
104	RWSD03	रीवा	टिकरी	टिकरी	मझौली	मझौली	सीधी	9.000	100	20.00	नदी के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	40	0.5 कि.मी.
105	RWSG01	रीवा	निगरी	निगरी	देवसर	देवसर	सिंगरौली	8.000	50	6.00	नाला के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	140	1 कि.मी.
106	RWSG02	रीवा	ओवरी	ओवरी	देवसर	सरई	सिंगरौली	16.000	1500	30.00	नदी के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	55	0 कि.मी.
107	RWSH01	रीवा	समधिन	बेड़रा	ब्यौहारी	ब्यौहारी	शहडोल	10.000	1000	16.00	नाला के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	90	0 कि.मी.
108	RWSH02	रीवा	धनपुरी	धनपुरी	बुढ़ार	बुढ़ार	शहडोल	10.000	600	10.00	बोरबेल	30	2 कि.मी.
109	RWSH03	रीवा	विचारपुर	विचारपुर	सोहागपुर	सोहागपुर	शहडोल	10.000	1500	10.00	नाला के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	6	0 कि.मी.
110	RWUM01	रीवा	मझगवां	अमिलिया	पाली	पाली	उमरिया	4.000	580	11.00	नाला के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	60	0 कि.मी.
111	RWAN01	रीवा	सीतापुर	सीतापुर	जैतहरी	जैतहरी	अनूपपुर	1.500	150	5.00	नदी के पानी से लिफ्ट एरिगेशन	2	0 कि.मी.
112	SGSG01	सागर	सिरौंजा भाग–1	सिरौंजा	सागर	सागर	सागर	22.000	900	10.00	कुंआ, ट्यूबबेल	8	7+1 कि.मी. कच्चा मार्ग
113	SGSG02	सागर	सिरौंजा भाग–2 (पथरिया)	पथरिया	सागर	सागर	सागर	4.000	800	8.00	कुंआ, ट्यूबबेल	5	4+1 कि.मी. कच्चा मार्ग
114	SGSG03	सागर	सिरौंजा भाग–3 (चौरई)	चौरई	रहली	रहली	सागर	3.000	1000	6.00	ट्यूबबेल	55	45+10 कि.मी. पक्का मार्ग
115	SGSG04	सागर	चकरा भाग–1	चकरा	मालथौन	मालथौन	सागर	75.000	1500	15.00	ट्यूबबेल	70	67+3 कि.मी. कच्चा मार्ग
116	SGSG05	सागर	चकरा भाग–2 (अण्डेला)	अण्डेला	मालथौन	मालथौन	सागर	90.000	8000	18.00	ट्यूबबेल	67	67 कि.मी. पक्का मार्ग
117	SGSG06	सागर	चकरा भाग–3 (बहरोल)	बहरोल	बांदरी	सागर	सागर	15.000	3000	30.00	नदी	47	46+1 कि.मी. कच्चा मार्ग

क्रमांक	नर्सरी कोड	अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम	नर्सरी का विवरण					क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	पौधा तैयारी क्षमता		सिंचाई का स्त्रोत	जिला मुख्यालय से दूरी (किलो मीटर में)	नर्सरी तक पहुँच मार्ग का प्रकार (अगर कच्चा मार्ग है तो निकटतम पक्के मार्ग से लंबाई)
			नाम	ग्राम	विकास खंड	तहसील	जिला		बेड संख्या	पौधा संख्या (लाख में)			
118	SGSG07	सागर	पाण्डाझिर भाग–2 (अमरमऊ)	अमरमऊ	शाहगढ़	शाहगढ़	सागर	5.000	400	8.00	नदी	96	93+3 कि.मी. कच्चा मार्ग
119	SGDM01	सागर	नोहटा	नोहटा	जबेरा	जबेरा	दमोह	5.000	500	10.00	नदी	25	25 कि.मी. पक्का मार्ग
120	SGDM02	सागर	सांगा	सांगा	तेन्दूखेड़ा	तेन्दूखेड़ा	दमोह	15.000	3300	25.00	नदी	57	55+2 कि.मी. कच्चा मार्ग
121	SGDM03	सागर	हथनी	हथनी	दमोह	दमोह	दमोह	2.000	300	50.00	ट्यूबबेल	11	10+1 कि.मी. कच्चा मार्ग
122	SGCH01	सागर	पाण्डाझिर भाग–1	पाण्डाझिर	बड़ामलहरा	बड़ामलहरा	छतरपुर	2.500	650	13.00	नदी	74	72+2 कि.मी. कच्चा मार्ग
123	SGCH02	सागर	देवरा	देवरा	विजावर	विजावर	छतरपुर	3.000	350	8.00	नदी	57	57 कि.मी. पक्का मार्ग
124	SGCH03	सागर	गंज	गंज	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	10.000	500	5.00	कुंआ, ट्यूबबेल	18	18 कि.मी. पक्का मार्ग
125	SGKT01	सागर	आमा	आमा	कटनी	कटनी	कटनी	4.000	400	8.00	ट्यूबबेल	95	95 कि.मी. पक्का मार्ग
126	SGPN01	सागर	विश्रामगंज	विश्रामगंज	पन्ना	पन्ना	पन्ना	6.000	1700	1.70	ट्यूबबेल	5	5 कि.मी. पक्का मार्ग
127	SGPN02	सागर	अमानगंज	अमानगंज	अमानगंज	अमानगंज	पन्ना	3.000	400	8.00	नदी	35	35 कि.मी. पक्का मार्ग
128	SGPN03	सागर	संजय	संजय	पन्ना	पन्ना	पन्ना	2.000	500	5.00	कुंआ, ट्यूबबेल	10	10 कि.मी. पक्का मार्ग
129	SGTK01	सागर	कुण्डेश्वर	गनेशगंज	टीकमगढ	टीकमगढ़	टीकमगढ़	5.000	1000	10.00	नदी	11	6+5 कि.मी. कच्चा मार्ग
130	SGTK02	सागर	पिपरोट	पिपरौट	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	5.000	1500	5.00	नदी	45	45 कि.मी. पक्का मार्ग
131	SESE01	सिवनी	बाम्हनदेही भाग–1	बाम्हनदेही	सिवनी	सिवनी	सिवनी	4.000	-	8.00	कुंआ, ट्यूबवेल	8	सड़क मार्ग
132	SESE02	सिवनी	बाम्हनदेही भाग–2	बाम्हनदेही	सिवनी	सिवनी	सिवनी	2.000	-	5.00	कुंआ, ट्यूबवेल	8	सड़क मार्ग
133	SESE03	सिवनी	सोनखार	सोनखार	केवलारी	केवलारी	सिवनी	7.500	200	4.50	कुंआ, ट्यूबवेल	72	सड़क मार्ग
134	SESE04	सिवनी	दुधिया	रूखड़	कुरई	कुरई	सिवनी	2.500	-	6.00	तालाब	30	मुख्य सड़क मार्ग
135	SESE05	सिवनी	आमगांव	आमगांव	बरघाट	बरघाट	सिवनी	10.000	4000	5.00	कुंआ, ट्यूबवेल	12	सड़क मार्ग
136	SESE06	सिवनी	नान्हीकन्हार	नान्हीकन्हार	बरघाट	बरघाट	सिवनी	4.000	-	5.00	तालाब	18	2 किमी
137	SESE07	सिवनी	नांदी	नांदी	बरघाट	बरघाट	सिवनी	10.000	5000	0.00	कुंआ, ट्यूबवेल	32	सड़क मार्ग
138	SESE08	सिवनी	खैरी	खैरी	छपारा	छपारा	सिवनी	5.000	2000	0.00	नदी	33	सड़क मार्ग

क्रमांक	नर्सरी कोड	अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम	नर्सरी का विवरण					क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	पौधा तैयारी क्षमता		सिंचाई का स्त्रोत	जिला मुख्यालय से दूरी (किलो मीटर में)	नर्सरी तक पहुँच मार्ग का प्रकार (अगर कच्चा मार्ग है तो निकटतम पक्के मार्ग से लंबाई)
			नाम	ग्राम	विकास खंड	तहसील	जिला		बेड संख्या	पौधा संख्या (लाख में)			
139	SESE09	सिवनी	बंजारी	बंजारी	लखनादौन	लखनादौन	सिवनी	5.000	-	5.00	ट्यूबवेल,तालाब	90	पक्का मार्ग
140	SESE10	सिवनी	शिकारा	शिकारा	घंसौर	घंसौर	सिवनी	5.000	1000	0.00	नदी	120	100 मी.
141	SENR01	सिवनी	श्यामनगर	श्यामनगर	गोटेगांव	गोटेगांव	नरसिंहपुर	2.090	-	6.00	ट्यूबवेल	49	पक्का मार्ग
142	SENR02	सिवनी	परमहंसी	परमहंसी	गोटेगांव	गोटेगांव	नरसिंहपुर	4.500	2000	0.00	ट्यूबवेल	50	पक्का मार्ग
143	SENR03	सिवनी	बरमान	बरमान	करेली	करेली	नरसिंहपुर	1.000	-	2.50	ट्यूबवेल	32	पक्का मार्ग
144	SENR04	सिवनी	कुड़ी	कुड़ी	करेली	करेली	नरसिंहपुर	5.000	1500	2.00	ट्यूबवेल	40	पक्का मार्ग
145	SENR05	सिवनी	जैतपुर	जैतपुर	नरसिंहपुर	सिंगपुर	नरसिंहपुर	2.500	-	4.00	ट्यूबवेल	15	पक्का मार्ग
146	SENR06	सिवनी	बकौरी	बकौरी	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	15.000	1500	4.50	ट्यूबवेल	22	पक्का मार्ग
147	SENR07	सिवनी	गोरखपुर				नरसिंहपुर						
148	SEBL01	सिवनी	केन्द्रीय	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	5.000	-	5.00	नदी	2	मुख्य मार्ग
149	SEBL02	सिवनी	आर.एफ.–1	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	5.000	100	4.50	नदी	1	200 मी.
150	SEBL03	सिवनी	आर.एफ.–3	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	6.000	-	3.50	नदी	1	300 मी.
151	SEBL04	सिवनी	वैनगंगा	गर्रा	लालबर्रा	लालबर्रा	बालाघाट	5.000	2500	0.00	ट्यूबवेल	5	500 मी.
152	SEBL05	सिवनी	साल्हे	साल्हे	लालबर्रा	लालबर्रा	बालाघाट	7.500	2500	0.00	नाला	30	100 मी.
153	SEBL06	सिवनी	उकवा	उकवा	परसवाड़ा	परसवाड़ा	बालाघाट	3.000	-	2.00	नाला	45	मुख्य मार्ग
154	SEBL07	सिवनी	बैहर	बैहर	बैहर	बैहर	बालाघाट	5.000	800	4.00	कुंआ	68	100 मी.
155	SEBL08	सिवनी	लामता	लामता	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	6.000	1800	3.00	ट्यूबवेल	45	मुख्य मार्ग
156	SECH01	सिवनी	पोआमा भाग–1	पोआमा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	8.000	1600	15.00	ट्यूबवेल	10	1.5 किमी
157	SECH02	सिवनी	पोआमा भाग–2	पोआमा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	5.000	1500	0.00	ट्यूबवेल	10	सड़क मार्ग
158	SECH03	सिवनी	अंखावाड़ी	अंखावाड़ी	परासिया	परासिया	छिंदवाड़ा	2.500	-	5.00	नदी	40	500 मी.
159	SECH04	सिवनी	खुटामा	खुटामा	सौंसर	सौंसर	छिंदवाड़ा	3.050	450	7.00	ट्यूबवेल	40	1 किमी
160	SECH05	सिवनी	लावाघोघरी	लावाघोघरी	पांडुर्ना	मोहखेड़	छिंदवाड़ा	2.000	1000	0.00	नदी	42	2 किमी
161	SECH06	सिवनी	मोरघाट	मोरघाट	पांडुर्ना	पांडुर्ना	छिंदवाड़ा	2.000	1100	0.00	कुंआ / नदी	43	1 किमी
योग								**1233.954**	**147540**	**1157.160**		**5512.500**	

प्रपत्र - 1

वर्ष 2018 में योजनावार निर्वर्तित पौधे दिनांक 30.09.2018 की स्थिति में

क्रमांक	अनु.वि. वृत्त का नाम	वन विभाग (लाख में)	कृषि वानिकी (लाख में)	पंचायत विभाग (लाख में)	स्कूल शिक्षा विभाग (संख्या)	अन्य विभाग / संस्थाओं को बिक्री (लाख में)	योग
1	झाबुआ	2336295	612000	49000	9887	34000	**3031295**
2	सिवनी	3554790	1447064	369000	30000	176000	**5546854**
3	जबलपुर	3734594	1088000	288000	680	152000	**5262594**
4	ग्वालियर	2342825	909000	263000	510	391000	**3905825**
5	रतलाम	2585751	892000	206000	2030	76000	**3759751**
6	खण्डवा	3516494	1048000	208000	4505	143000	**4915494**
7	सागर	7136963	1679000	270000	250	16000	**9101963**
8	रीवा	6095096	983000	147000	150	466000	**7691096**
9	बैतूल	4070705	384000	646000	1071	62000	**5162705**
10	भोपाल	2278587	1281000	138000	3515	151000	**3848587**
11	इन्दौर	1301067	546000	255000	11882	497000	**2599067**
योग		**38953167**	**10869064**	**2839000**	**64480**	**2164000**	**54825231**

दिनांक - 15/11/2018

प्रजाति	व.स. इंदौर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. खंडवा (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. ग्वालियर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. जबलपुर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. झाबुआ (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. बैतूल (लो.व.)	व.स. भोपाल (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. रतलाम (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. रीवा (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. सागर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. सिवनी (अनुसंधान एवं विस्तार)	कुल योग
बांस	487450	459609	122506	513434	331797	874638	77257	270988	365757	264412	765373	4533221
करंज	382045	471067	208413	225951	246521	371879	313498	298150	302043	1043194	526388	4389149
आंवला	322710	242459	87480	460785	309307	577553	283842	67569	209599	592746	708732	3862782
नीम	464874	454831	231188	200251	230045	127147	115862	332109	195952	410898	324051	3087208
सिस्सू	490760	292471	496956	390725	304567	330536	108604	85391	209439		292129	3001578
शीशम	45909	29191	208347	192924	270979	50371	514282	134410	221199	868143	381957	2917712
चिरोल	196305	492452	402859	169355	173973	87226	146264	183255	256247	680419	31945	2820300
बहेडा	137167	116896	24275	269738	80530	346973	81175	7921	199857	475623	558150	2298305
सागौन	6408	46191	21078	109894	-121896	400482	129430	147429	52462	1256560	67272	2115310
सीताफल	129565	326647	36839	119658	420153	103251	151913	203675	17548	304899	173213	1987361
महुआ	190558	82757	29135	52619	252708	136896	48542	90185	205767	458606	179245	1727018
खमेर	183897	76801	119292	177767	69118	137478	63192	109509	179884	129137	363180	1609255
जामुन	121276	44324	50723	222530	78155	193547	65130	31754	153344	130936	270894	1362613
जामफल	124482	169191	40720	40361	155762	92000	135090	53001	38811	100946	168671	1119035
सफेद सिरस	25569	57304	98409	168073	25105	9730	30074	22700	59121	297654	264932	1058671
काला सिरस	195792	34112	79427	160069	65936		36145	3000	253794	88190	116039	1032504
इमली	92139	33388	5650	9672	64685	22522	22040	36351	20462	335278	277068	919255
अर्जुन	39366	18748	32748	79793	29500	59847	31685	11158	183922	87005	258781	832553
केशिया सियामिया	95938	65669	30202	61249	144098	140956	48548	34759	31080	3339	81180	737018
नींबू	108448	70797	25473	193282	103274	13216	31438	34177	581	115567	36985	733238
बेलपत्र	63329	70779	40526	61310	23310	86527	17036	29938	47577	184898	50689	675919
कटहल	98806	26270	17012	47490	86407	62003	5153	36325	26173	41768	116641	564048
गुलमोहर	89601	56103	14974	34388	44197	34652	28106	44465	40394	47264	112882	547026
नीलगिरी	4781	114	36735	33473	5650	25570	10142	500	9098	240565	170872	537500
पेल्टाफार्म	100855	17895	882	10667	60140	179394	32124	40117	6360	852	71397	520683
सुरजना/ मुनगा	30302	20743	39235	72357	121064	59630		35695	19897	31359	78572	508854
आम	18724	5141	10121	17434	87860	100770	7715	25474	47313	45945	133057	499554
अचार	30950	23357		37317	22500	35581	3380	1000	82844	83928	167231	488088
हर्रा	8289	330	0	143795	2000	22550	3863	500	47021	45393	129775	403516
कचनार	78419	22950	10088	30217	3050	30117	23721	27065	16078	14661	109536	365902
जंगलजलेबी	200	26083	154088	1265	49673	500	7000	38901	0	61950	4041	343701
अमलतास	87559	17675	22307	7792	1348	31806	39791	6714	38491	14759	42425	310667
अनार	43820	33660	20038	1154	21944	3189	7956	19237	632	13415	39417	204462

प्रजाति	व.स. इंदौर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. खंडवा (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. ग्वालियर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. जबलपुर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. झाबुआ (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. बैतूल (लो.व.)	व.स. भोपाल (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. रतलाम (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. रीवा (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. सागर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. सिवनी (अनुसंधान एवं विस्तार)	कुल योग
खैर(देशी)	3384	31034	8375	2217	9025	11210	13388	30967	41538	6574	26502	184214
अशोक	20855	20134	3828	12177	26105	12258	0	2362	3707	11782	47688	160896
पारसपीपल	36257	4960	2150	14267	41730		17929	7918	1488	1194	25717	153610
सूबबूल	0	16966	0	5717	11950	46066	38900	2000	3800	6765	19451	151615
पीपल	28255	25666	4500	11700	5685	3223	7400	8204	2634	17485	24505	139257
कूल्लू	3443	20286	2227	9712	13295	2000	6635	3300	300	4660	52346	118204
अरीठा/रीठा	2709	11083		4341	5705	18097	3997	0	10991	4521	56401	117845
साजा	227	17920		27216	500	330	17412		11649		26758	102012
बरगद	38137	2800	470	4550	7793	4200	1900	125	2090	11370	11929	85364
मीठानीम	14462	933	1358	930	11000			14196		33209	4967	81055
पुत्रनजीवा	6000	400		5169			4173	500	16117	0	45096	77455
कुसुम	11111	300	90	3257	1000	6797	1500		9522	8620	14519	56716
ग्लिरीसिडिया	800				39933	2089		7550			4042	54414
मोलश्री	16610		600		15000	500		2895	13518	1900	2900	53923
अंजन	1269	16116	500	3100	600		325	2000		7500	21378	52788
गुड़हल	5964	2350	278	0	23000	0	9885	5269	2658			49404
कनेर	18559	2933	2267	0			6062	15243	1889		0	46953
शमी	3115	298	6965	144				1000	5871	24135	134	41662
लसोड़ा	360			1255	12300		800		6812		18218	39745
कदम्ब	12755	2603	300				345		10701	11000	588	38292
रेनट्री	8600		950			18415	0	8695	190			36850
बोगनवेलिया	13227	1916	4344	-110			1282	9015	1997		3774	35445
सलई	1640		104	7000	800				22691		2500	34735
खैर(सफेद)	13000	9104					6000	3000	1140		0	32244
टेकोमा	14594					131	3426	11843				29994
शहतूत	423		4980	2420	3000	0	9292	440	6820			27375
बादाम	3976	6703			12000	84	0	440	29		748	23980
पाकर	1183		2509	3500			2950	9343	0		2702	22187
बबूल	2000	2600		0	11756		0		3482			19838
गुलतुर्रा	7294	70					7640				1045	16049
कबीट	0	1452	900	298			0	12680				15330
सतावर				0					1928		9858	11786
तुलसी	7456			650		1000		0	0			9106
पापूलर				2514			0	5241	285			8040

प्रजाति	व.स. इंदौर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. खंडवा (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. ग्वालियर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. जबलपुर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. झाबुआ (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. बैतूल (लो.व.)	व.स. भोपाल (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. रतलाम (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. रीवा (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. सागर (अनुसंधान एवं विस्तार)	व.स. सिवनी (अनुसंधान एवं विस्तार)	कुल योग
बेर	0								10		6750	6760
लेण्डिया									0		5989	5989
कपोक	0	0	3153						2338			5491
महारूख	1633							3350	0			4983
झारूल	0			2425					2000			4425
दूधी		1800			2500		0					4300
धावड़ा				0					910	3233	0	4143
करधई	0		2479						200			2679
चम्पा	656							1000				1656
आकाश नीम	1104							77				1181
मोरसली/मूसली	789											789
मोगरा	0		762				0	0				762
गुरजन							200					200
खेजड़ा/रिंझा		0						0				0
सेवन्ती								0				0
अन्य	560820	190827	410873	381658	314063	68952	903533	691397	180223	102809	642406	4447561
कुल योग (poly pot)	**5358960**	**4297259**	**3182688**	**4822896**	**4332200**	**4943889**	**3684972**	**3323472**	**3908275**	**8727066**	**8151631**	**54733308**
सागौन रूटशूट	900000	4391002	0	2675000	2000000	2744622	515000	0	2600000	1045000	4188000	21058624
बांस राईजोम	1058690	1139000	205000	3189969	1095000	5613000	0	395000	2690000	300000	3868000	19553659
कुल योग	**7317650**	**9827261**	**3387688**	**10687865**	**7427200**	**13301511**	**4199972**	**3718472**	**9198275**	**10072066**	**16207631**	**95345591**
नए पौधों का लक्ष्य निर्धारण 2019	500000	1500000	2000000	0	0	0	0	500000	5000000	0	2000000	**11500000**
जून–जुलाई 2019 में प्रदाय रूट–सूट	अनुसंधान विस्तार द्वारा प्रदाय पौधे					7000000	निगम द्वारा प्रदाय पौधे				10000000	**17000000**
नए पौधों का लक्ष्य निर्धारण 2020	500000	1000000	1000000	200000	200000	200000	200000	200000	2000000	200000	1000000	6700000
कुल योग (लक्ष्य निर्धारण 2019–20)	**1000000**	**2500000**	**3000000**	**200000**	**200000**	**200000**	**200000**	**700000**	**7000000**	**200000**	**3000000**	**18200000**
कुल योग	**वर्तमान में कुल उपलब्ध पौधे (कुल पॉली पॉट पौधे–54700000, जुलाई 2019 तक तैयार पौधे–11500000, कुल उपलब्ध रूट सूट–17000000)**											***83200000***

(6)

(197)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कक्ष – अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल

दूरभाष: 0755–2674222,2674282 फैक्स:2570852, ईमेल: apccfre@mp.gov.in

क्रमांक/अनु.वि./विस्तार/ 1330 भोपाल, दिनांक : 19/07/2017

प्रति,

विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कैम्पा),
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः कैम्पा मद की स्वीकृत योजना "कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि" योजना में संशोधन की आवश्यकता होने बाबत्।

------0 0------

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश राज्य स्तर पर कैम्पा स्टीयरींग कमेटी द्वारा स्वीकृत "कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि" योजना को संशोधित किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः संशोधन प्रस्ताव संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

18/07/17
(डॉ. ए.के. पाटील)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल
ok

(198)

कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना में संशोधन का प्रस्ताव

स्टेट कैम्पा की राज्य संचालन समिति की 9 वीं बैठक दिनांक 18.11.2016 में रूपये 97 करोड़ की कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना की स्वीकृति प्रदान की गई । योजना के कियान्वयन के दौरान अनुभव के आधार पर योजना में निम्नानुसार संशोधन राज्य स्तरीय संचालन समिति की अगली बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है:–

1– **योजना का कियान्वयनः–** कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना का कियान्वयन वन विभाग की अनुसंधान एवं विस्तार / लोक वानिकी शाखा द्वारा प्रस्तावित किया गया था । अनुसंधान एवं विस्तार /लोक वानिकी शाखा में स्टाफ की कमी को देखते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा पत्र कमांक 2351 दिनांक 16.12.2016 द्वारा निर्देश जारी करते हुए योजना के कियान्वयन में कृषकों के प्रशिक्षण, मांग अनुसार अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त की रोपणियों से कृषकों के गांव तक पौधों का प्रदाय एवं कृषकों एवं वनदूतों को अनुदान का भुगतान आदि का कार्य क्षेत्रीय वन मण्डलों को आंवटित किया गया । अतः योजना के प्रस्तावना में निम्नानुसार वाक्य जोड़ा जाना प्रस्तावित है:–

"जब तक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं होता है कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना का कियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के आदेशानुसार अनुसंधान एवं विस्तार एवं क्षेत्रीय वृत्तों एवं वन मण्डलों द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा ।"

2– **कृषको एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि का भुगतानः–** योजना के अन्तर्गत निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में रूपये 25 प्रति जीवित पौधा एवं इस कार्य में मदद करने वाले वनदूतों को रूपये 7 प्रति जीवित पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश कमांक/एफ–25/01/2016/10–2 दिनांक 04.07.2017 द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी ज्ञाप दिनांक 26 जून, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रोत्साहन अनुदान रूपये 10 के स्थान पर रूपये 35 प्रति जीवित पौधा एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि रूपये 4 के स्थान पर रूपये 7 प्रति जीवित पौधा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत भी कृषको की अनुदान राशि में तदानुसार बढोत्तरी किया जाना प्रस्तावित है ऐसी स्थिति में कृषकों को अनुदान के रूप में प्रति जीवित पौधा रूपये 35 प्रदाय

किया जाना होगा एवं इस प्रकार कृषकों एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि वर्तमान में प्रावधानित 66.56 करोड़ से बढा कर 87.36 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

3–घर पहुंच पौधा प्रदाय सेवा वाहनों का कय एवं रखरखाव– घर पहुंच पौधा प्रदाय सेवा हेतु 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों हेतु योजना में 22 टाटा 407 अथवा समकक्ष वाहन प्रदाय किये जाने का प्रावधान है । कतिपय कारणों से वाहन कय नहीं किये जा सके एवं वर्षाऋतु 2017 में कृषकों के रोपण स्थल तक विभागीय स्तर पर पौधों का प्रदाय किया गया । इस पर सम्भावित व्यय रूपये 3.52 करोड़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय स्टेट कैम्पा के अध्यक्ष मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा प्रदान की गई है । जिसका कि अनुमोदन अगली राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में लिया जाना है।

योजना में प्रावधानित 22 वाहनों का कय किये जाने पर भी यह वाहन करीब 11 जिलों में कृषकों को पौधा प्रदाय की सेवा दे सकेगे । शेष जिलों में विभागीय तौर पर पौधा प्रदाय किया जाना होगा । इसलिये वर्ष 2017–18 में भी कृषकों को घर पहुंच पौधा प्रदाय सेवा हेतु लगभग रूपये 2.5 करोड़ की आवश्यकता होगी । इस प्रकार घर पहुंच पौधा प्रदाय सेवा वाहन के कय एवं रखरखाव मद में पर पूर्व में स्वीकृति राशि रूपये 299.20 लाख के स्थान पर रूपये 901.20 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

4– गतिविधिवार व्यय का गोशवाराः– उपरोक्त प्रस्तावित संशोधनों को दृष्टिगत रखत हुए योजना के पृष्ठ कमांक 5 पर निम्नानुसार गोशवारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित हैः–

क.	गतिविधि	प्रस्तावित व्यय (रू. लाख में)	गतिविधि अनुसार सम्भावित व्यय %
1	कृषि वानिकी हेतु पौधे तैयार करना	2600.00	21.00
2	कृषकों एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना	8736.00	70.55
3	घर पहुंच पौधा प्रदाय सेवा हेतु वाहनों का प्रदाय एवं रखरखाव	901.20	7.28
4	अनुसंधान एवं विस्तार कक्ष (मुख्यालय) का सुदृढीकरण	42.40	0.34
5	प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार	66.00	0.53
6	विविध व्यय	36.40	0.29
	महायोग–	12382.00	100.00

अतः पूर्व में स्वीकृत 97 करोड़ की कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना को संशोधित करते हुए 123.82 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है जिसका वर्षवार विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शाया गया है।

संशोधित योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य स्तरीय संचालन समिति के समक्ष रखते हुए वर्ष 2017–18 के ए.पी.ओ. में 36.92 करोड़ के व्यय की स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है।

संलग्नः– वर्षावार व्यय का गोशवारा।

–00–

अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी योजनओं में प्रावधान, आवंटन एवं व्यय राशि (दिनांक 15.12.18 की स्थिति में)

Scheme Name	Scheme Number	Sub head	Bud. Available for F.y. 2018-19	Bud. Alloted	Expenditure By Ddo
Research & Studies	5108	12	1500000	1245000	336804
	5108	34	800000	605000	298214
	5108	42	19800000	19673000	10530000
	Total		**22100000**	**21523000**	**11165018**
SFRI	9184	42	63000000	63000000	28350000
	Total		**63000000**	**63000000**	**28350000**
Plant Preperation in Nurseries	6397	24	10657000	10310000	761715
	6397	31	9591300	9581775	2895028
	6397	35	6459000	6316829	1883700
	6397	51	14531400	4705875	489080
	6397	12	250000000	243221000	144060886
	6397	24	4000000	3915000	2750748
	6397	31	7500000	7499010	4940350
	6397	34	140000000	137774000	64061553
	6397	35	3000000	2992320	1283735
	6397	51	108000000	95465502	59306294
	6397	12	140000000	140000000	56169532
	6397	34	100000000	97903000	26136404
	Total		**793738700**	**759684311**	**364739025**
Vistar Vaniki	2536	12	82780000	73725100	38121410
	2536	26	6930000	6087700	1644461
	2536	34	64120000	56658500	24574471
	2536	51	4860000	4315700	1748240
	2536	12	24000000	21018400	6842605
	2536	34	15000000	13224300	3709108
	Total		**197690000**	**175029700**	**76640295**
Nizi Bhumi Par Vriksharopan Protsahan Yozna	7691	42	9720000	4894484	997746
	7691	42	3240000	1500000	591845
	7691	42	3240000	434000	37612
	Total		**16200000**	**6828484**	**1627203**
Grand Total			**1092728700**	**1026065495**	**482521541**

Scheme	6397
Allotment To Ddo	(Multiple Items)

	Values				
Ddo Code	**Sum of Allotment To Ddo**	**Sum of Expenditure By Ddo**	**%**	**Balance**	**DDO**
0301003002	208165	208165	100.00	0	Betul N
0301003005	54622000	21981849	40.24	32640151	Betul R&E
0521003110	85635202	85440102	99.77	195100	Mulyankan Adhikari
0521003113	913459	904817	99.05	8642	Bhopal
0521003114	49171000	23094408	46.97	26076592	Bhopal R&E
1411003005	42617000	21301152	49.98	21315848	Gwalior R&E
1711003003	50171000	28803233	57.41	21367767	Indore R&E
1811003003	51004775	28747078	56.36	22257697	Jabalpur R&E
1901003002	60589000	31861141	52.59	28727859	Jhabua R&E
2101003005	81060000	36651673	45.22	44408327	Khandwa R&E
2301003003	660100	0	0.00	660100	Mandla W
3101003002	35325250	15975511	45.22	19349739	Ratlam R&E
3201003002	86043000	46286614	53.79	39756386	Rewa R&E
3301003007	84324000	45058052	53.43	39265948	Sagar R&E
3401003001	658000	658000	100.00	0	Satna
3601003012	83599000	37934841	45.38	45664159	Seoni R&E
4801003001	1013610	0	0.00	1013610	Burhanpur
Grand Total	**767614561**	**424906636**	**55.35**	**342707925**	

Scheme	6397
Allotment To Ddo	(Multiple Items)

Values						
Ddo Code	Object	Sum of Allotment To Ddo	Sum of Expenditure By Ddo	%	Balance	DDO
0301003002	51	208165	208165	100.00	0	Betul N
0301003002 Total		**208165**	**208165**	**100.00**	**0**	
0301003005	12	29330000	14758731	50.32	14571269	Betul R&E
	24	830000	64665	7.79	765335	
	31	1002000	332995	33.23	669005	
	34	19349000	6514004	33.67	12834996	
	35	550000	70341	12.79	479659	
	51	3561000	241113	6.77	3319887	
0301003005 Total		**54622000**	**21981849**	**40.24**	**32640151**	
0521003110	31	1008010	908010	90.08	100000	Mulyankan Adhikari
	34	30000000	30000000	100.00	0	
	35	345690	250590	72.49	95100	
	51	54281502	54281502	100.00	0	
0521003110 Total		**85635202**	**85440102**	**99.77**	**195100**	
0521003113	24	50000	41358	82.72	8642	Bhopal
	35	863459	863459	100.00	0	
0521003113 Total		**913459**	**904817**	**99.05**	**8642**	
0521003114	12	25200000	12256904	48.64	12943096	Bhopal R&E
	24	1325000	409697	30.92	915303	
	31	1120000	809697	72.29	310303	
	34	15723000	7454535	47.41	8268465	
	35	500000	100579	20.12	399421	
	51	5303000	2062996	38.90	3240004	
0521003114 Total		**49171000**	**23094408**	**46.97**	**26076592**	
1411003005	12	23815000	14395033	60.45	9419967	Gwalior R&E
	24	1360000	339576	24.97	1020424	
	31	1472000	114843	7.80	1357157	
	34	12474000	5770420	46.26	6703580	
	35	800000	124637	15.58	675363	
	51	2696000	556643	20.65	2139357	
1411003005 Total		**42617000**	**21301152**	**49.98**	**21315848**	
1711003003	12	28080000	20421822	72.73	7658178	Indore R&E
	24	820000	531781	64.85	288219	
	31	1243000	491844	39.57	751156	
	34	11140000	6732060	60.43	4407940	
	35	350000	192821	55.09	157179	
	51	8538000	432905	5.07	8105095	
1711003003 Total		**50171000**	**28803233**	**57.41**	**21367767**	
1811003003	12	30921000	19368585	62.64	11552415	Jabalpur R&E
	24	1080000	569963	52.77	510037	
	31	2004775	1331337	66.41	673438	
	34	13259000	6635490	50.05	6623510	
	35	600000	89505	14.92	510495	
	51	3140000	752198	23.96	2387802	
1811003003 Total		**51004775**	**28747078**	**56.36**	**22257697**	

Ddo Code	Object	Sum of Allotment To Ddo	Sum of Expenditure By Ddo	%	Balance	DDO
1901003002	12	38767000	20070800	51.77	18696200	Jhabua R&E
	24	830000	228190	27.49	601810	
	31	952000	246999	25.95	705001	
	34	17157000	10394719	60.59	6762281	
	35	650000	111570	17.16	538430	
	51	2233000	808863	36.22	1424137	
1901003002 Total		**60589000**	**31861141**	**52.59**	**28727859**	
2101003005	12	42048000	24132490	57.39	17915510	Khandwa R&E
	24	1560000	409561	26.25	1150439	
	31	1581000	792455	50.12	788545	
	34	28952000	10833622	37.42	18118378	
	35	950000	159033	16.74	790967	
	51	5969000	324512	5.44	5644488	
2101003005 Total		**81060000**	**36651673**	**45.22**	**44408327**	
2301003003	51	660100	0	0.00	660100	Mandla W
2301003003 Total		**660100**	**0**	**0.00**	**660100**	
3101003002	12	16051000	9841605	61.31	6209395	Ratlam R&E
	24	1760000	182946	10.39	1577054	
	31	1714000	447980	26.14	1266020	
	34	11452000	4839142	42.26	6612858	
	35	800000	14120	1.77	785880	
	51	3548250	649718	18.31	2898532	
3101003002 Total		**35325250**	**15975511**	**45.22**	**19349739**	
3201003002	12	47316000	24507374	51.80	22808626	Rewa R&E
	24	1770000	1025343	57.93	744657	
	31	1578000	602740	38.20	975260	
	34	30953000	18381611	59.39	12571389	
	35	1150000	1004885	87.38	145115	
	51	3276000	764661	23.34	2511339	
3201003002 Total		**86043000**	**46286614**	**53.79**	**39756386**	
3301003007	12	51856000	27349621	52.74	24506379	Sagar R&E
	24	1250000	269120	21.53	980880	
	31	1420000	999392	70.38	420608	
	34	22867000	15417206	67.42	7449794	
	35	800000	303046	37.88	496954	
	51	6131000	719667	11.74	5411333	
3301003007 Total		**84324000**	**45058052**	**53.43**	**39265948**	
3401003001	51	658000	658000	100.00	0	Satna
3401003001 Total		**658000**	**658000**	**100.00**	**0**	
3601003012	12	50967000	24721611	48.51	26245389	Seoni R&E
	24	1590000	411742	25.90	1178258	
	31	1986000	895894	45.11	1090106	
	34	23596000	11405846	48.34	12190154	
	35	950000	192829	20.30	757171	
	51	4510000	306919	6.81	4203081	
3601003012 Total		**83599000**	**37934841**	**45.38**	**45664159**	
4801003001	51	1013610	0	0.00	1013610	Burhanpur
4801003001 Total		**1013610**	**0**	**0.00**	**1013610**	
Grand Total		**767614561**	**424906636**	**55.35**	**342707925**	